लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-94
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

(खंड 59 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 21—32)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया।

Price: One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 25 सोमवार, 29 अगस्त, 1966/7 भाद्र, 1888 (शक)

No. 25 Monday, August 29, 1966 / Bhadra 7, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या		
S. Q. Nos.		
विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
719. त्रिदेशीय शिखर सम्मेलन	Tripartite Summit Conference	1-8
720. पादरी माइकल स्कॉट	Rev. Michael Scott	8-10
721. कच्छ न्यायाधिकरण	Kutch Tribunal	10-12
722. प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण	Broadcasts in Regional Languages	12-14
723. आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से देहाती कार्यक्रम का प्रसारण	Rural Broadcast by A. I. R. Nagpur	15-16
724. आकाशवाणी के केन्द्रों के लिये कार्यक्रम सलाहकार समितियां	Programme Advisory Committees for A. I. R. Stations	16-17
725. अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेन्सी	International News Agency	17-19
742. कीनिया से देशनिष्कासित भारतीय मूलक लोग	Persons of Indian Origin Deported from Kenya	19-24
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या	**Short Notice Question No.**	
19. भारत का धातु निगम, लिमिटेड	Metal Corporation of India Limited	23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**written Answers to Questions**	
तारांकित प्रश्न संख्या	**Starred Questions Nos.**	
726. आदिम जातीय कार्यक्रम	Tribal Programme	24-25
727. अखबारी कागज की सप्लाई के लिये राज-सहायता	Subsidy for Newsprint Supplies	25
728. भारत-पाकिस्तान संयुक्त बिजली परियोजनायें	Joint Indo-Pak. Power projects	25-26

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
729.	चीन के प्रधान मंत्री की रावलपिंडी यात्रा	Chinese Prime Minister's visit to Rawalpindi	26
730.	बर्मा में मांडले में भारतीय देश भक्तों के स्मारक	Memorial to Indian Patriots in Mandalay, Burma	26-27
731.	फ्रांस द्वारा अणु बम का विस्फोट	Explosion of Atom Bomb by France	27
732.	मिजो लोगों के प्रशिक्षण में पाकिस्तान का हाथ	Pakistan's hand in training Mizos	27
733.	सामरिक दृष्टि से भेद्य स्थानों का सर्वेक्षण	Survey of Strategically Vulnerable Points	28
734.	अमरीकी प्रतिरक्षा सेक्रेटरी का वक्तव्य	Statement by U. S. Defence Secretary	28-29
735.	प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	Pay and Allowances of Defence Service Personnel	29
736.	नागालैण्ड में मंत्रिमण्डल में परिवर्तन	Change of Government in Nagaland	29
737.	बर्मा से भारत लौटने वाले लोगों को लाने के लिये दी गई नौकाओं का हटाया जाना	Withdrawal of boats provided for transport of Repatriates from Burma	29-30
738.	पाकिस्तान को दिये गये सेबर जेट विमानों के बारे में ईरान से स्पष्टीकरण	Clarification from Iran about Sabre Jets given to Pakistan	30
739.	विस्फोटक पदार्थों के लिए गोदी	Explosive Dock	30
740.	फिल्म उद्योग से प्रतिनिधि मण्डल	Representation from Film Industry	31
741.	प्रतिरक्षा उत्पादन	Defence production	31-32
743.	गोमांस मूल्य सम्बन्धी बुलेटिन	Price Bulletin on Beef	32
744.	चीन द्वारा सीमा उल्लंघन	Border Violations by China	32-33
745.	नागाओं द्वारा प्रयोग किये गये राकेट तथा राकेट चलाने वाले हथियार	Rocket and Rocket Launcher used by Nagas	33
746.	अमरीकी ट्रान्समिटर	U. S. Transmitters	33-35
747.	बर्मा में भारतीय व्यापारियों के धन का रोक लिया जाना	Money of Indian Merchants Frozen in Burma	35
अतारांकित प्रश्न संख्या		**Un-Starred Question Nos.**	
3548.	पूर्वी बर्लिन जाने वाले भारतीय बच्चे	Indian Children visiting East Berlin	35-36

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3549.	आकाशवाणी का "संसद् समीक्षा" कार्यक्रम	Today in Parliament Programme of A. I. R.	36
3550.	राइफल क्लबों तथा संस्थाओं को बन्दूकों की सप्लाई	Supply of guns to Rifle clubs and Associations	36-37
3551.	बेनाड में 'बस्ती बसाना' योजना (केरल)	Wynad Colonisation Scheme (Kerala)	37
3552.	भारतीय नाविक, सैनिक और वैमानिक बोर्ड	Indian Sailor, Soldiers and Airmen's Board	37
3553	एच० एफ० 24 अतिस्वन विमान के लिए पुनः तापक संयन्त्र	Re-heat Plant for Supers onic HF-24 Aircraft	37
3554.	इसराइल द्वारा उर्वरक देने का प्रस्ताव	Israel's Offer of Fertilizers	38
3555.	स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के भाषण	Speeches of the late Jawaharlal Nehru	38
3556.	अफगानिस्तान को तकनीकी सहायता	Technical Aid to Afghanistan	38-39
3557.	भूटान को सहायता	Assistance to Bhutan	39
3558.	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	39-40
3559.	भूकम्प सम्बन्धी बातों पर विचार विनिमय के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference of Seismological Exchange	40
3560.	समाचारपत्रों का एकाधिकार	Monopoly of Newspapers	40-41
3561.	बेक्टेल (इंडिया) लिमिटेड	Bechtel (India) Ltd.	41
3562.	पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय कर्मचारियों का स्वदेश लौटना	Repatriation of Indian Personnel detained in Pakistan	42
3563.	ढाका रेडियो द्वारा नजरुल इस्लाम की कविताओं में परिवर्तन किया जाना	Distortions of Nazrul Islam's Compositions by Dacca Radio	42
3564.	श्री लाल बहादुर सेवा निकेतन	Shri Lal Bahadur Seva Niketan	42-43
3565.	उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास परियोजनाओं में रेडियो सेट	Radio Sets in Community Projects in U. P.	43
3566.	प्रेस परिषद्	Press Council	43
3567.	राष्ट्र के नेताओं के भाषण	Speeches of National leaders	44
3568.	वीरता पुरस्कार	Gallantry Awards	44-45
3569.	आकाशवाणी से विचारों का प्रसारण	Views on A. I. R.	46
3570.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण	Surveys by National Sample Survey	46

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3571.	सेना को जानकारी	Information to Armed Forces	46-47
3572.	बाह्य अन्तरिक्ष के प्रयोग के बारे में विधि	Law relating to use of outer space	47
3573.	टेलीविजन के लिए नई इमारत	New Building for T. V.	47
3574.	भूतपूर्व सैनिकों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of Houses for ex-Servicemen	48
3575.	भारत द्वारा दलाई लामा का समर्थन	India's Support to Dalai Lama	48
3576.	गार्डन रीच कारखाने में गहरे कुंओं के लिए टर्बाइन पम्पों का निर्माण	Manufacture of Deep Well Turbine Pumps by Garden Reach Workshop	48-49
3577.	समुद्री (मेरीन) डीजल इंजनों का निर्माण	Manufacture of Marine Diesel Engines	49
3578.	पादरी माइकल स्काट	Rev. Michael Scott	50
3579.	विजयन्त टैंक	Vijayanta Tank	50
3580.	चीन द्वारा किए गए परमाणु विस्फोट का मौसम पर प्रभाव	Chinese Nuclear Explosion's affect on weather	50-51
3581.	आकाशवाणी का सङ्गीत और नाटक डिवीजन	A. I. R. song and Drama Division	51
3582.	प्रतिरक्षा योजना	Defence Plan	51-52
3583.	संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की बैठक	UN Economic and Social Meeting	52
3584.	बाह्य अन्तरिक्ष और चन्द्रमा की खोज सम्बन्धी सन्धि	Treaty on Exploration of Outer Space and Moon	52-53
3585.	कानपुर में एवरो संयन्त्र	AVRO Plant, Kanpur	53
3586.	रेडियो सेट	Radio Sets	53-54
3587.	फिल्म डिवीज़न के कमेंटेटर्स	Commentators of Film Division	54
3588.	पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी	Firing by East Pakistan Rifles	54
3589.	परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम	Nuclear Power Programme	54-55
3590.	सम्बलपुर में स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artistes at Sambalpur	55
3591.	चीनियों द्वारा पुलिस कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों का अपहरण	Kidnapping of Policemen and other Persons by Chinese	55

अ० प्र० सं० U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3592.	ताम्बरम रेलवे स्टेशन पर झड़प	Clash at Tambaram Railway Station	55-56
3593.	सीमावर्ती क्षेत्रों में जवानों का मनोरंजन	Entertainment of Jawans in Border Areas	56-57
3594.	केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड	Central Board of Film Censors	57
3595.	आकाशवाणी से लोक गीत	Folk songs in A. I. R.	57
3596.	सुरंगों का विस्फोट	Explosion of Mines	57-58
3597.	पूर्वी अफ्रीका में भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda in East Africa	58
3598.	टेलीविजन संस्था में घुसने का अमरीकी प्रयास	U. S. Offer to Enter T. V. Organisation	58
3599.	प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रेस कटिंग	Press Cuttings by P. I. B.	58-59
3600.	बंगाली मुसलमानों का पूर्वी पाकिस्तान से निकाल दिया जाना	Driving out of Bengali Muslims from East Pakistan	59
3601.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नौसैनिक अड्डा	Naval Base in Andaman and Nicobar Islands	59
3602.	ब्रिटिश गियाना में श्री केदार नाथ द्वारा आत्मदाह	Burning to Death of Shri Kedar Nath in British Guiana	59
3603.	ऋतु विज्ञान सम्बन्धी प्रयोग	Meteorological Experiments	60
3604.	रेडियो भारत	Radio India	60
3605.	नागपुर में प्रतिरक्षा कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Defence Employees in Nagpur	60
3606.	बम्बई में नौसेना के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by the Naval Employees in Bombay	61
3607.	प्रतिरक्षा कर्मचारियों की मांगें	Demands of Defence Employees	61
3608.	भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	I. A. F. Plane Crash	61
3609.	मुसलमानों को जबरदस्ती बाहर निकालने के बारे में पाकिस्तानी आरोप	Pak. Allegation about Driving out Mussims by Force	61-62
3610.	एम० ई० एस० के लिये बिजली के पंखों की खरीद	Purchase of Electric Fan for M. E. S.	62

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3611.	राष्ट्रमण्डल सङ्गठन के लिये नया कार्यालय	New Office for ommonwealth Organisation	62
3612.	सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के लिये फैमिली क्वार्टर	Family Quarters for Armed Forces	62-63
3613.	केरल में आयुध कारखाना	Ordinance Factory in Kerala	63
3614.	रांची में सैनिकों द्वारा नागरिकों की मारपीट	Beating of Civilians by Soldiers at Ranchi	63
3615.	एक देश के आदिम जाति के लोगों को दूसरे देश के राज्य क्षेत्र में घुसने से रोकने के बारे में भारत और बर्मा की सरकारों के बीच बातचीत	Discussion between Governments of India and Burma reg. Prevention of Tribal People to cross other's territory	63-64
3616.	भारतीय वायु सेना के हेलीकाप्टर का विवश होकर उतरना	I. A. F. Helicopters Forced Landing	64
3617.	चीन-पाकिस्तान समझौता	Sino-Pak. Agreement	64-65
3618.	अमरीकी शांति दल (पीस कोर)	American Peace Corps	65-66
3619.	चांद पर उतरना	Landing on Moon	66
3620.	जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स	General Reserve Engineer Force	66-67
3621.	केरल में राष्ट्रीय सेना छात्र दल के अधिकारी	N. C. C. officers in Kerala	67
3622.	प्रधान मन्त्री की मास्को यात्रा	Prime Minister's visit to Moscow	67
3623.	आकाशवाणी के कोजीकोड केन्द्र द्वारा मूल्य सम्बन्धी बुलेटिनों का प्रसारण	Radio Price Bulletins broadcast by A. I. R. Station at Kozhikode	67-68
3624.	वियतनाम के सम्बन्ध में शांति वार्ता	Peace talks on Vietnam	68
3625.	श्री कामराज की पूर्वी जर्मनी की यात्रा	Shri Kamraj's visit to East Germany	68-69
3626.	सैनिक अधिकारियों के लिये पारिवारिक निवास स्थान	Married accommodation for Service Officers	69
3627.	धान के बीज	Paddy Seeds	69
3628.	नेपाल को सप्लाई की जाने वाली नियंत्रित वस्तुओं के कोटे में वृद्धि	Increase in Quota of Controlled Items Supplied to Nepal	69-70
3629.	पाकिस्तानी राष्ट्रपति के विमान के डमडम हवाई अड्डे पर उतरने के लिये सङ्कट सूचना	Distress Call for Landing at Dum Dum Airport of Pakistan's President's Plane	70

ता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3630.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	Bharat Electronics Ltd.	71
3631.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	Bharat Electronics Ltd.	71-72
3632.	उड़ीसा में फिल्म स्टूडियो	Film Studio in Orissa	72
3633.	सस्ते रेडियो सेट	Cheap Radio Sets	72-73
3634.	भारतीय वायु सेना में भर्ती	Recruitments to I. A. F.	73
3635.	परमाणु हथियारों से रक्षा की गारंटी के बारे में बिटेन के प्रधान मन्त्री का वक्तव्य	Statement by British Prime-minister about Nuclear Guarantee	73
3636.	रंगून में भारतीय राजदूतावास	Indian Embassy in Rangoon	73-74
3637.	मैसूर में ग्राम्य रेडियो फोरम	Rural Radio Forum in Mysore	74
3638.	न्यूयार्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के लड़के को पीटा जाना	Beating of the Son of Assistant Administrative Officer in Indian Consulate, New York	74-75
3639.	पाकिस्तानी कर्मचारियों पर चलाये गये मुकदमों के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा भारत को भेजा गया विरोध पत्र	Pak. protest to India against trial of Pakistani Officials	75-76
3640.	केरल में नौसेना डॉक यार्ड	Naval Dock Yard in Kerala	76
3641.	सेना में कनिष्ठ कर्मचारियों की शिकायतें	Grievans of Junior Employees in Armed Forces	76
3643.	ताशकन्द में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में शिला स्तम्भ	Obelish of Late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri in Tashkent	76-77
3644.	न्यूयार्क में भारतीय मिशन में पुस्तकाध्यक्ष	Librarian in Indian Mission at New York	77
3645.	भारतीय उच्चयोग, लन्दन में पुस्तकाध्यक्ष	Librarian in Indian High Commission London	77
3646.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में पुस्तकाध्यक्ष	Librarians in Indian Missions Abroad	77-78
3647.	इस्तम्बूल में भारतीय दूतावास में पुस्तकाध्यक्ष	Librarian in Indian Embassy at Istambul	78
3648.	बर्मा स्थित भारतीय मिशन में खाद्य अनुभाग	Food Section of Indian Mission in Burma	78-79

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3649.	भारतीय वस्त्र सम्बर्द्धन एकक	Indian Textile Promotion Unit	79
3650.	रंगून में भारतीय दूतावास के कर्मचारी	Staff of Indian Embassy in Rangoon	79-80
3651.	बर्मा सरकार द्वारा भारत भेज दिये जाने वाले भारत मूलक व्यक्ति	Persons of Indian Origin being Deported by Burmese Government	80-81
3652.	रंगून स्थित भारतीय दूतावास का सैनिक सहचारी (अटैशी)	Military Attache of Indian Embassy in Rangoon	81
3653.	बर्मा में भारतीय दूतावास कर्मचारियों का स्थानन्तरण	Transfer of Employees of Indian Embassy in Burma	81
3654.	बर्मा में भारतीय दूतावास का नौवहन सैक्शन	Shipping Section of Indian Mission in Burma	81-82
3655.	समाचार-पत्र परिषद्	Press Council	
3656.	काग्रेस अध्यक्ष की विदेश यात्रा के बारे में प्रचार	Publicity given to tour of Congress President Abroad	82-83 88
3657.	चमरावल गांव (उत्तर प्रदेश) में भूमि का अर्जन	Acquisition of Land in chamraval Village (U. P.)	83-84
3658.	विदेशी विज्ञापन एजेन्सी	Foreign Advertising Agency	84
3659.	देहरादून-हरिद्वार राजपथ पर एक ट्रक दुर्घटना में जख्मीं हुए जवान	Jawans wounded in a truck Accident on Dehra Dun Hardwar Highway	84
3660.	आकाशवाणी से वेदों की शिक्षाओं का प्रचार	Teaching of Vedas through A. I. R.	84-85
3661.	समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय	Office of the Registrar of Newspapers	85
3662.	विदेशी पत्रकारों द्वारा भारत के बारे में समाचार	Report on India by Foreign Correspondents	85-86
3663.	महान्यायावादी (अटोर्नी जनरल) से परामर्श	Advice from Attorney general	86
3664.	वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा स्वागत समारोह	Reception by Indian Embeassy in washington	86-88
3665.	नक्शों की जांच	Examination of Maps	88
3666.	भारत में सैनिक मिशन	U. S. Military Mission in India	88-89

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3666-क	स्विट्जरलैण्ड से सहायतार्थ वस्तुयें	Relief Suplies from Switzerland	89
3666-ख	पूर्वी जर्मनी का व्यापार मिशन	East German Trade Mission	89
3666-ग	अमरीकी शांति दल के सदस्य	American Peace Cops Men	90
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
	कोचीन बन्दरगाह पर आयातित चावल को समुद्र में फेंकने के समाचार	Reported Dumping into sea of imported rice at Cochin Port	
	श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	
	श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रक्रिया)	Re. Motion for Adjournment (Procedure)	
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	
	विधेयक पुरस्थापित :	Bills Introduced	
	(1) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक	(i) Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill	
	(2) सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक	(ii) Road Transport Corporation (Amendment) Bill	
	(3) दिल्ली नगर निगम (विद्युतकर का मान्यकरण) विधेयक	(iii) Delhi Municipal Corporation (Validation of Elecrticity Tax) Bill	
	(4) बिजली (सम्भरण) दूसरा संशोधक विधेयक	(iv) Electricity (Supply) Second Amendment Bill	
	(5) दिल्ली जल सप्लाई तथा मल-निस्सारण विधेयक	(v) Delhi Water Supply and Sewage Disposal Bill	
	(6) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	(vi) Representation of the People (Amendment) Bill	
	(7) सम्बिधान (इक्कीसवां) संशोधन विधेयक	(vii) Constitution (Twenty first Amendment) Bill	
	अत्यावश्यक वस्तुयें (संशोधन) विधेयक	Essential Commodities (Amendment) Bill	
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
	श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	

अत्यावश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक — ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) Bill

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
	श्री रंगा	Shri Ranga	
	श्री राने	Shri Rane	
	श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	
	श्री यलमन्दा रेड्डी	Shri Yallamanda Reddy	
	श्री पु० र० पटेल	Shri P. R. Patel	
	श्री सुमत प्रसाद	Shri Sumat Prasad	
	श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	
	श्री मलाइछामी	Shri M. Malaichami	
	श्री बड़े	Shri Bade	
	श्रीमती विमला देशमुख	Shrimati Vimla bai Deshmukh	
	श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta	
	श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borroah	
	श्री बागड़ी	Shri Bagri	
	श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	
	श्री राजाराम	Shri Raja Ram	
	श्री कृ० चं० शर्मा	Shri K. C. Sharma	
	श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray	
	श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	
	श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	
	श्री दे० शि० पाटिल	Shri D. S. Patil	
	श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	
	श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar	
	श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi	
	श्री रा० स० तिवारी	Shri R. S. Tiwary	
	श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar	
	खण्ड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
	श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	
	श्री बड़े	Shri Bade	
	श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh	
	श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 29 **अगस्त**, 1966 / 7 **भाद्र**, 1888 (**शक**)

Monday, August 29, 1966 / Bhadra 7, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

निधन सम्बन्धी उल्लेख

Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री चुन्नी लाल के दुखद् निधन समाचार देना है, जो 49 वर्ष की अल्प आयु में ही 28 अगस्त, 1966 को नई दिल्ली में स्वर्ग सिधार गये हैं।

श्री चुन्नी लाल पंजाब के अम्बाला चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित इस सभा के सदस्य थे। वह 1957 से 1962 तक दूसरी लोक सभा के भी सदस्य रहे थे। 1964-65 और 1965-66 के दौरान वह प्रवर समिति और 1963-64 के दौरान याचिका समिति के सदस्य भी रहे थे। इस सभा और इसकी समितियों की कार्यवाहियों में उन्होंने अच्छा योगदान दिया।

उनके निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार के प्रति संवेदना संदेश भेजने में यह सभा मेरा साथ देगी।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना): पंजाब से चुने हुए हम लोग श्री चुन्नी लाल को अन्य सदस्यों की अपेक्षा शायद अधिक निकटता से जानते हैं। इसलिये नहीं कि वह पंजाबी थे परन्तु इसलिये कि वह एक शांतचित्त और शील स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके इन गुणों के कारण वह एक विवेकशील व्यक्ति थे और उनके साथ चर्चा करना बड़ा सुगम और लाभप्रद होता था वह एक गरीब घराने में पले थे और उनके व्यवहार में जो विनम्रता थी, उसने उनकी संसद्विज्ञ के नाते प्रतिष्ठा को और भी ऊंचा उठा दिया था। कुछ ही दिन पहले जब मैं उनसे मिला था तो वह बिल्कुल स्वस्थ्य थे और स्वप्न में भी कोई व्यक्ति यह नहीं सोच सकता था कि उनका

अन्त इतना समीप था । मनुष्य का जीवन इतना खोखला होता है । अपने दल की ओर से मैं शोक-संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यस्त करता हूं ।

Shri Bagri (Hissar) : Sir, Shri Chuni Lal was the leader of the backward classes and downtrodden people in this House. His sudden demise has dealt a severe shock to them. Shri Chuni Lal a was very pleasing·and sociable personality. His contribution in the proceedings of this House is commendable, but from the point of view of a human being his sociable nature was ideal. He had no personal prejudice against anybody. I associate myself on my Party's behalf in conveying condolences to the bereaved family. The hon. Members can well imagine the fate of the family of a person after his death who belong to poorer section and whose livelihood is solely dependent on politics. Therefore, the Government and the Society should consider sympathetically the question of giving some assistance to the family of a person who did not have any immovable property and who sacrificed his all for the nation With these words I on my behalf and my Party pay tributes to the great leader.

श्री अ० च० गुह (बारसार): श्रीमन, आपके द्वारा तथा मेरे दो अन्य साथियों द्वारा श्री चुन्नी लाल के सम्बन्ध में जो भाव व्यक्त किये गये हैं मैं उनमें पूरी तरह शरीक होता हूँ । वह शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे और प्रवर समिति के कार्य में वह बहुत अधिक रुचि लेते थे । ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के अवसर उन्हें भले ही न मिले हो प्ररन्तु वह बहुत ही बुद्धिमान थे और प्रत्येक चीज की ओर उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण था और इस प्रकार वह समिति में एक हंसमुख साथी थे और समिति के सभी सदस्यों को, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनके विघुड़ने पर गहरा दुख होगा । हरिजनों और अन्य दलित वर्गों के उत्थान कार्य में उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी, और इस प्रकार उनकी हानि उस समुदाय को होगी जिसका वह प्रतिनिधित्व करते थे । मैं उनकी स्मृति के प्रति गहरा सम्मान और संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना और सहानुभूति प्रकट करता हूं ।

Shri Yudhvir Singh (Mahendragarh): I received the sad news of Shri Chuni Lal's demise at 10. 30. A. M. today on my return outside. This news gave me a great shock not only because he was a Member of this House, but because I was having close personal relations with him. I do not find appropriate words to express my deep sense of sorrw.

I was very near to him. He belonged to Rewari. It will be inopportune to dwell on his qualities at this moment; but after hearing the news of his death, the idea that is constantly haunting me is whether his death and deaths of so many other young people taking part in the country's politics due to heart failure is not a challange to the society.

I am at a loss to understand the cause of so many deaths occuring daily due to heart failure. Hon. Members very well know that he had no ailment, there was no pressure of any kind whatsoever on him except that he served his nation according to his own idealogy and took part in the politics of the country according to the policy of his Party and this became the cause of his death. This I think is a great challange to the country and the society at large. While the society makes the politicians the centre of criticism on many counts, such like unnatural deaths casts a heavy responsibility upon the society also.

With these words I pay tributes to the departed soul on my and my party's behalf and pray to God to rest his soul in peace.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): हमारे मित्र और साथी श्री चुन्नी लाल की अचानक मृत्यु पर हमें अत्यन्त दुख है। वह ऐसे समय पर हमारा साथ छोड़ गये हैं जबकि हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। वह एक शांतचित्त व्यक्ति थे जिनके जीवन की एक मात्र अभिलाषा अपने देश और जनता की सेवा करना था। ऐसे व्यक्ति आजकल हमारे समाज में विरले ही हैं।

प्रजा समाजवादी दल की ओर से मैं उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और आप प्रार्थना करता हूं कि आप संतप्त परिवार को हमारी संवेदनाएं पहुंचा दें।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Rewari, the birth place of Shri Chuni Lal is in close proximity to my constituency and I started my political career at that place. Today when I returned here from outside I received this sad news at 7. 30 A.M. The news of his death has given a terribie shock to me. Only on the 27th instant he gave suggestion to me and I never knew that he will leave this world even before my return.

Sir, he believed in simple living and high thinking. His loss is further magnified because he died young. I agree with the suggestion of Shri Yudhvir Singh and Shri Bagri that the House should consider the question of giving some assistance to the families of those who represent Scheduled Castes in this House, whose economic conditions are poor and who die young while working round the clock here. We should think of providing subsistence to their family members. We can of course discard the needs of affluent families but the needs of indigent families must necessarily be given consideration. Shri Chuni Lal was a devoted person. I deeply mourn his death. He was one of my closest colleagues and I on my and my Party's behalf pay tributes to the departed soul.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा): श्री चुन्नी लाल के अक्समात और दुखद निधन से हम सब को गहरा सदमा पहुंचा है। मैं और मेरा दल आपके द्वारा तथा सभा के अन्य सदस्यों द्वारा हमारे साथी की अचानक मृत्यु पर व्यक्त की गई भावनाओं में शरीक होते हैं।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड़): अपने दल की ओर से मैं यहां पर व्यक्त की गई भावनाओं में शरीक होता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आप संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचा दें।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar): Sir, I had known Shri Chuni Lal for a long time. He was a very good worker of quiet disposition and unobtrusive temperament of Haryana. I was stunned ,to hear the news of his death yesterday. I am unable to put into words the dolorific scene of that place, I did not stay long there for I could not see for long the sight of bewailing and screaming children

I too fully agree with the suggestion that some arrangement must be made for the families of such like political workers. I express my sympathy and condolencese to the bereaved family and pray to God to rest his soul in peace.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): श्री चुन्नी लाल के अक्समात निधन की खबर सुन कर मेरे दिल को बड़ा सदमा पहुंचा। चुन्नी लाल जी हमारे स्वतन्त्र भारत के एक चिन्ह थे क्योंकि स्वतन्त्र भारत में निम्न श्रेणी के बहुत से व्यक्तियों को वे अवसर प्राप्त हुए हैं जो एक

समय कुछ बहुत ऊंचे लोगों को भी उपलब्ध नहीं थे। कांग्रेस दल ने उसको चुना और उन्होंने कांग्रेस दल की शोभा बढ़ाई। उसी समय वह उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने मुझे यह अनुभव कराया कि जातिवाद को इस देश में समाप्त कर दिया गया है।

उनसे बात करते समय मुझे कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि वह एक हरिजन थे या मैं किसी अन्य जाति से था। मैंने यह महसूस किया कि हम दोनों एक ही जाति से थे और वह जाति थी मानवता की जाति। उन्होंने हमेशा ऐसा ही प्रभाव डाला है। वह एक उच्च कोटि के सज्जन पुरुष थे और मैं उनके हसमुख चेहरे को भुला नहीं सकता हूँ। उनके पास दो या तीन मिनट बैठने से ही उनके उदार चित्त, उनकी विचारशीलता और मिलनसारी का भारी प्रभाव महसूस होता था।

अब जबकि पंजाब का पुनर्गठन हो रहा है, मैं समझता हूँ कि पंजाब और हरयाना राज्यों के बीच वह एक गहरा संपर्क स्थापित कर सकते थे। इस भारी क्षति पर हम सब को बहुत दुख है। मैं श्री बागड़ी से सहमत हूं कि हमारी संसद, हमारी सरकार को ऐसे व्यक्तियों के बच्चों के लिये कुछ करना चाहिये जो दरिद्र वर्ग से उठकर ऊंचे स्थानों तक पहुंचे हैं, परन्तु जो मरते समय कुछ पैसा छोड़ कर नहीं जाते हैं। श्री चुन्नी लाल की मृत्यु से इस कथन की और भी पुष्टि हो जाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। आपने और अन्य मित्रों ने जो श्रद्धान्जलि अर्पित की है उसमें मैं शरीक होता हूँ।

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिंह): अध्यक्ष महोदय, श्री चुन्नी लाल की अकसमात मृत्यु की खबर सुन कर हम सब को बड़ा सदमा पहुंचा है। श्री चुन्नी लाल वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे और लोक सभा में अम्बाला, पंजाब के रक्षित निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि थे।

श्री चुन्नी लाल इतने जवान और देखने में इतने स्वस्थ्य थे कि उनकी मृत्यु की कल्पना करना कठिन है। वह एक शांत चित्त व्यक्ति थे और दिखावे में उनका विश्वास नहीं था। पिछड़े वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिये उन्होंने रचानात्मक कार्य किया। कुछ समय से वह प्रवर समिति के सदस्य भी थे। मैं अपनी और कांग्रेस दल की ओर से संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने में शरीक होता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना खेद व्यक्त करने के लिये कुछ क्षणों के लिये मौन खड़े हो जायें।

तब सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while

Tripartite Summit Conference

+

*719. **Shri Naval Prabhakar:**
Shri Hem Barua:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Surendranath Dwivedi:
Shri Nath Pai:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Rameshwaranand:
Shri Raghunath Singh:
Shri N. R. Laskar:
Shri R. Barua:
Shri Liladhar Kotoki:

Shri Nambiar:
Shri Kolla Venkaiah:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Shree Narayan Das:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri P. C. Borooah:
Shri H. N. Mukerjee:
Shri Bagri:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Maurya:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Bishwanath Roy:
Shri K. C. Sharma:
Shri Lahtan Chaudhry:
Shri Yashpal Singh:
Shri R. S. Pandey:
Shri Vasudevan Nair:
Dr Ranen Sen:
Shri Gulshan:
Shri Tula Ram:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri D. D. Mantri:
Shri M. K. Kumaran:
Shri Indrajit Gupta:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri H. C. Linga Reddy:
Shri P. Venkatasubaiah:
Shri Ravindra Varma:
Shrimati Ramdulari Sinha:
Shri D. C. Sharma:
Shri M. N. Swamy:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri Brij Basi Lal:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether a decision to convene a Tripartite Summit Conference of Yugoslavia, United Arab Republic and India has been taken by the leaders of the three countries; and

(b) if so, the time and venue thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh):

(a) Yes, Sir.

(b) The meeting is proposed to be held in New Delhi from 21st to 25th October, 1966.

Shri Naval Prabhakar: Has any agenda been prepared for it, if so the contents thereof?

Shri Dinesh Singh: No, Sir; no agenda has been finalised for it.

Shri Naval Prabhakar: What will be the basis of the talks ?

Shri Dinesh Singh: The talks will confine to current international problems.

श्री हेम बरुआ : माननीय मन्त्री ने अभी कहा कि शिखर सम्मेलन में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा की जायेगी। इस संदर्भ में, क्या चीन के साथ हमारे विवाद पर भी चर्चा की जायेगी और यदि हां, तो क्या चीन के लिये संयुक्त अरब गणराज्य का जो मैत्रिक झुकाव है और जिसके कारण, जब चीन ने हम पर आक्रमण किया तो संयुक्त अरब गणराज्य ने हमारा नैतिक समर्थन भी नहीं किया, सरकार यह बताने की स्थिति में है कि वह, चीन के साथ हमारे विवाद के सम्बन्ध में संयुक्त अरब गण राज्य और युगोस्लाविया को हमारी नीति के प्रति मना सकेगी ?

श्री दिनेश सिंह : इस बैठक में किसी द्विपक्षीय विवादों पर चर्चा करने का हमारा इरादा नहीं है, परन्तु हमारा वह विवाद जिससे इस भाग में कुछ खतरों का संकेत मिलता है उसपर और सैद्धान्तिक मतभेद के मोटे पहलुओं पर अवश्य ही चर्चा की जायेगी।

श्री हेम बरुआ : इस सम्मेलन में हम अपने हितों की उपेक्षा क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह तर्क में पड़ रहे हैं।

Shri Kishen Pattnayak : The hon. Minister just now stated that this is a Summit Conference. Against whom this conference is going to held? What countries and people are to participate in it ? May I know whether any advice of the neighbouring countries has been taken regarding this conference so that this conference may also consider their views and suggestions?

Shri Dinesh Singh: I have not used the word Summit, this has been used by the hon. Members who have put the question. It is not that a Summit is held against somebody. Summit as all know is a peak and it stands by itself. Representatives of the three countries, two Presidents and our Prime Minister will meet here. So far as the agenda is concerned, as I stated already in reply to Shri Hem Barua's question, broad questions will be discussed. But it is very difficult to say as to what we will say and what they will say. Therefore no agenda has been prepared. They will speak out their minds unreservedly on all the broader issues.

Shri Kishen Pattnayak: I had asked whether we have had talks with any other country.

Shri Dinesh Singh: I beg your pardon, I forgot to deal this point. Those three countries have been holding talks continually. The hon. Members will recall that in 1965 the leaders of these three countries met in Brioni. Later they also met in 1961. Therefore the question of inviting opinion of any country in regard to this meeting does not arise. But some other countries had conferred with regard to this thinking that perhaps this is being hold to make preparations for the non-aligned summit. We made them understand that it was not being held to convene a meeting of the non-aligned nations, but to have mutual discussions amongst the three nations.

Shri Vishwanath Pandey: The hon. Minister stated that no agenda has been finalised for this summit conference, but according to the leaders U.A.R and Yugoslavia have indicated to the Government of India that a constructive agenda be prepared for it so that they might after taking decisions give a concrete shape to their ideas. If this is correct, what is the reaction of the Government in this regard?

Shri Dinesh Singh: No, Sir.

Shri Maurya: Sir, I rise on a point of order. This is the time-honoured convention of this House that if a Member of this House dies while this House is in session the sitting of the House for that day is adjourned.

Mr. Speaker: The House has already taken a decision in this regard.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया की यात्रा की थी और राष्ट्रपति नासर और मार्शल टीटो के साथ बातचीत की थी और संयुक्त विज्ञप्तियां भी जारी की गई थी जिनमें सभी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को शामिल किया गया था। हाल ही की बातचीत को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही पुनः सम्मेलन

बुलाने के क्या विशेष कारण हैं ? क्या वियतनाम के मसले के लिये या अन्य किन्हीं कारणों से इस सम्मेलन को बुलाया जा रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : वास्तव में प्रधान मंत्री के इन दो स्थानों का दौरा करने से पूर्व ही इस बैठक के बारे में निर्णय कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति नासर और राष्ट्रपति टीटो के बीच और हमारे प्रधान मंत्री और इन दोनों राष्ट्रपतियों के बीच विचार-विमर्श हुआ है। इन मामलों पर एक साथ बातचीत करना इन तीनों के लिये लाभदायक होगी।

श्री दी० चं० शर्मा : चाहे इस सम्मेलन को जो भी नाम दिया जाये, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह तीन गुट-निरपेक्ष राष्टों, एक योरोप में, दूसरे अफ्रीका में और तीसरे एशिया में, का एक सम्मेलन होगा। क्या इस सम्मेलन में ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया जायेगा जिससे गुट-निरपेक्ष सिद्धान्त, जिसको हर दिन कोई न कोई धक्का लग रहा है, फिर से चमके और संसार को उन विवादों से, जो इस समय सबको क्षुब्ध बनाये हुए हैं, कोई राहत मिले ?

श्री दिनेश सिंह : यह सच है कि जिन तीन देशों का सम्मेलन हो रहा है, वे महत्वपूर्ण गुट-निरपेक्ष राष्ट्र हैं। मैंने पहले यह कहा था कि यह गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन के लिये आधार बनाने वाली बैठक नहीं थी। हमें आशा है कि इसमें गुट-निरपेक्षता और इसको सुदृढ़ करने के लिये की जाने वाली प्रभावी कार्यवाही के बारे में विचार किया जायेगा।

श्री श्रीनारायण दास : इस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव किये जाने के बाद क्या सरकार अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्र के छोटे छोटे देशों मे उत्पन्न प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दे रही है और क्या यह सच है कि इस बात को देखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने के लिये सीमित संख्या में राष्ट्रों का सम्मेलन रहा है, उनकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने पहले यह बताता था कि कुछ लोगों ने गलत फहमी पैदा करने का प्रयत्न किया है ; उसको दूर कर दिया गया है और अब कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं है।

Shri Buta Singh: I want to know whether this summit conference is being held to improve the international situation in India or the international situation of the whole world? If it is for improving the international situation of India, how far Government is hopeful with the results?

Shri Dinesh Singh: I could not understand it. This meeting of three nations is being held to discuss the serious international problems.

Shri Madhu Limaye : May I know whether the issues like helping the peoples of Rhodesia and East Bengal are going to be included in the agenda for this forthcoming three-nation conference ?

Shri Dinesh Singh : I think there will be a discussion on Rhodesia.

Shri Bibhuti Mishra : Such conferences are held oftenly. The friendship means helping a friend in need. I want to know as to what help these countries offered us at the time of Chinese attack or Pakistani attack. If they did not help us at all then what is the need of having such conferences? Is such friendship helpful to the country in any way?

Shri Dinesh Singh : It would not be proper to say that these two countries have not helped us. They gave us the help they possibly can but it is a matter of opinion to say

that the help was not sufficient. I think I cannot say anything more in this respect. Our policy in that we should try to trengthen friendly relations.

श्री कोल्ला वेंकैया : हमारी सरकार और संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार के बीच मतभेदों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रपति नासर ने वियतनाम में अमरीकी हवाई हमलों की स्पष्ट तौर पर निन्दा की है जब कि हमारे प्रधान मंत्री ने वियतनाम में शांति के बारे में अमरीका के राष्ट्रपति के विश्वास की सराहना पर की है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि जहां तक अफ्रीका का सम्बन्ध है, चीनी कार्यवाही किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है जब कि हमारे प्रवक्ता ने इससे भिन्न बात कही है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस सम्मेलन में या संयुक्त अरब गणराज्य के साथ बातचीत में इन मतभेदों के बारे में विचार किया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : यह आधार बिल्कुल गलत है ; कोई मतभेद नहीं है । मैं समझता हूं कि कुछ देशों द्वारा जिनके समाचार पत्र वे पढ़ते हैं। मतभेद पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

पादरी माइकल स्काट

*720. **श्री मधु लिमये :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 9 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1566 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पादरी मइकल स्काट ने छिपे नागाओं के पत्र को अपनी जिम्मेदारी पर अथवा इस समय निष्क्रिय हो चूके शांति मिशन के दोनों अथवा दोनों में से किसी एक सदस्य के परामर्श अथवा सहमति से बर्मा सरकार को भेजा था ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार ने शांति मिशन के अन्य सदस्य अथवा सदस्यों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जैसा कि विदेश मंत्री 12 अप्रैल 1966 को अल्पसूचना प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में और 20 अप्रैल 1966 को अपने वक्तव्य में सदन में पहले ही बता चुके है । रैवरेंड माइकल स्काट ने जो कुछ किया था वह पूरी तरह अपनी और से किया था, शांति मिशन के अन्य दो सदस्यों से किसी तरह की सलाह नहीं की थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Madhu Limaye : Have Government received some such reports that when Rev. Michael Scott was in Nagaland, he used to collect proofs, whether wrong or right, that our army are oppressing the people of Nagaland ? If reports were received, when they were received and why the Government have not taken action on that in time ?

Shri Dinesh Singh : Rev. Michael Scott was trying to this effect that we should have some material to show to the world that our army have oppressed the people there. He has also written some thing to this effect. When we came to know of this, we told him about that and later on removed him from there. Apart from that we have also refuted whatever he said.

Shri Madhu Limaye : When they came to know of this ?

Shri Dinesh Singh : I cannot give the date off hand.

Shri Madhu Limaye : Is the Hon. Minister in a position to lay on the table the details about the activities in this connection of Rev. Michael Scott in U. K. and other countries after he left India ?

Shri Dinesh Singh : I would do so.

Shri Sidheshwar Prasad : Are such proofs not with the Government that Michael Scott was indulging in anti-India activities since long and after his inclusion in the peace mission, he continued such activities. If the Government had such information, why the action was not taken to remove him earlier ?

Shri Dinesh Singh : This question has been raised in this House every now and then after Michael Scott was included in the Peace Mission and the matter has already been discussed fully.

श्री स्वैल : मैं "Underground [भूमिगत]" शब्द का अर्थ जानना चाहता हूँ। इन विद्रोही नागा दल के नेता देश में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। वे यहां दिल्ली में भी कई बार प्रधान मन्त्री के साथ बातचीत करने आये थे। फिर वे किस रूप से "Underground" [भूमिगत]" हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हम नाम बदलने के बारे में विचार करेंगे।

श्री हेम बरुआ : जब माइकेल स्काट लन्दन में मिस्टर फिजो के मेहमान थे तो वह नागा समस्या को एक अन्तर्राष्ट्रीय रूप देना चाहते थे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने तथा-कथित भारत-नागा विवाद में संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की थी। इस संदर्भ में, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से ब्रिटेन को बता दिया है कि ब्रिटेन की धरती पर माइकेल स्काट को भारत-विरोधी प्रचार का अड्डा न बनाने दिया जाये और यदि वह ऐसा करने की अनमति देते हैं तो भारत इसको राष्ट्रमंडल के एक सदस्य द्वारा अमैत्रीपूर्ण कार्य समझेगा ?

श्री दिनेश सिंह : पिछली बार एक प्रश्न के उत्तर में सभा में इस बारे में बताया गया था।

श्री हेम बरुआ : पहले अवसर पर, प्रश्न भिन्न था।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ब्रिटेन को यह बता दिया गया है कि ऐसी कार्यवाही अमैत्रीपूर्ण समझी जायेगी।

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं। हमने ऐसा नहीं कहा है।

श्री हेम बरुआ : क्यों नहीं कहा ? वे क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप तर्क नहीं कर सकते। आप केवल जानकारी मांग सकते हैं।

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that Michael Scott wrote some letters to the Prime Minister after he left India? If so, on what subjects he has written and the details of correspondence done ?

Shri Dinesh Singh : Last time I had said that he has written that some of his belongings were retained. Certain papers etc. are with us.

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माइकेल स्काट अभी भी आपत्तिजनक कार्यवाही में लगे हैं और हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हानिकारक वक्तव्य दे रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय अथवा प्रधान मन्त्री ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री को इस बारे में पत्र भेजना उचित समझते हैं कि एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा ब्रिटिश भूमि पर इस प्रकार की कार्यवाही करना बड़ा अपत्तिजनक है और राष्ट्रमंडल के हितों के विरुद्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ ने भी यही प्रश्न पूछा था।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं यह नहीं पूछ रही हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा। मैं यह नहीं जानना चाहता हूं कि वह ऐसा पत्र लिखेंगी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ लिखा गया है उसके बारे में उत्तर दे दिया गया है।

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that after Rev. Miahael Scott left India, some of his followers have become more active in Nagaland and they are continously in touch with them with the help of some neighbouring countries? If so, what measures the Government have taken to curb their such activies?

Shri Dinesh Singh : I cannot say, Sir, that we have received such reports that his followers are there.

श्री बड़े : श्री हेम बरुआ के उत्तर में उन्होंने यह कहा था कि उन्हें ब्रिटेन को ऐसा पत्र नहीं लिखा कि यह कार्यवाही अमैत्रीपूर्ण होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को क्या लिखा है, और हमारे नोट के बारे में ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : कूटनीतिक पत्र-व्यवहार में "अमैत्रीपूर्ण कार्य" का विशिष्ट अर्थ है। इसीलिये हमने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिये इस मामले पर अपने प्रधान मंत्री और ब्रिटिश प्रधान मंत्री के बीच हुए पत्र-व्यवहार का ब्यौरा देना उचित नहीं हैं।

कच्छ न्यायाधिकरण

+

*721. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री द्वारका दास मन्त्री :**

श्री हरि विष्णु कामत : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ न्यायाधिकरण ने, जो भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के कुछ इलाकों के बारे में विवाद को निपटाने के लिये नियुक्त किया गया था, अब तक क्या प्रगति की है; और

(ख) कच्छ न्यायाधिकरण द्वारा कब तक अपना निर्णय दिये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान ने 1 जून 1966 को अपने-अपने स्मरणपत्र ट्रिब्युनल के समक्ष पेश किये थे और 1 अगस्त 1966 को प्रति-स्मरणपत्र । अगर उन्होंने कोई अंतिम स्मरणपत्र पेश किए तो वे 1 सितंबर 1666 से पहले कर देंगे ट्रिब्युनल के सामने मौखिक सुनवाई 15 सितंबर 1966 को शुरू हो जाएगी। मौखिक सुनवाई पूरी हो जाने के बाद ट्रिब्युनल अपना फैसला देगा।

Shri Vishwanath Pandey : May I know whether the original and translated documents in connection with presenting our case before the Kutch Tribunal are lost and the Government are facing difficulties in presenting their case?

श्री स्वर्ण सिंह : कल भी यह मामला उठा था और सरकार की ओर से यह बता दिया गया था कि सभी सम्बन्धित कागज एकत्र कर लिये गये हैं। ये कागजात बहुत ज्यादा है। हमारे पास विधि-विशेषज्ञों का एक दल है जो महान्यायवादी के परामर्श से कार्य कर रहा है। उनकी सहायता श्री चटर्जी, जो इस सभा के सदस्य हैं कर रहें हैं और उन्होंने सभी सम्बन्धित कागजात एकत्र कर लिये हैं।

Shri Vishwanath Pandey : The Hon. Minister has just now said that the work of presenting our case has been entrusted to the Attorney-General. I want to know whether some other persons have been invited so assist him in this respect?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं बता चुका हूँ कि इस दल में श्री चटर्जी भी शामिल हैं। एक अन्य ख्याति प्राप्त अधिवक्ता, श्री पालकीवाला भी इस दल के सदस्य हैं। गुजरात के महाधिवक्ता भी इसमें होंगें।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या केवल गुप्तचर विभाग से ही नहीं बल्कि अन्य सभी सक्षम साधनों से कोई ऐसे समाचार मिले हैं, कि पाकिस्तान सरकार कच्छ सिन्ध सीमा पर अपनी सेनायें बढ़ा रही है और उसका कुछ भाग कच्छ की खाड़ी में भेज रही है, यदि हाँ, तो क्या यह आशंका की जा सकती है कि जब कि न्यायाधिकरण जेनेवा में विवाद निपटाने में लगा है, पाकिस्तान अचानक कच्छ की खाड़ी में आक्रमण कर सकता है और इस प्रकार क्या सरकार इस करार को समाप्त करने, न्यायाधिकरण की उपेक्षा करने और युद्ध करने के लिये तैयार हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

श्री हरि विष्णु कामत : नहीं, नहीं। यह प्रश्न उत्पन्न होता है क्योंकि समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इसका न्यायाधिकरण से संबंध है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वे न्यायाधिकरण की उपेक्षा करने तथा शक्ति का सामना शक्ति से करने के लिये तैयार हैं? क्या वे ऐसा करने के लिये तैयार हैं? पिछले वर्ष उन्होंने कच्छ पर आक्रमण कर दिया और फिर काश्मीर में गड़बड़ हो गई। इतिहास अपने आप को स्वयं दोहराता है, इस सरकार की कमजोरी को धन्यवाद......

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक अलग प्रश्न है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिये परन्तु न्यायाधिकरण की कार्यवाही से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : न्यायाधिकरण तो वहाँ बैठा हुआ है। मैंने कहा : यदि ऐसे समाचार.........

अध्यक्ष महोदय : न्यायाधिकरण ने उस मामले का फैसला करना है जो उसके समक्ष लाया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि पाकिस्तान आक्रमण कर देता है तो इस मामले में....

अध्यक्ष महोदय : इससे न्यायाधिकरण का कोई सम्बन्ध नहीं है......

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, आप अपनी मर्जी से कार्य कीजिये। हम इसे बाद में ले लेंगे।

Shri Bhagwat Jha Azad : Have Government received any information that the likelihood delay in the decision of the International Court is due to this fact that some Western nations particularly England has given an assurance to Pakistan that they will support them in connection with the Kutch dispute and it was due to this fact that Shri Zafarullah Khan of Pakistan remained neutral in the International Court on the issue of Western Africa?

श्री स्वर्ण सिंह : महोदय, माननीय सदस्य को निःसन्देह इस बात का पता होगा कि यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विचाराधीन न होकर एक विशेष न्यायाधिकरण के विचाराधीन है और इसका गठन बिल्कुल ही भिन्न है। हमें ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि इंगलैण्ड ने पाकिस्तान को इस मामले में सहायता देने का कोई आश्वासन दिया है और मैं नहीं समझता कि वे कभी कोई ऐसी बात करेंगे जब कोई मामला एक इस प्रकार के न्यायाधिकरण के विचाराधीन हो।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या कच्छ के महाराव ने सरकार को अपनी सेवायें अर्पित करने तथा जानकारी देने की पेशकश की है और क्या सरकार ने उनकी सेवाओं तथा अभिलेखों का उपयोग किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, हाँ, हम कच्छ के महराव से सम्पर्क जोड़े हुए हैं।

Shri Yashpal Singh : When Pakistan is refusing to honour the Tashkent Declaration and they are saying that Kashmir dispute will have to be settled in the first instance and only thereafter any other problem can be taken up for settlement and they say categorically that except Kashmir there is no other problem between India and Pakistan, then what is the use of spending lakhs of rupees in presenting the case before the Tribunal? This has not been explained by the Government.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि ताशकन्द समझौता तथा कच्छ सम्बन्धी समझौते में कोई परस्पर विरोध है। हमें ऐसे सभी अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों से इन्कार नहीं करना चाहिये और हमें उन्हें एक के बाद दूसरे को रद्द करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण

+

*722. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी के अतिरिक्त सभी चौदह प्रादेशिक भाषाओं में आकाशवाणी से कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये समान अवसर दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) (क) और (ख) आकाशवाणी की हमेशा ही यह नीति रही है कि वह अपने प्रसारणों को भारत की, हिन्दी को मिलाकर सभी चौदह भाषाओं में प्रसारित करे। आकाशवाणी का प्रत्येक प्रादेशिक केन्द्र अपना अधिक समय अपने प्रदेश की भाषा के प्रसारण को देता है और अपने क्षेत्र की साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परम्पराओं को व्यक्त करने में विशेष ध्यान देता है। इस प्रकार आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से देश की सभी भाषायें पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित होती है।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या दक्षिण से कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं कि आकाशवाणी कार्यक्रमों में कन्नड़, तेलुगु, तामिल तथा मलयालम में प्रसारणों के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया जाता ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : हमें ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रादेशिक केन्द्रों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या प्रसारण केन्द्रों में अंग्रेजी जानने वालों के अलावा जो अन्य कर्मचारी हैं उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को भी पर्याप्त वेतन दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : हमें इस बात का पता है कि प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण करने वाले स्टाफ कलाकारों अथवा कर्मचारियों को वही वेतनक्रम नहीं दिया जा रहा है जो अंग्रेजी भाषा में प्रसारण करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है। इस मामले पर विचार किया जाना है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : माननीय उपमंत्री ने अभी बताया कि प्रसारण मन्त्री चौदह भाषाओं में किया जाता है। क्या सरकार यह जानती है कि आसाम में जहां बहुत से बंगला भाषी लोग रहते हैं बंगला कार्यक्रम को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : नीति यह है कि प्रत्येक केन्द्र को सम्बद्ध प्रादेशिक भाषाओं को पर्याप्त समय देना पड़ता है। इन प्रादेशिक भाषाओं में ऐसी भाषायें और बोलियां भी शामिल है जो जनसंख्या के महत्वपूर्ण वर्गों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Has Government ever tried to see that the time given to English broadcasts from regional stations is in proprortion to the population of English knowing people in the respective regions and if so, the increase affected in the number of programmes in the regional languages by reducing the number of English programmes ?

Shri Raj Bahadur : In reply to a short notice question, I nad, once, stated that on the whole the number of programmes in English language comes to about 3 percent of the total number of programmes.........

Shri Prakash Vir Shastri : From each regional station separately.

Shri Raj Bahadur : Excepting the news bulletins and other important talks from the regional stations, I think, due importance is given to programmes in regional languages. How for English programmes can be reduced, it is a separate thing.

Shri M. L. Dwivedi : Shri Linga Reddi has just asked that the employees dealing with the regional languages are not paid sufficiently. Is it not a fact that they are not only

paid insufficiently but the higher posts are also not given to them as a result of which all the higher posts such as Editors, Directors, etc. in the All India Radio are held by those officers who deal with the English language and the employes dealing with regional languages are considered to be of lower ranks ?

Shri Raj Bahadur : There is such a feeling but it is not quite correct. The employees dealing with regional languages are also appointed to the important posts keeping in view the number of such posts and the duties they have to carry out.

श्री स्वैल : आकाशवाणी की पारिभाषिक शब्दावलि में भाषा और बोली में क्या अन्तर है ?

श्री राज बहादुर : मेरे विचार में इस बारे में शब्दकोष में जो अर्थ दिये हुए हैं वह बिलकुल स्पष्ट हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad : Have Government heard the complaint made by an Hon. Member of this House that Kannad, Telgu, Tamil and Malayalam broadcasts are not given sufficient opportuinties in the AIR programmes and if it is not so, is it not a fact that these four languages are not getting due importance in the national and regional programmes of AIR whereas English is being given more importance ?

Shri Raj Bahadur: So far as different language-speaking radio stations are concerned, their main duty is this that they should broadcast programmes in the respective regional languages and originally they are broadcast in those languages. So for as reduction in the ratio of English programmes is concerned, it is a separate question which can be considered on the basis of its requirements.

Shri Ram Sewak Yadav : Are important programmes broadcast in Sindhi language from those radio stations which are situated in such States where Sindhis have settled down ?

Shri Raj Bahadur : Arrangements for such programmes have been made at those places where the number of Sindhi speaking citizens is great.

श्री कपूर सिंह : क्या सभी चौदह भाषाओं को समान महत्व देने के इस सिद्धान्त को प्रादेशिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनैतिक दलों को समान अवसर देने के सिद्धान्त तक विस्तृत करने का इरादा है ?

श्री राज बहादुर : मेरे विचार में आकाशवाणी का कार्य अपने दैनिक कार्यक्रमों में संस्कृति का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करना है तथा ऐसी जानकारी देना है जो राजनैतिक दलों के आधार पर न हों कर वास्तविक हो और आवश्यकता के अनुसार हो।

Shri Abdul Gani Goni: The announcements made from Radio Stations, Kashmir are: This is Radio Kashmir, Srinagar, Jammu whereas while making announcements from other stations, All India Radio is linked with the stations such as this is All India Radio, Allahabad etc. Have Government given any thought to this matter that such announcements should also be made from there that this is All India Radio, Srinagar or this is All India Radio, Jammu ?

Shri Raj Bahadur : This name has been going on since long and we people.........

Shri Prakash Vir Shastri: This is awrong name.

Shri Raj Bahadur: I am aware of this feeling. But whatever, is the decision, it can be taken only in consultation with the Chief Minister of Jammu and Kashmir,

आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से देहाती कार्यक्रम का प्रसारण

+

*723. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र ने "अनुभव से बोल" शीर्षक से देहाती प्रसारण कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत विशेषकर ऐसे विख्यात व्यक्तियों द्वारा चावल उत्पादन, ऋण संबंधी सुविधाओं तथा वन विज्ञान जैसे विषयों पर भाषण कराये जाते हैं जिन्हें कि इन विषयों का व्यक्तिगत ज्ञान है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम की अन्य क्षेत्रों में भी प्रसारण करने की कोई योजना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) 1966 में अन्तर्राष्ट्रीय चावल वर्ष मनाने के सिलसिले में आकाशवाणी का नागपुर केन्द्र चावल विशेषज्ञों द्वारा विदर्भ में चावल की खेती के विभिन्न पहलुओं पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कुछ प्रसारणों में ऋण की सुविधाओं के बारे में भी बताया गया है।

(ख) इस प्रकार के कार्यक्रम आकाशवाणी के अन्य प्रादेशिक केन्द्रों से भी प्रसारित किये जाते हैं।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the programme for paddy production or credit facilities or forestry under the caption **"Anubhav se bol"** is being broadcast with the help of Government employees or other people, who have knowledge of these things, whether they are agriculturists or otherwise, or both ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): It is what we are attempting to do. We are also trying to broadcast such programmes under the caption "Farmers Forum" arrangements for which have been made at the stations.

Shri Bibhuti Mishra : Most of the agriculturists in our country know only the dilects which are spoken in villages, they neither know difficult Hindi nor English. So far as broadcasting of programmes from these stations is concerned, are Govrnment making arrangements fot proadcasting these programmes in the dialects which are spoken in the respective rurarl areas ?

Shri Raj Bahadur : It is what we are attempting to do in the rural programmes and also in the new programme of Farmers Forum. The questions of agriculturists are sent to the Radio stations and their answers are given through this programme. We see that views and experiences are exchanged in this way and thus help the farmers to augment the agricultural production. It is what we are attempting to do.

Shri Bibhuti Mishra : In Bihar, there are three languages namely Bhojpuri, Maithili and Bagri, Are you making efforts to broadcast these rural programmes for paddy production, forestry and credit facilities from Patna Radio Station or Ranchi Radio Station in these three langu ges so that the farmers there are able to get correct information about these things ?

Shri Raj Bahadur : In have heard rural programmes which are broadcast from Delhi but I have never heard Patna station. In Delhi, during the rural programmes efforts

are made to speak in Harianavi language and Brij languag which are our languages of Delhi. So far as other places are concerned, I can only say after ascertaining the facts from there.

Shri Yudhvir Singh : Is it Harianavi language or any other language of his own choice which is used while broadcasting programmes for the benefi of farmers regarding crops, seeds and livestock ?

Shri Raj Bahadur : I have an opportunity to hear these programmes. In the programmes for rural areas, they speak in their own language i. e. Harianavi language..

Shri Yudhvir Singh : Officers also ?

Shri Raj Bahadur : We do not press them that they should speak in Haranavi or Brij or Hindi.

Shri Brij Bihari Mehrotra : The programmes for the benefit of farmers should be broadcast in the regional languages of the respective regional stations.

Shri Raj Bahadur : The suggestion of the Hon. member is good one.

Programme of Advisory Committees for A. I. R. Stations

+

*724. **Shri S. C. Samanta: Shri Bhagwat Jha Azad : Shri M. L. Dwivedi: Shri Subodh Hansda:**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the basis and principles on which the Programme Advisory Committees have been formed in Delhi and others tations of A. I. R.

(b) the terms of membership of those Committees and the authority competent to accept or reject their decisions;

(c) whether certain members have been nominated to those Committees for more than two or three terms; and

(d) if so, the names of such members of the Programme Advisory Committee for Delhi Station?

The Minister of Information & Broadcasting (Shri Raj Bahadur):

(a) The Programme Advisory Committees have been formed at A. I. R. stations for keeping the Director General, All India Radio in touch with the local public opinion in the matter of programme planning and to advise him on such matters pertaining thereto as may be referred to the Committees.

(b) The members are nominated for a term of two years but are eligible for re-nomination on these Committees for further terms. The Director General, All India Radio is the competent authority to accept or reject the decisions of these Committees. Mostly the decisions are accepted and implemented accordingly. In very rare cases, when it is not possible to accept and implement the decisions, the reasons for doing so are explained to the Committee at its next meeting.

(c) Yes, Sir. This is done only when it is felt that the member has proved exceptionally useful and his continuance would benefit the Station. He is, however, replaced when some one equally competent can be appointed on the Committee.

(d) (i) Shri Gopinath Aman.

(ii) Smt. Satyawati Malik.

श्री स० चं० सामन्त : क्या मंत्री महोदय, से आकाशवाणी के महानिदेशक के निर्णय के विरुद्ध कोई शिकायत की गई है और यदि हां, तो उन्होंने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि मैंने सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में बतलाया कि सलाहकार समिति द्वारा की गई लगभग सभी सिफारिशें स्वीकृत एवं कार्यान्वित हो गई हैं। यदि कोई मामला माननीय सदस्य के ध्यान में लाया गया हो तो मैं उस पर अवश्य विचार करूंगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इन कार्यक्रम सलाहकार समितियों में विधायकों को शामिल करने के लिये भी इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : मुझे इस वक्त किसी ऐसे सुझाव की जानकारी नहीं है।

Shri M.L. Dwivedi : As programmes are broadcast in various Provincial languages, apart from Hindi and English, from Delhi Radio station, I would like to know whether various Provincial linguists are included in these Advisory Committees? If not, what are the reasons therefor?

Shri Raj Bahadur : We try our best to include the linguists in these committees.

Shri Bhagwat Jha Azad: In part (c) of the State laid on the table of this House by the hon. Minister it is stated that such persons are only nominated again and again when it is felt that the member has proved exceptionally useful but when equally competent person is available, he is replaced. I would like to know whether there is no other equally competent person could be available in Delhi that he has been nominated again and again.

Shri Raj Bahadur : I do not want to go into persons but I would say that Shri Gopinath Aman is a reputed Urdu poet and further more ......

Shri Bhagwat Jha Azad : I have put a question regarding part (c) of his statement.

Shri Raj Bahadur: We have tried to include him because apart from his being a poet, he is the Chairman of Public Relations Committee of Delhi Administration.

Shri D.C. Sharma: He is a very good man. He should be included.

श्री सुबोध हंसदा : आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से आदिम जातियों के लिये कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

क्या आदिमजाति-कार्यक्रमों के लिये भी कोई सलाहकार समिति है ?

श्री राज बहादुर : सभी आदिमजाति-कार्यक्रमों के लिये सलाहकार समिति नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी

*725. **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री तुला राम : **श्री यशपाल सिंह** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री लीलाधर कटकी** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपनी अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी स्थापित करने के बारे में कोई कार्यवाही करने के लिये विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या गुटों से बाहर रहने वाले देशों के साथ तालमेल स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या श्री राज बहादुर के नेतृत्व में भारत सरकार एक समाचार एजेंसी के जरिये विदेशों में भारत का सही रूप प्रस्तुत करना उचित नहीं समझती ?

श्री राज बहादुर : प्रश्न देश में अपनी अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की स्थाप्ना के बारे में है और प्रेस आयोग ने सलाह दी थी कि जहां तक सरकार का सम्बंध है उसकी अपनी प्रथा उसके द्वारा नियंत्रित समाचार एजेंसी नहीं होनी चाहिये । इस सम्बंध में हमारे देश की समाचार एजेंसियों—पी० टी० आई०, यू० एन० आई० और एन० ए० एफ० ई० एन० –को रुचि लेनी चाहिये और हम हमेशा इस विशेष मामले में सहयोग के लिये उन्हें हमेशा प्रोत्साहन देंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या भारत सरकार हमारे देश का सही रूप प्रस्तुत करने के हेतु पी० टी० आई०, यू० एन० आई० और अन्य समाचार एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न कर रही है ताकि वे इस देश से अन्य देशों को तथा अन्य देशों से इस देश को अच्छे समाचार दे सके और क्या सरकार उदाहरण के लिये पी० टी० आई० को, जिसके विश्व के प्रायः सभी बड़े देशों में प्रतिनिधि हैं, इस प्रयोजन के लिये राज सहायता देगी ?

श्री राज बहादुर सिंह : जहां तक विदेशों में पी० टी० आई के संवाददाताओं का संबंध है, जिन विभिन्न देशों में उन्हें भेजा गया है उनसे वहां से सही तथा अच्छे समाचर भेजने की आशा की जाती है ।

लेकिन जहां तक भारत से विदेशों को समाचार भेजने का सम्बन्ध है, यह ठीक है, यह अधिकांशतः यहाँ पर काम करने वाली विदेशी समाचार एजेन्सियों पर निर्भर है और हमारा यह प्रयास रहता है कि समाचारों को तोड़ा-मरोड़ा न जाये, लेकिन ये विदेशी समाचार एजेन्सियां स्वतंत्र हैं । हम इस विशेष मामले में भारतीय समाचार एजेन्सियों की सहायता करेंगे तथा उनको प्रोत्साहन देंगे ।

Shri Vishwa Nath Pandey : It has been noticed that in case of distirbution of news to India from other countries that too much time is lost in transmission and receipt and news from India pertaining to many basic issues are distorted. In view of this is it envisagod to set up an international news agency who should function in the interest of the country?

Shri Raj Bahadur : The grievance voiced by the hon. Member is reasonable to some extent. It has been our experiene that on many occasions news about India on basic issues were not correctly reported but were given a distorted version,

which were against our interest. Therefore, we tried to draw their attention to it and we are taking all possible steps in this direction.

Shri Yashpal Singh : Why should not Government set up its own agency instead of encouraging the initiative by others ? Anti-Indian propoganda is going on in foreign countries. Begging by India for food from other countries on one hand and its claim disassociating itself from their bloc on the other hand sounds ridiculous.

Shri Raj Bahadur : In accordance with the recommendation of the Press Commission Government should not have any agency of its own or any agency controlled by it. As such we will have to depend on and encourgage the international agencies that we have got.

श्री हेम बरुआ : क्या हमारी सरकार को यह मालूम है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेन्सी न होने के कारण नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र यहाँ पर स्थित सोबियत दूतावास के माध्यम से मास्को से समाचार मंगाता है और यदि हां, तो क्या सरकार को इससे डाक तथा तार विभाग को होने वाली हानि के बारे में जानकारी है और नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले इस समाचारपत्र के मामले में इस भिन्न व्यवस्था के क्या कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं उन्हें समाचारपत्र का नाम बताऊं ?

अध्यक्ष महोदय : वे मंत्री महोदय को पत्र लिख सकते हैं ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिये एक भारतीय एजेन्सी की अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस कार्य के लिये कम से कम कुछ प्रमुख गैर-सरकारी एजेन्सियों को प्रायोजित करेंगे ताकि यथा संभव शीघ्र अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी स्थापित हो सके ?

श्री राज बहादुर : हमारा प्रयास तो विभिन्न देशों में—उदाहरण के लिये यूगोस्लाविया अथवा संयुक्त अरब गणराज्य अथवा पूर्वी अफ्रीका के देशों अथवा अफ्रीका के देशों में—समाचार एजेन्सियों के साथ सहयोग करने में अपनी समाचार एजेन्सियों को प्रोत्साहन देने का होगा ताकि एक देश से दूसरे देश को पारस्परिक आधार पर सही तथा बिना तोड़-मरोड़े समाचार भेजे जा सकें ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it not a fact that Government is paying a very big amount to a double-faced news agency Reuter who has reported in foreign countries against India during the Pak aggression on India ? Why does not the Government give such help to news agencies in the country such as 'Samachar Bharati' so that they may merge as an international news agency ?

Shri Raj Bahadur : It will be very difficult for us to dispense with Rueter or such other agencies, who distribute news to the entire English press in almost all the countries until and unless we have a parallel organisation of our own. This point was raised earlier also and it is a genuine complaint.

कीनिया से देशनिष्कासित भारतीय मूलक लोग

\+

*742. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** **श्री राम सेवक यादव :**

श्री हरि विष्णु कामत : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री बड़े : **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री सोलंकी :**

श्री प्रिय गुप्त : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीनिया सरकार ने भारतीय मूलक छ: व्यक्तियों को हाल में देश निकाला दिया है और उन्हें तुरन्त देश छोड़ देने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि देशनिष्कासित इन छ: व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक अथवा राष्ट्रजन नहीं है फिर भी उन छ: व्यक्तियों को भारत भेजा गया है अथवा भेजा जा रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) एक ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6945/66]

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : कीनिया को स्वतंत्रता प्राप्त होने से अब तक भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों का वहां से निष्कासन किया गया और उनमें से कितने व्यक्ति भारत के हैं तथा कितने पाकिस्तान में चले जाने वाले भाग के हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक मुझे याद पड़ता है भारत को इतने अधिक लोगों को भारत निष्कासित करने का यह पहला अवसर है। उनकी संख्या विवरण में दी गई है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय वहां की राजनैतिक स्थिति भारत मूल के लोगों के विरुद्ध तथा शत्रुता वैमनस्यपूर्ण होती जा रही है और संभव है कि निकट भविष्य और अधिक लोगों को निष्कासित किया जाये, क्या सरकार विचार हमारे देश के कानूनों में उपयुक्त संशोधन तथा परिवर्तन करने का है ताकि बाध्य किये जाने पर इन लोगों का भारत वापस आना सुविधाजनक हो जाये ?

श्री दिनेश सिंह : विदेशों में भारतीय मूल के लोगों के बारे में इस सभा में काफी चर्चा हो चुकी है। यह एक कठिन समस्या है। भारतीय मूल के लोगों का मानवीय पहलू भी है और उनके साथ हमारा निकट सम्बन्ध भी है। फिर भी यह राजनैतिक प्रश्न है, जिससे उन देशों में उनके भविष्य का सम्बन्ध है। लोग वहां जाकर सदियों पहले बस गये हैं और वहां के नागरिक बन चुके हैं। इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करना अत्यन्त कठिन होगा क्योंकि इससे उनका वहां ठहरना और भी मुश्किल हो जायेगा। हमें इसके लिये भरसक सहायता करनी है कि जिन देशों में रहने का उन्होंने निर्णय किया है, वहां का वे अंग बन जाये।

हमारे विचार में हमें अपने नागरिकता कानूनों में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या कुछ वर्ष पहले कीनिया को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उस देश में एशियाई लोगों के विरुद्ध भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो क्या यह सभी श्रेणियों के एशियाई लोगों के विरुद्ध है, अथवा केवल विशेष वर्गों, व्यापारियों अथवा उस प्रकार के अन्य वर्गों के विरुद्ध है ? यदि हां, तो जहां तक भारतीय मूल के लोगों का सम्बन्ध है, क्या सरकार का विचार इस बात को देखते हुए कि भारत और कीनिया दोनों ही राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं, इस मामले को लन्दन में होने वाले आगामी राष्ट्रमण्डल प्रधान मन्त्री सम्मेलन में उठाने का है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं समझता कि राष्ट्रमण्डल प्रधान मन्त्री सम्मेलन इसके लिये सबसे अच्छा 'फोरम' है। यह तो पक्षों के बीच मामला है, जिस पर हमें कीनिया सरकार से बातचीत करनी है।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति जोमो केनयाट्टा ने एक सार्वजनिक सभा में यह स्पष्ट कर दिया है, जैसा कि कल के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, कि केवल भारतीयों को ही नहीं निकाला जा रहा है और तोड़फोड़ करने वाले सभी लोगों को निकाला जा रहा है चाहे वे एशियाई के हो अथवा अरब के हो अथवा यूरोप के हो।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न यह नहीं है कि इस बात पर विचार करने के लिये यह सबसे अच्छा अथवा अच्छा अथवा बुरा फोरम होगा, प्रश्न यह नहीं है। यह सबसे अच्छा फोरम न हो लेकिन क्या वह काफी अच्छा फोरम नहीं होगा ?

श्री दिनेश सिंह : जब मैंने कहा कि यह सबसे अच्छा फोरम नहीं है तो इससे साफ मतलब था कि हम इसे नहीं उठायेंगे। ये दो पक्षों के बीच का मामला है जिस पर दोनों देशों के बीच बातचीत की जा सकती है।

श्री रंगा : इन लोगों तथा बहुत से अन्य भारतीयों, जो कीनिया में बस गये थे, वहां की नागरिकता स्वीकार कर ली थी और उनमें से बहुत से वहीं पैदा हुए और बड़े हुए। इसलिये उन्हें भारत भेजने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वे भारतीय नागरिक हैं ही नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस विशेष कठिनाई की ओर ध्यान दिलाने के हेतु हमारी सरकार ने कीनिया सरकार को अभ्यावेदन भेजा है अथवा भेजने का विचार है ? अगर वे कीनिया के कानूनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करते हैं, तो वे उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाये लेकिन उन्हें क्यों भारत भेजे जाने दें ?

श्री दिनेश सिंह : मैं कह चुका हूं विवरण में कहा गया है कि हमने विरोध किया है कि उन्हें यहां नहीं भेजा जाना चाहिए।

श्री रंगा : इसके लिये एक अच्छा अवसर है कि इस मामले को राष्ट्रमंडल प्रधान मन्त्री सम्मेलन में उठाया जाये राष्ट्रमंडल के सम्बन्धों के जरिये उस सरकार को सद-व्यवहार करने के लिये राजी कराया जाये।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : हाल में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि 60 वर्ष की आयु के दो व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी भी राजनैतिक कार्यवाही में भाग नहीं लिया था और केवल

व्यापारी ही थे भारत भेज दिया गया था। क्या सरकार ने इस मामले में कीनिया सरकार से लिखा पढ़ी की है और विरोध प्रकट किया है कि यह निष्कासन अकारण था और यदि हां, तो कीनिया सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : किसी अन्य देश से गैर-भारतीय नागरिकों के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रश्न तो यह उत्पन्न हुआ कि क्या उन्हें भारत भेजा जाना चाहिए और यह हमने उठाया। पर्याप्त साक्ष्य था या नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, यह तो कीनिया सरकार उनके कानूनों के लिये हैं।

Shri Bade : It is a fact that when Government of India protested to Kenya Government against deportation of these persons, they said that it would be considered an unfriendly act and that Government of India could not interfere with it? If so, what is Government's reaction thereto ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, it is not correct.

श्री दी० चं० शर्मा : ब्रिटेन ने भारत में अपने उच्चायुक्त के रूप में उच्च श्रेणी के पत्रकार को भेजा था और उसका अनुसरण करते हुए हमने भी उच्च श्रेणी के अपने एक पत्रकार को कीनिया में उच्चायुक्त नियुक्त किया। क्या नैरोबी में हमारे उच्चायुक्त और कीनिया के राष्ट्रपति श्री जोमो केनयाट्टा के बीच इस समस्या के बारे में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकाला और हमारे उच्चायुक्त इस मामले में आगे कीनिया सरकार से आगे क्या बातचीत कर रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : श्री जोमो केनयाट्टा के साथ कोई पत्रव्यवहार नहीं हुआ है और न ही एक राजदूत द्वारा राज्याध्यक्ष के साथ पत्रव्यवहार करने की परम्परा है। ऐसे मामलों पर विदेश कार्यालय से बातचीत की जाती है। इन मामलों को हल करने के लिये हमारे उच्चायुक्त बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं तो समझता हूं कि परिणाम यह हुआ है; छः व्यक्तियों को निकाल दिया गया है और उनमें से दो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उच्चायोग यह काम कर रहा है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या सरकार परामर्श के लिये उच्चायुक्त को यहां बुलाने का विचार कर रही है ताकि समस्या के मूल कारण का पता लगाया जा सके ?

कुछ माननीय सदस्य : वे तो पहले ही यहां हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : बहुत समय तक श्री जोमो केनयाट्टा के नेतृत्व स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार सीधे श्री केनयाट्टा से बातचीत करने में शर्म क्यों महसूस करती है, जैसा कि मंत्री महोदय के उत्तर से आभास होता है ...(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : किसी से बातचीत करने के मामले में शर्म की कोई बात नहीं है। हममें से बहुत से लोगों को जो कीनिया गये थे, श्री केनयाट्टा से इस मामले में बातचीत करने का अवसर मिला था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भारतीय के साथ भेदभाव नहीं किया

जायेगा तथा उन्होंने फिर सार्वजनिक रूप से कहा कि भारतीयों अथवा भारतीय मूल के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

श्री दीं० चं० शर्मा : माननीय राज्य मंत्री ने कहा कि उच्चायुक्त इन प्रश्नों को राज्याध्यक्ष के साथ नहीं उठा सका। अगर वह यह नहीं कर सके, तो वे वहां किस लिये हैं ? उच्चायुक्त के कर्त्तव्य क्या हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने यह नहीं कहा कि इस मामले पर राज्याध्यक्ष से बातचीत नहीं की जा सकी। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि ऐसे मामलों में राज्याध्यक्ष से बातचीत करने की परम्परा नहीं है। मैं अब भी इस पर दृढ़ हूं।

अल्प सूचना प्रश्न

Short Notice Question.

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 19

भारत का धातु निगम लिमिटेड

+

अ० सू० प्र० 19 **श्रीमती सावित्री निगम :**　　　　　　**श्री स० चं० सामन्त :**

श्री सिंहासन सिंह :

क्या **खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का धातु निगम (उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम संख्या 44) पंजाब के उच्च न्यायालय की सकिट बैंच, नई दिल्ली में अकृत और शून्य घोषित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जिस दिन से इस निगम को अर्जित किया गया है तब से जस्ते और दूसरे कच्चे माल का उत्पादन बिल्कुल बन्द हो गया है ; और

(ग) यदि हां तो, इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० क० डे) :(क) जी हां। परन्तु पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है।

(ख) जी नहीं। शीशा-धातु और जस्ता संकेन्द्रकों का उत्पादन लगातार जारी रहा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती सवित्री निगम : क्या इस सम्बन्ध में धातु निगम का राष्ट्रीयकरण करने के लिये मंत्रिमण्डल की आर्थिक उप-समिति नियुक्त की गई थी तथा क्या इस समिति ने अकेले किसी संगठन के राष्ट्रीयकरण के लिये कानून बनाने के विचार को ही अस्वीकृत कर दिया ? यदि हां, तो इसका राष्ट्रीयकरण ऐसे समय पर किन परिस्थितियों में किया गया जब कि मंत्रि-मण्डल की आर्थिक उप-समिति के सभी सदस्य बाहर गये हुये थे ?

श्री सु० कु० डे : मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मैं यह आप से ही सुन रहा हूँ कि उप-समिति ने इसे अस्वीकार किया था। यह तो स्पष्ट ही है कि मंत्रिमण्डल की पूरी स्वी-

कृति के बिना राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता था और स्वीकृति ले ली गई थी। संसद में भी एक विधेयक पर विचार हो रहा था और इसी को कानून का रूप दे दिया गया था।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस विधेयक को उच्च न्यायालय द्वारा अकृत और शून्य घोषित किया गया था और अभी सर्वोच्च न्यायालय में इस सम्बन्ध में एक अपील अनिर्णीत स्थिति में है ? क्या जस्ते का वह सारा उत्पादन जो कच्चे जस्ते को जापान भेजकर होता था बिल्कुल बंद कर दिया था तथा क्या राष्ट्रीयकरण किये जाने के समय पर इस संगठन से बातचीत चल रही थी और श्री धर्मवीर को सर्वसम्मत हल ढूंढने का काम सौंपा गया था ?

श्री सु० कु० डे : मैं नहीं जानता कि श्री धर्मवीर फर्म से किस सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे; किन्तु मैं यह जानता हूँ कि सरकार का क्षतिपूर्ति देने का विचार था जिसकी कि संसद ने स्वीकृति दी थी और जिसको कानून में भी शामिल किया गया था। पंजाब उच्च न्यायालय ने इस कानून को इस कारण से अकृत और शून्य घोषित कर दिया कि क्षतिपूर्ति की राशि पर्याप्त नहीं है। इसलिये हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मुझे कहना है कि हमने कच्ची धातु का उत्पादन बन्द नहीं किया है कच्चे जस्ते और सीसे का उत्पादन हो रहा है। निगम के हस्तांतरण के बाद उत्पादन कुछ गिर गया। था प्रशासन में परिवर्तन आने पर यह अवश्यंभावी होता है; किन्तु अब सब कुछ ठीक चल रहा है।

श्री सिंहासन सिंह : क्या इस अधिनियम को क्षतिपूर्ति की बात पर ही अकृत और शून्य घोषित किया गया है और यदि सर्वोच्च न्यायालय की भी यही राय है, तो क्या सरकार का संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था करने का विचार है कि भूमि संबंधी क्षतिपूर्ति आदि की कार्यवाहियों को किसी न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती ?

श्री सु० कु० डे : संविधान में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मेरे विचार में इसमें कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं है। किन्तु यदि सर्वोच्च न्यायालय हमारे विरुद्ध निर्णय करता है तो आगे की कार्यवाही पर विचार करेंगे। हमे इसके संबंध में पूर्व-धारणा नहीं बनानी चाहिये।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि धातु निगम ने स्वयं अपनी सम्पत्ति को भारत सरकार को हस्तान्तरित किया और यदि हां, तो सरकार ने इन्कार क्यों किया।

श्री सु० कु० डे : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आदिम जातीय कार्यक्रम

*726. **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जातीय कार्यक्रम की आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से सभी आदिम जातीय बोलियों में प्रसारित किया जाता है?

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कितनी देर प्रसारित किया जाता है;

(ग) इन बोलियों में किस प्रकार का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है; और

(घ) क्या आदिम जातियों के नेता भी इन कार्यक्रमों में कोई भाग लेते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। आदिवासियों के लिए कार्यक्रम नियमितरूप से आकाशवाणी के 9 केन्द्रों से, वहां प्रचलित मुख्य बोलियों में प्रसारित किए जाते हैं। इन केन्द्रों के नाम हैं—गुवाहाटी, पासीघाट, कलकत्ता, कोहिमा, रांची, बंगलौर, शिमला, कटक, और इम्फाल।

(ख) स्थानीय स्थिति और उपलब्ध समय के अनुसार इन कार्यक्रमों की अवधि विभिन्न केन्द्रों में भिन्न भिन्न होती है।

(ग) इन कार्यक्रमों में संगीत, सूचनाप्रद वार्ता, समाचार, रूपक, नाटक, मुलाक, आदि होते हैं।

(घ) जी, हां।

अखबारी कागज की सप्लाई के लिये राज सहायता

*727. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री राम हरख यादव :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : **श्री द्वारका दास मन्त्री :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के कारण समाचारपत्रों को हो रही कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये 9 जून, 1966 को समाचारपत्रों का कोई एक-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल उन्हें मिला था और उसने अनुरोध किया था कि अखबारी कागज की सप्लाई के लिये राज सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां।

(ख) सरकार अखबारों को सीधे सहायता देने के पक्ष में नहीं है। समाचार-पत्र उद्योग को राहत देने के लिए कुछ उपाय पहले ही किये जा चुके हैं और कुछ और विचाराधीन है।

भारत-पाकिस्तान संयुक्त बिजली परियोजनाएं

*728. **श्री किन्दर लाल :** **श्री प्र० चं० बरुआ:**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पाकिस्तान को भारत-पाकिस्तान संयुक्त बिजली परियोजनाओं के शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या-क्या है ; और

(ग) उस पर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह). (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चीन के प्रधान मंत्री की रावलपिंडी यात्रा

*729. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री बासप्पा :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री काजरोलकर :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि चीन के प्रधान मंत्री श्री चाउ एन० लाई ने "महत्वपूर्ण राजनैतिक बातचीत" के लिये 28 जून को अचानक रावलपिन्डी आने का निर्णय किया था;

(ख) यह अप्रत्याशित यात्रा कहां तक पीकिंग और पाकिस्तान के तेजी से बढ़ते हुए इस पुनर्मेल के कारण हुई थी जो भारत के प्रति दोनों को एक-सी विरोधी भावनाओं से प्रेरित है; ओर

(ग) भारत के बिल्कुल पड़ोस में दो ताकतों की इस कपट चाल के बारे में विश्व को अवगत कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) सरकार को पता है कि चीन के प्रधान मंत्री, श्री चाउ-एन लाई ने 28 से 30 जून तक रावलपिंडी की यात्रा की थी।

(ख) सरकार इस यात्रा को पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती हुई भारत-विरोधी सांठगांठ की प्रक्रिया का ही एक अंग मानती हैं।

(ग) जहां कहीं आवश्यक होता है, समुचित राजनयिक कार्रवाई की जाती है।

बर्मा में मांडले में भारतीय देश भक्तों के स्मारक

*730. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बर्मा सरकार के साथ मांडले में लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष-चन्द्र बोस तथा अन्य देश भक्तों के, जिनको भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान वहां पर कैद किया गया था, स्मारक बनाने के प्रश्न के बारे में बातचीत करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) लोकमान्य तिलक की स्मृति में मांडले जेल में एक स्मारक भवन बनाया जा चुका है ।

इस भवन में, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस और दूसरे देशभक्तों के संगमरमर के पत्थर लगाने का प्रश्न बर्मा सरकार के साथ उठाया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फ्रांस द्वारा अणु बम का विस्फोट

*731. **श्री पें० वेंकट सुब्बया :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कृ० चं० पंत :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बासप्पा :
श्री दिगे :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांस द्वारा हाल में किये गये अणु बम के विस्फोट की ओर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) परमाणु-अस्त्रों के सभी तरह के विस्फोटों का विरोध करने की अपनी नीति के अनुरुप सरकार ने प्रशांत महासागर में फ्रांस द्वारा परमाणु परीक्षण किये जाने पर खेद प्रकट किया है । इस विषय में सरकार के विचार फ्रांस सरकार को बता दिये गये हैं ।

मिजो लोगों के प्रशिक्षण में पाकिस्तान का हाथ

*732. **मुहम्मद कोया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियों की ओर तथा राष्ट्रपति अयूब खां के 5 अगस्त 1966 के भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें मिजो लोगों के प्रशिक्षण में पाकिस्तान का हाथ होने का खण्डन किया गया है ;

(ख) क्या विदेशों में हमारे दूतावासों को हिदायतें जारी की गई है कि विदेशी समाचारपत्रों को तथ्य बता कर इस पाकिस्तानी प्रचार का निराकरण किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) विदेश-स्थित हमारे सूचना केन्द्रों को पाकिस्तान द्वारा उपद्रवी मीजो लोगों को सहायता दिये जाने के तथ्यों के बारे में समुचित रूप से बता दिया गया है । राष्ट्रपति अयूब खां की इनकारी संभवतः उसी प्रचार का परिणाम है और जाहिर है कि वह बचाव की कार्रवाई है ।

सामरिक दृष्टि से मेद्य स्थानों का सर्वेक्षण

*733. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभाजन तथा भारत के पड़ोसी के रूप में चीन में नवीन सत्ता स्थापित हो जाने के पश्चात् भारत के स्थल सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि. से मेद्य स्थानों का कोई अध्ययन और सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन उपलब्ध है ; और

(ग) इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा की तैयारी के तौर पर संचार व्यवस्था में कहां तक सुधार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख) भिन्न सीमाओं पर भारत की रक्षा के सम्बन्ध में कई अध्ययन और सर्वेक्षण किये गये हैं। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट सरकार के पास प्राप्त है। ऐसे अध्ययन और सर्वेक्षण एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया भी है।

(ग) रक्षा दृष्टिकोण से संचार में सुधार, ऐसे अध्ययनों के फलस्वरूप सिफारिशों का महत्वपूर्ण अंश है, और परिणामस्वरूप संचार को सुधारने में प्रगति की गई है।

अमरीकी प्रतिरक्षा सेक्रेटरी का वक्तव्य

*734. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी प्रतिरक्षा सेक्रेटरी, श्री राबर्ट मेकनमारा के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि चीन दस वर्षों में अन्तर्महाद्विपीय प्रक्षेपणास्त्रों का पूर्ण रूप से विकास कर लेगा, कि चीन इस समय अपने सीमावर्ती देशों की कमजोरी का पता लगा कर और उनका फायदा उठाकर अपने देश की सीमा से बाहर बढ़ने के लिये अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है तथा कि आगामी कुछ ही वर्षों में उसके द्वारा वायुयानों से अपने परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या श्री मेकनवारा के इस अनुमान के आधार पर होने वाले सैनिक तथा सामरिक परिणामों पर सरकार ने तथा उसके विशेषज्ञों ने विचार किया है और यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या क्या सैनिक तथा राजनयिक प्रत्युपाय करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने श्री मैकनामारा के मूल्यांकन के सामरिक और सैन्य संबंधी अर्थों की जांच की है और सेनाध्यक्षों की समिति भारत की सुरक्षा को होनेवाले खतरे पर और इस सम्बन्ध में की जाने वाली आवश्यक जबाबी कार्रवाई पर विचार कर रही है। सरकार का ख्याल है कि चीन के आणविक विकास से यह और भी आवश्यक हो गया है कि तमाम अणु अस्त्र परीक्षणों पर और भविष्य में तमाम अणु अस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाने के

लिये एक करार किया जाये । भारत 18 देशीय निरस्त्रीकरण समिति में तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन दिशाओं में निरंतर प्रयास कर रहा है ।

प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते

*735. **श्री अ० व० राघवन** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों तथा वार्षिक वेतनवृद्धि को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।

नागालैंड में मंत्रिमंडल में परिवर्तन

*736. **श्री हेम बरुआ** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नागालैंड मंत्रिमंडल में परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने श्री अंगामी को इस नागालैंड सरकार के प्रति अपना रवैया तय कर लिया है और प्रधान मन्त्री को छिपे हुये नागा नेताओं के साथ हो रही बात-चीत पर नागालैंड में हुये इस आकस्मिक राजनैतिक परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव को जानने का प्रयत्न किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) नागालैंड की विधान सभा में नागा नेशनलिस्ट आर्गेनाइजेशन के नेता के रूप में चुने जाने पर श्री टी० एन० अंगामी मुख्य मन्त्री के रूप में श्री पी० शील आओ के उत्तराधिकारी बने । यह नागालैंड विधान सभा का काम है कि वह अपना मुख्य मन्त्री चुने और इसमें भारत सरकार का रुख बदलने का सवाल नहीं होता ।

नागा नेशनलिस्ट आर्गेनाइजेशन नागालैंड में अब भी शासक दल है । परिवर्तन वास्तव में राज्य विधान सभा में दल के नेतृत्व में हुआ है । चूंकि नागा नेशनलिस्ट आर्गेनाइजेशन ने हमेशा ही छिपे नागाओं से बातचीत करने का समर्थन किया है, इसलिये इस बातचीत के प्रति उनके रुख में परिवर्तन होने का सवाल नहीं होता । नागालैंड मंत्रिमंडल में परिवर्तन होने के बाद राज्य सरकार के प्रति भारत सरकार के रुख में परिवर्तन नहीं हुआ है ।

बर्मा से भारत लौटने वाले लोगों को लाने के लिये दी गई नौकाओं का हटाया जाना

*737. **श्री दशरथ देव** : **श्री बीरेन दत्त** :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा से भारत में वापिस आने वाले भारतियों को मद्रास विशाखापटनम पत्तनों तक लाने के लिये सरकार द्वारा दी गई नौकायें शीघ्र ही हटाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बर्मा से लौटने वाले भारतीयों, विशेषतया निराश्रित व्यक्तियों को भारत वापिस लाने के बारे में सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) स्टीमर सेवा 21 जुलाई 1966 से कोई 6-7 सप्ताह के लिये अस्थाई रूप से स्थगित कर दी गई है ताकि प्रत्यावर्ती स्वानमी से संबद्ध अपनी औपचारिकता को पूरा कर सके ।

(ग) स्टीमर सेवा फिर से शुरू करने और विद्यमान हवाई सेवा द्वारा जो लोग निर्धन है उन्हें समुद्री रास्ते से बिना किराये आने की इजाजत है ।

पाकिस्तान को दिये गये सेवर-जैट विमानों के बारे में ईरान से स्पष्टीकरण

*738. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरान सरकार से उसकी इस सफाई के बारे में, कि पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त उसके लगभग 90 एफ-86 सेवर-जैट विमान इस समय पाकिस्तान में ओवर-हालिंग के लिये भेजे गये हैं ; कोई स्पष्टीकरण मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो ईरान से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ईरान की सरकार ने अपने इस आश्वासन को फिर दोहराया है कि पाकिस्तान को जहाज सफाई और मरम्मत के लिये ही भेजे गये हैं। इन हवाई जहाजों के ईरान वापिस भेजने के समय का सवाल ईरानी अधिकारियों के साथ उठाया गया है ।

विस्फोटक पदार्थों के लिये गोदी

*739. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** **श्री श्यामलाल सर्राफ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्फोटक पदार्थों के लिये गोदी स्थापित किये जाने के लिये कोई स्थान निश्चित कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विचाराधीन स्थानों में से कोचीन भी एक स्थान है ; और

(ग) क्या मित्सुबिशी कम्पनी ने अपने परियोजना प्रतिवेदन में इस बात का विशेष उल्लेख किया है कि जहाज निर्माण कारखानों के पास विस्फोटक पदार्थों के लिये गोदी स्थापित नहीं की जानी चाहिये ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख) इस मामले पर विचार विमर्श करना लोकहित में नहीं है ।

(ग) मित्सुबिशी कम्पनी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि जलकोटि में किसी प्रकार का नौसैनिक निर्माण हाथ में नहीं लेना चाहिये, क्योंकि इससे जलकोटि में जो पहले ही तंग है, नये निर्मित जलपोतों की गति अवरुद्ध हो जायेगी, नौसेना ने यह सिफारिश स्वीकार करली है ।

फिल्म उद्योग से प्रतिनिधि मंडल

*740. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री द्वारका दास मन्त्री :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 और 21 जुलाई 1966 को नई दिल्ली में राज्यों के सूचना मन्त्रियों की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या फिल्म उद्योग से भी एक प्रतिनिधि-मंडल आमंत्रित किया गया था ;

(ग) फिल्म उद्योग से किन-किन व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया था ; और

(घ) राज्यों के सूचना मन्त्रियों की एक पूर्णतः राजकीय बैठक में गैर-सरकारी व्यक्तियों को आमन्त्रित करने के क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**·6946/66]

(घ) इसका उद्देश्य था कि फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि, केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों से सम्बन्धित, इस उद्योग की कुछ अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर, इस सम्मेलन में अपनी बात कह सकें। फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में मौखिक रूप से अपने विचार रखे और इसकी कारवाई में भाग नहीं लिया।

प्रतिरक्षा उत्पादन

*741. **श्री रंगा :** **श्री नारायण दांडेकर :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों पर किये गये खर्च के अनुपात में प्रतिरक्षा उत्पादन के बारे में कोई मूल्यांकन कर लिया गया है ;

(ख) क्या प्रतिरक्षा व्यय और उत्पादन के बारे में सिद्धान्त निर्धारित करने के लिये कभी कोई विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी ; और

(ग) क्या सरकार एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिरक्षा उत्पादन उस पर किये गये व्यय के अनुपात में हो रहा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां, वित्तीय कार्यकलाप के मासिक संक्षेपों और वार्षिक खातों के आधार पर यह आंकन निरन्तर किया जाता है।

(ख) रक्षा व्यय और उत्पादन के लिये नाम नियत करने के लिये कोई विशेषज्ञ समिति

नियुक्त नहीं की गई। तदापि, मानों, एकल कार्यों पर व्यय के ब्यौरे एकत्रित करने, उनकी मानों के साथ तुलना करने, और जहां मानों और वास्तविक व्यय में सुधार कार्यों की उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये, भारी अन्तर हो, सुधार के लिये व्यवस्था द्वारा व्यय और उत्पादन के नियन्त्रण के निमित्त एक विस्तृत प्रणाली विद्यमान है।

(ग) (ख) को ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

Price Bulletin on Beef

*743. **Shri Rameshwaranand:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Y. D. Singh:
Shri Yudhvir Singh:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of beef is also announced aiongwdth the rates of other commodities broadcast over radio Kurseong in district Darjeeling ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken by Government to end the dissatisfaction spreading in the country as result of such type of publicity ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :

(a) to (c) All India Radio price bulletins were started with the object of keeping the public constantly posted with the prevailing prices of essential commodities and to make them conscious of the need to resist any unwarranted increase on the part of individual traders. These bulletins were started from 16th June, 1966 and they cover the prices of commodities of daily consumption prevailing in each town and its surrounding area where A.I.R. stations are situated. The prices are supplied by the local authorities concerned and represent those prices which prevailed on the day previous to the broadcast.

2. The list of items covered in the bulletins broadcast by various stations varies according to the local requirements. The principal commodities are cereals, pulses, kerosine oil, edible oils, staple vegetables like potatoes and onions, eggs, meat, fish, poultry, soaps, tooth-pastes, shaving blades etc. So far as All India Radio Station at Kurseong is concerned, the price of beef and pork was also being broadcast by that station, as the list of prices supplied by the Kurseong Municipality and the District Information Officer, Darjeeling included the price of beef and pork also.

3. Though All India Radio Kurseong has not received any complaints from local listeners about the inclusion of the price of beef or pork in the bulletin, these two items have been taken out of the price list of articles announced by A.I.R., Kurseong, with effect from the 19th August, 1966.

Border Violations by China

*744. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chinese troops have committed four border violations in the Daulatbeg Oldi sector of Ladakh between 25th July and 4th August, 1966 ;

(b) if so, whether it is also a fact that Chinese troops are still there in that sector;

(c) whether it is also a fact that even after the protest note sent by the Government of India, they have not withdrawn from there; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) to (c) Yes, Sir. A protest note was sent to the Chinese Government on August 11, 1966. Chinese troops had withdrawn to their side of the so-called 'line of actual control' after each intrusion.

नागाओं द्वारा प्रयोग किये गये राकेट तथा राकेट चलाने वाले हथियार

*745. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री 25 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1309 के उत्तर तथा 27 अप्रैल 1966 के रेलवे मन्त्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि ये राकेट तथा चलाने के हथियार जिन पर फ़्रांस के चिन्ह थे और अन्य हथियार जिन पर विदेशी चिन्ह थे विद्रोही नागाओं को कैसे प्राप्त हुये ;

(ख) क्या सरकार ने राजनयिक सूत्रों से पता लगाने की कोशिश की है कि क्या उक्त उक्त हथियार फ्रांस ने अथवा अन्य देशों ने पाकिस्तान को दिये थे और पाकिस्तान ने विद्रोही नागाओं को दिये ; और

(ग) यह पूछताछ के क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) इस घटना स्थल के नज़दीक पाये गये एक राकेट के पिछले भाग के टुकड़े पर अंकित निशान के बारे में भारत-स्थित फ्रान्स के राजदूतावास को सूचित कर दिया गया है ।

फ़्रांस के राजदूतावास ने इस विषय पर सरकार को पत्र नहीं भेजा है ।

अमरीकी ट्रान्समीटर

*746. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री विश्वनाथ पांडेय : **श्रीमती ज्योत्सन चन्दा :**

श्री बूटा सिंह : **श्री कपूर सिंह :**

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रत्येक जिले में एक-एक अमरीकी ट्रांसमीटर लगाने के प्रश्न पर सरकार से बातचीत करने के लिये अमरीकी इंजीनियरों का एक दल जून 1966 में दिल्ली आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी, नहीं। गत वर्ष अप्रैल में अमरीका के राजदूत ने सूचना और प्रसारण मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें सुझाव दिया था कि भारत के लिये यह शायद उपयोगी होगा कि वह ऐसे रेडियो स्टेशनों का जल बिछाये जिनसे मुख्यत: ग्रामीणों के लिये कार्य-क्रम प्रसारित किया जाये। 320 जिलों में प्रत्येक के लिये एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने को कहा गया था। यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक केन्द्र (स्टेशन) में थोड़े थोड़े कर्मचारी होने चाहिये, जो कि उस जिले के गांव तथा कस्बों की आवश्यकतानुसर वहां की स्थानीय भाषा में रेडियो कार्य-क्रम बना सकें।

इसके उपरान्त गत वर्ष मई में राजदूत ने दो परामर्शदाताओं (जिनकी संख्या बढ़ाकर चार करदी) की सेवायें उपलब्ध करने की पेशकश की जिनका कार्य ट्रांसमिटरों की संख्या निर्धारित करने के बारे में अध्ययन करना, उनकी लागत तथा रिसिवर्ज की संभावित लागत और प्रसारण प्रणाली के लिये अन्य बातों पर विचार करना था। परामर्शदताओं ने आवश्यक कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा स्टेशनों के लिये उपकरण और मशीनों के निर्माण आदि की आवश्यकता की भी जांच करनी थी।

प्रसारण एक अत्यन्त शक्तिशाली संचार माध्य है और विशेषतया भारत जैसे देश के लिये यह और भी उपयोगी है जहां दूर दूर गांव में सामाजिक आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन लाना है। इसलिये भविष्य में किसी निश्चित तिथि तक विभिन्न खाद्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र खोलना आकर्षक समझा गया। ऐसा समझा गया कि ऐसे जाल से हमारी राष्ट्रीय एकता की भावना को शक्ति मिलेगी तथा जनता में शिक्षा का प्रचार करने तथा शिक्षा अभियानों को बढ़ावा देने के लिये और अधिक उत्पादन करने के लिये नये प्रोत्साहन देने एवं तकनीकी जानकारी की आवश्यकता का प्रसारण करने के लिये यह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिये सहमति प्रकट की गई कि दल को बोलाया जाय।

मंत्रालय द्वारा बाद में राजदूत के सुझाव के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जांच की गई तथा इसकी कार्यन्वित में ऊंची लागत एवं फ्रिक्वैंसी की कमी के कारण कुछ कठिनाइयां अनुभव की गई, जैसाकि हम ए० एम० फ्रिक्वैंसी से काम करते हैं और प्रत्येक जिले में एक केन्द्र स्थापित करने के लिये हमें एफ० एम० प्रणाली चाहिये, जिसके लिये हमें और पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी, जो हम नहीं लगा सकते। इसके बाद गत अक्तूबर में इस मामले पर योजना आयोग के साथ विचारविमर्श किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक जिले में एक प्रसारण केन्द्र स्थापित करना न तो आर्थिक दृष्टि से ही लाभ प्रद होगा और न ही संभव होगा। योजना आयोग इस बात के पक्ष में था कि कम संख्या में परन्तु अधिक शक्तिशाली केन्द्र स्थापित किये जायें और कार्यक्रम सुनने की सुविधाओं की शीघ्राति शीघ्र व्यापक व्यवस्था की जाये।

गत वर्ष अक्तूबर में बैंकॉक में कृषि शिक्षा तथा प्रशिक्षण के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन की क्षेत्रीय गोष्ठी का नियोजन होने के उपरांत खाद्य एवं कृषि मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से प्रसारण कार्य के लिये सहायता देने की प्रार्थना की थी। इसके अनुरुप एफ० ए० ओ०—यूनेस्को की सिफारिशों के आधार पर चौथी योजना के दौरान संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से कुल 66 फार्म और होम रेडियो ट्रांसमिशन एकक खोले जायेंगे।

इनमें से 10 ने 7 जून, 1966 से काम करना शुरू कर दिया है और 6 और शीघ्र ही काम करने लगेंगे। यदि योजना आयोग ने एफ० ए० ओ०—यूनेस्को दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से सहायता की प्रार्थना की गई और इसे मान लिया गया तो शेष 50 एकक भी चौथी योजना की अवधि में पूरे हो जायेंगे।

हमने उपरोक्त कठिनाइयों तथा स्थिति पर विचार किया और अन्ततः प्रस्तावित अध्ययन दल के संभावित दौरे को मंसूख कर दिया।

बर्मा में भारतीय व्यापारियों के धन को रोक लिया जाना

* 747. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा सरकार ने बर्मा में भारतीय व्यापारियों का धन रोक लिया है ;

(ख) क्या इसमें भारत से ले जाई गई पूंजी भी शामिल है ;

(ग) क्या हमारे व्यापारियों का धन लौटाने के लिये बर्मा सरकार को कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर बर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जब बर्मा सरकार ने देश में कुछ प्रकार की वाणिज्यिक संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया तब राष्ट्रीयकरण के दिन तक भारतीय व्यापारियों की दुकानों के नाम से जो बैंक खाते थे, उन्हें जब्त कर लिया।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जी हां। बर्मा में भारतीय आस्तियों के मुआविजे के पूरे प्रश्न के अंग के रूप में इस पर बर्मा सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

पूर्व बर्लिन जाने वाले भारतीय बच्चे

3548. **श्री राम हरख यादव** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिये भारत से चार बच्चे पूर्व बर्लिन जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो वे बच्चे कौन हैं तथा उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होगा ; और

(ग) इस योजना पर कितना खर्च आयेगा ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) : जर्मन संघीय गणराज्य के पाइनियर्स आर्गेनाइजेशन के निमंत्रण पर इंटरनेशनल कल्चरल फोरम और पाइनियर्स की ओर से चार-चार बच्चों और उनके एक-एक नेता के शिष्टमन्डलों ने इन्टरनेशनल पाइनियर्स कैंप में हिस्सा लेने के लिए 12 जुलाई से 17 अगस्त तक जर्मन संघीय गणराज्य की यात्रा की।

(ख) इन बच्चों के और उनके नेताओं के नाम और पते संलग्न सूची में दिए गए हैं।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 6947/66]

ये बच्चे और इनके नेता अन्य बहुत-से देशों के बच्चों के साथ जर्मन संघीय गणराज्य में इन्टरनेशनल पाइनियर्स कैंप (ग्रीष्म अवकाश शिविर) में 35 दिन रहे।

(ग) जर्मन संघीय गणराज्य में आवास तथा भोजन समेत सभी खर्चा आतिथेय संगठन ने उठाया था। जहां तक इन्टरनेशनल कल्चरल फोरम का सवाल है, दोनों ओर का आने-जाने का खर्चा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने स्वयं उठाया था, लेकिन पाइनियर्स की ओर से जो लोग गए थे, उनका वापसी का (एक तरफ का) यात्रा खर्च आतिथेय संगठन ने दिया था। इन शिष्टमंडलों पर भारत सरकार ने किसी तरह का कोई खर्च नहीं किया था।

आकाशवाणी का "संसद्-समीक्षा" कार्यक्रम

3549. **श्री किशन पटनायक : श्री मधु लिमये :**

श्री राम सेवक यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने इसके बाद 'अपने संसद् समीक्षा कार्यक्रम' के अन्तर्गत संसद् की कार्यवाही की समीक्षा संसद् संवाददाताओं द्वारा बारी-बारी से किये जाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि (चालू सत्त के) प्रथम दिन की कार्यवाही की समीक्षा इन्डियन एक्सप्रेस के श्री शिवराम द्वारा की जानी थी,

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस संवाददाता की पाण्डुलिपि से कुछ अंश निकाल देने के आदेश दिये थे क्योंकि ये एक दिन स्वतंत्र विचारधारा प्रस्तुत करते थे;

(घ) क्या इस संवाददाता ने आकाशवाणी के लिये कार्य करना बन्द कर दिया है, और

(ङ) क्या उनका विचार संसद् की कार्यवाही के बारे में समाचार संवाददाताओं द्वारा प्रसारण के बारे में पूर्ण नीति पर पुनर्विचार करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) 'संसद् समीक्षा, कार्यक्रम का मजमून लिखने के लिये, प्रायः बाहर के पत्रकार बुलाए जाते हैं। इसके लिए पत्रकारों को एक सूची रखी जाती है, जिसपर समय समय पर पुनर्विचार किया जाता है। कुछ मजमून लेखक स्वयम् रेडियों से पढ़ते हैं और कुछ दूसरे व्यक्ति द्वारा पढ़े जाते हैं। 25 जुलाई, 1966 को समीक्षा श्री शिवराम ने लिखी थी और स्वयम् ही रेडियो पर प्रसारित का था। 25 जुलाई, के बाद उन्होंने कोई संसद-समीक्षा नहीं लिखी।

(ग) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

Supply of Guns to Rifle Clubs and Associations

3550. **Shri Ranunjai Singh :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the guns manufactured by the Ordnance Factories are proposed to be supplied on reasonable prices to the members of the Rifle Clubs and Rifle Association of India in the near future; and

(b) if so, when they are likely to be supplied?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas): (a) and (b) 12 bore DBBL shot guns being manufactured in Ordnance Factories will be available for sale through authorised dealers from next month. The Rifle Clubs and Associations can obtain their requirements from the authorised dealers who will supply the weapons at the reasonable prices fixed by Government commensurate with the cost of production.

वेनाड़ में 'बस्ती बसाना' योजना (केरल)

3551. **श्री अ० व० राघवन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की बेनाड़ योजना के अन्तर्गत बसाये गये लोगों के लिये सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस वर्ष में इस कार्य के लिये संचार व्यवस्था, स्कूलों, कालिजों और अस्पतालों के शीर्षक के अन्तर्गत कितनी धनराशि नियत की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) आवश्यक सूचना केरल सरकार से इकट्ठी की जा रही है, और जब प्राप्त हुई सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय नाविक, सैनिक और वैमानिक बोर्ड

3552. **श्री अ० व० राघवन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नाविक, सैनिक और वैमानिक बोर्ड के विधान में बोर्ड में चार भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति का उपबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व सैनिकों में से किसी व्यक्ति को बोर्ड में मनोनीत किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) 4 भूतपूर्व सैनिक बोर्ड में वास्तविकतौर पर काम कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एच० एफ०-24 अतिस्वन विमान के लिये पुनः तापक संयंत्र

3553. **श्री मुरली मनोहर : श्री राम हरख यादव :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अनुसंधान संस्थान ने एच० एफ०-24 अतिस्वन विमान के लिये पुनः तापक संयंत्र का आविष्कार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा-मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) रिहीट यन्त्र विकासाधीन है।

(ख) प्रायोजना विकास की उच्च प्रावस्था में पहुँच चुकी है। सफल स्थलीय परीक्षणों के पश्चात् पुनः तप्त इंजनों के प्रारूपों के एच० एफ०-24 विमानों में उड़ान परीक्षण हो रहे हैं।

इसराइल द्वारा उर्वरक देने का प्रस्ताव

3554. **श्री मधु लिमये :** **श्री किशन पटनायक :**

श्री राम सेवक यादव : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसराइल ने उर्वरक आदि के रूप में सहायता देने का प्रस्ताव रखा था; और

(ख) क्या इसे अस्वीकार कर दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) फरवरी 1966 में इसरायल ने भारत को रासायनिक खाद और पेड़ों को महामारी से बचाने की दवाई अज्ञात मात्रा में देने की पेशकश की थी। यह पेशकश हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्न की नहीं थी तथा इसमें कुछ राजनीतिक बातें भी जुड़ी हुई थीं। भारत सरकार ने आभार प्रकट करते हुए इस पेशकश को स्वीकार न कर सकने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

Speeches of the late Jawaharlal Nehru

3555. **Dr. Ram Manohar Lohia :** **Shri Ramachandra Ulaka :**

Shri Madhu Limaye : **Shri Dhuleshwar Meena :**

Will the Minister of **fnformation and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have finalised the scheme for publishing the works and speeches of the late Jawaharlal Nehru;

(b) if so, details thereof;

(c) the estimated cost thereof;

(d) whether royalty would be paid on books and speeches relating to the period prior to September, 1946 only and/or on post 1946 period also; and

(e) if so, the total royalty which would be paid ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The estimated expenditure on the scheme over a period of 7 years would be about Rs. 53, 88, 200/- excluding any provision for payment of royalty.

(d) The whole question is under consideration.

(e) Does not arise.

अफगानिस्तान को तकनीकी सहायता

3556. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** **श्री क० ना० तिवारी :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अफगानिस्तान सरकार को तकनीकी सहायता देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) कुल कितनी सहायता दी जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) विदेश मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल दोनों देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की दृष्टि से हाल ही में अफगानिस्तान गया था

इस प्रतिनिधिमंडल ने शाही अफगान सरकार के साथ काबुल में 100 बिस्तर वाले बच्चों के अस्पताल का निर्माण और संचालन करने की शर्तों को अंतिम रूप दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग के अन्य मार्ग भी खोजे गए और जो विभिन्न प्रार्थनाएं आई तथा सुझाव दिए गए, उनकी अभी पड़ताल की जा रही है। इनमें कृषि उपकरण और औजार देना, भारत से विशेषज्ञों की नियुक्ति, सर्वेक्षण करना, अफगान राष्ट्रिकों को भारत में प्रशिक्षण की सुविधाएं देना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क और आदान प्रदान बढ़ाना शामिल है।

(क) संभावित लागत आंकी जा रही है। बहरहाल, इस स्थिति में, कोई संकेत नहीं दिया जा सकता।

Assistance to Bhutan

3557 **Shri Hukam Chand Kachhaviya** : **Shri Raghunath Singh** :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have assured financial help to Bhutan to improve conditions in that country ;

(b) if so, the extent of the aid and the projects for which aid is to be given; and

(c) when such aid projects wlll be completed ?

The Minister of Externai Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) to (c) The Indian Government extended financial assistance of the order of Rs. 10.55 crores during the period of Bhutan,s First Five Year Development Plan which commenced in 1961. The formulation of the Plan with which our Planning Commission was losely associated, and execution of the Plan and of its projects are under the control of the Bhutan Govenment ; we heve extended every kind of assistance by way of secondment of personnel and tendering of technical advice whenever we have been requested to do so. The projects cover fields such as as roads, agriculture, forestry, education and public. Bhutan Government is now preparing a second Five Year draft plan for the economic development of Bhutan. When the draft plan is ready, it will be examined by the Government of India. The extent of the aid to be given, the projects to be included in the Plan and the targets for their completion will then be decided in consultation with the Government of Bhutan.

National Defence Fund

3558. **Shri Vishwa Nath Pandey**: **Shri Dhuleshwar Meena**:
Shri Buta Singh: **Shri D. J. Naik**:
Shri P. R. Chakraverti: **Shri Narasimha Reaka**:
Shri Ramchandra Ulaka.

Will the **Prime minister** be pleased to state :

(a) the amount of gold and cash subscribed to the National Defence Fund as on 20th July, 1966, State-wise;

(b) the amount received from the foreign countries for this Fund so far; and

(c) the manner in which this Fund has been utilised and the amount actually utilised so far?

Prime Minister (Shrimati Indra Gandhi) :

(a) and (b) A statement is placed below.

[Placed in Library. See No LT--- 6948/66]

(c) The fund has been utilised for the purchase of Defence equipment, the welfare of the Armed Forces and others engaged in the Defence oft he country and their families and relief work among the civilians population affected by the conflict with Pakistan. Grants totallings Rs. 33. 03 crores have so far been sanctioned the Fund.

भूकम्प सम्बन्धी बातों पर विचार विनिमय के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3559. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री रिशांग किशिंग :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1966 में स्टाकहाम में भू-कम्प सम्बन्धी बातों पर विचार विनिमय के लिये एक चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) इस प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और परमाणु तथा गैर-परमाणु शक्तियों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में और आगे कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस सम्मेलन में यह सहमति हुई कि इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऊंचे दर्जे की भूकम्प संबंधी सूचना का खुला आदान-प्रदान हो और उसकी अच्छी व्यवस्था की जाए जिससे कि भूमिगत अणु परीक्षणों को रोकने पर करार किया जा सके। इस प्रकार के सहयोग के विभिन्न तकनीकी पहलुओं, सूचना का समुन्नत ढंग से आदान-प्रदान करने की आवश्यकताओं और वर्तमान आदान-प्रदान की प्रणाली में अधिक भागीदार होने की संभावनाओं पर बातचीत हुई। ऐसे ही एक और सम्मेलन को संयोजित करने की संभावना पर विचार किया गया जिसमें आदान-प्रदान की प्रणाली को समुन्नत करने में निश्चित कदम उठाने के प्रश्न पर और अणु देशों का सहयोग प्राप्त करने पर बातचीत की जाए लेकिन इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

Monopoly of Newspapers

3560. **Shri Sidheshwar Prasad: Shri A.N. Vidyalankar : Shri Rishang Keishing :**

Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Committee is being constituted to study the situation arising out of the present monopoly of newspapers;

(b) if so, the terms of reference of the Committee; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Minister of Information & Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Press Council of India has been constituted under the Press Council Act, 1965 with effect from July 4, 1966, with Shri J. R. Mudholkar as the Chairman. According to Clause (j) of sub-section (2) of Section 12 of the Act, one of the functions of the Council is "to study developments which may tend towards monopoly or concentration of ownership of newspapers, including a study of the ownership or financial structure of newspapers, and, if necessary, to suggest remedies therefor." The Council will no doubt consider the matter in all its aspects. In view of this, the appointment of any Committee by Government is neither contemplated nor necessary.

बेक्टल (इंडिया) लिमिटेड

3561. **श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेक्टल (इंडिया) लिमिटेड ने, जिसको महाराष्ट्र में तारापुर में अणुशक्ति संयंत्र के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, संयुक्त समाजवादी दल द्वारा नियंत्रित कार्मिक संघ के साथ एक नया करार किया है ;

(ख) क्या 1965 में इस कम्पनी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ (आई० एन० टी० यू० सी०) के कुछ नेताओं के साथ किया करार रद्द हो गया है ;

(ग) इन दोनों करारों में मुख्य रूप से क्या अन्तर है ; और

(घ) इस संयंत्र के निर्माण के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधानमन्त्री तथा आणुशक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग) तारापुर अणुशक्ति परियोजना का कार्य जिस बेक्टल (इन्डिया) लिमिटेड को दिया गया है वह मुख्य ठेकेदार इण्टरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी के ही छोटे ठेकेदार हैं। एक तरफ ठेकेदारों और छोटे ठेकेदारों तथा दूसरी तरफ श्रमिकों संघों में हुई व्यवस्थायें राज्य सरकार के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत आती हैं। जहां तक भारत सरकार को पता है; बेक्टल (इंडिया) लिमिटेड ने पिछली जून में बम्बई श्रमिक संघ के साथ एक समझौता किया था, जब कि उनका पिछले अक्तूबर में तारापुर अणुशक्ति कामगार संघ के साथ हुआ समझौता भी अभी लागू है। दोनों समझौतों में वायदा किया गया है कि "जब तक समझौता विचाराधीन है तब तक 'धीरे काम करो' अथवा हड़ताल करने की नीति का प्रश्रय नहीं लिया जाना चाहिये।" बम्बई श्रमिक संघ ने भी बचन दिया था कि जब तक यह समझौता, जो कि 3 जून, 1969 तक वैध है, क्रियान्वित नहीं हो जाता तब तक आर्थिक वचनवद्धता की कोई मांग नहीं रखी जायेगी।

(घ) अणुशक्ति केन्द्र का कार्य सन्तोषजनक रूप में चल रहा है, केन्द्र की स्थापना निश्चित तिथि यानी अक्तूबर 1968 में होने की आशा है।

पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय कर्मचारियों का स्वदेश लौटना

3562. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री 6 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1558 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में नजरबन्द किये गये 50 भारतीय कर्मचारियों को इस बीच वापस आने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने कर्मचारी अब भी पाकिस्तान में नजरबन्द हैं ; और

(ग) उन्हें रिहा कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) छप्पन भारतीय कर्मचारी भारत वापस आ गये हैं। करीब बीस आदमियों का अभी तक पता नहीं है और खबर है कि वे पूर्व पाकिस्तान में मीजो लोगों की हिरासत में हैं।

(ग) पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह उन लगों को रिहा करके भारत वापस भेजने की व्यवस्था करे जो अभी पूर्व पाकिस्तान में हैं।

ढाका रेडियो द्वारा नजरूल इस्लाम कविताओं में परिवर्तन किया जाना

3563. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कवि कानी नजरूल इस्लाम के 67वें जन्म दिवस समारोह के अवसर पर ढाका रेडियो से उनकी कविताओं में परिवर्तन करके किये गये प्रसारण की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या इस मामले के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ कोई बातचीत की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Shri Lal Bahadur Seva Niketan

3564. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh : Shri Rameshwaranand :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shrimati Lalita Shastri is contemplating to set up Shri Lal Bahadur Seva Niketan at Village Manda in Allahabad;

(b) whether it is also a fact that she has requested Government to grant Rs. 25 lakhs to run the said Niketan properly; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi): (a) Government have seen certain Press reports to this effect, but they have no definite information about the "Shri Lal Bahadur Seva Niketan" which is a private organisation.

(b) No such request has been received by Government.

(c) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास योजनाओं में रेडियो सैट

3565. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास परियोजनाओं को जिलावार कितने रेडियो सैट दिये गये ;

(ख) किस प्रकार के रेडियो सैट खरीदे गये तथा किस फर्म से बड़ी मात्रा में खरीदे गये ; और

(ग) क्या उनके खरीदने पर कमीशन अथवा छूट मिली है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

प्रेस परिषद्

3566. **श्री यशपाल सिंह** :　　　　**श्री ब० कु० दास** :

श्री बासप्पा :　　　　**श्री स० चं० सामन्त** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद् बन गई है, और

(ख) यदि हां, तो परिषद् के सदस्य कौन-कौन हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां । प्रेस परिषद् 4 जुलाई 1966 को बना दी गई है ।

(ख) 1965 के प्रेस परिषद् कानून की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारत के उच्च न्यायाधीश ने श्री जी० आर० मधोलकर को प्रेस परिषद् का अध्यक्ष नामजद किया है और उनकी नियुक्ति, परिषद् की स्थापना के दिन यानी 4 जुलाई, 1966 को अधिसूचित कर दी गई ।

इस कानून की धारा 4 की उपधारा (3) (घ) और उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित संसद सदस्य परिषद् के सदस्य नामजद किये गये हैं :—

लोक सभा :— श्री चपलाकांत भट्टाचार्य

श्री रा० मा० हाजरनवीस

राज्य सभा :— श्री गंगाशरण सिन्हा

परिषद् के अन्य 22 सदस्य एक कमेटी के द्वारा नामजद किये जायेंगे जिसमें भारत के उच्च न्यायाधीश, परिषद् के अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होंगे । श्रीमती लक्ष्मी न० मैनन राष्ट्रपति द्वारा कमेटी में नियुक्त कर दी गई है । जब उपर्युक्त कमेटी परिषद् के 22 सदस्यों को चुन लेगी तो सभी 25 सदस्यों के नाम के साथ अधिसूचित कर दिये जायेंगे ।

राष्ट्र के नेताओं के भाषण

3567. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन विभाग ने राष्ट्र के नेताओं के भाषणों को प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने का काम अपने अधिकार में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब पूरा हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) प्रकाशन विभाग राष्ट्र के नेताओं के प्रादेशिक भाषाओं में खास खास भाषण प्रकाशित करता है। इस प्रकार के प्रकाशनों की सूची नीचे दी गई है :—

1. वन नेशन वन हार्ट	जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रीय एकता पर भाषण।
2. यूनिटी आफ इंडिया	स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद के भारत की एकता पर भाषण।
3. जवाहर लाल नेहरू आन कम्युनिटी डेवलप्मेन्ट	सामुदायिक विकास पर जवाहरलाल नेहरू के भाषणों का संग्रह।
4. जवाहरलाल नेहरू आन को-ओपरेशन।	सहकारिता पर जवाहरलाल नेहरू के चुने हुये भाषणों का संग्रह।
5. आल आर इक्वल इन दी आईज आफ गाड।	अस्पृश्यता पर गांधी जी के विचार।

इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं में नीचे दिये प्रकाशन तैयार किये जा रहे हैं और आशा है कि जल्दी ही छप जायेंगे :—

1. आजादी के सत्रह कदम	स्वर्गीय श्री जवाहरलाल के अपने 17 वर्ष के प्रधान मन्त्रित्व काल में स्वतन्त्रता दिवस पर दिये गये भाषणों का संग्रह।
2. राधाकृष्णन् आन नेहरू	श्री जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के उपरांत डा० राधाकृष्णन द्वारा उनके विषय में दिये गये भाषणों का संग्रह।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वीरता पुरस्कार

3568. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों की वीरता को जो पाकिस्तान के साथ हाल में हुये संघर्ष में शत्रु से लड़े मान्यता देने के लिये, और अन्य लोगों को, उचित प्रोत्साहन देने के लिए योग्य कर्मचारियों को अनुचित पुरस्कार देने की कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) तथा (ख) शौर्य उच्च कोटि की कर्तव्य के प्रति निष्ठा अथवा साहस के कार्यों की मान्यता में, जिसकी सेना / नौसेना / वायुसना में विशेष सार्थकता है, निम्न अवार्ड संस्थापित किये गये हैं :—

(1) परमवीर चक्र :	शत्रु के समक्ष स्पष्टतम वीरता या किसी साहसपूर्ण अथवा पराक्रम अथवा आत्म बलिदान के सर्वोपरि काम के लिये।
(2) महावीर चक्र :	शत्रु के समक्ष स्पष्ट वीरता के कामों के लिये।
(3) वीर चक्र :	शत्रु के समक्ष वीरता के कामों के लिये।
(4) सेना मेडल : (5) नौसेना मेडल : (6) वायुसेना मेडल :	उच्चकोटि की कर्तव्य के प्रति निष्ठा, या साहस के ऐसे कामों के लिये जिनकी सेना / नौसेना / वायुसेना में विशेष सार्थकता है।

2. उपरोक्त आवार्डों के अतिरिक्त वीरता, पारंगत तथा श्लाध्य सेवा के वह कार्य भी, जो इतनी उच्चकोटि के नहीं होते कि उनके लिये उच्चतर बहादुरी के आवार्ड दिये जायें, उन्हें "मैनशन इन डिस्पैच" के आवर्ड दिये जाते हैं और सेना अक्षकों द्वारा प्रसंशा पत्र भी दिये जाते हैं।

3. पाकिस्तान के साथ हुये गत वर्ष के संघर्ष में अब तक जितने आदमियों को उपरोक्त आवार्ड दिये गये हैं, उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

परमवीर चक्र	=	2
महावीर चक्र	=	35
वीर चक्र	=	164
सेना मैडल	=	228
वायु सेना मैडल	=	29
मैनशन-इन-डिस्पेचिज	=	780
प्रसंशा पत्र (कोमेडेशन) कार्ड	=	585

4. वीरचक्र श्रेणी के अवार्ड प्राप्त करने वाले (जे० सी० ओज / ओ० आरज तथा अन्य समान पद वाले व्यक्ति) व्यक्तियों को केन्द्र सरकार से परमवीरचक्र के लिये 50 रुपये प्रतिमास, महावीर चक्र के लिये 30 रुपये प्रतिमास तथा वीरचक्र के लिये 20 रुपये प्रतिमास का भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वीर चक्र श्रेणी के पदक प्राप्त करने वालों को (जिनमें कमीशन प्राप्त व्यक्ति भी शामिल हैं) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इकट्ठा नकद अनुदान भी दिया जाता है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्यों द्वारा दिये जाने वाले इनामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6949/66]

आकाशवाणी से विचारों का प्रसारण

3569. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकशवाणी का प्रयोग समाचारों अथवा विचारों और समाचारों दोनों के माध्यम के रूप में किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसका अधिकार प्रयोग मन्त्रियों के भाषणों को प्रसारित करने के लिये किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) समाचार और विचार दोनों के माध्यम के रूप में ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Surveys by National Sample Survey

3570. **Shrimati Savitri Nigam:** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the items on which the National Sample Survey carried out surveys in 1965; and

(b) whether the Central Statistical Organisation have collected data regarding the food habits of the people and the **per capita** need of milk, fish, foodgrains and course grain?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi): (a) A Statement is enclosed.

[Placed in Library. See No. LT-6950/66]

(b) Data regarding food habits of the people have been ncolleced but they relate to **per capita** consumption and not to **per capita** need.

सेना को जानकारी

3571. **श्रीमती सावित्री निगम** . क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन और पाकिस्तान सम्बन्धी विभिन्न राजनैतिक विषयों पर सरकार की नीतियों और दृष्टिकोण के बारे में सेना को पूर्ण जानकारी रहे इसके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : भारत का प्रेस आज़ाद है जो विभिन्न राजनीतिक मामलों पर सरकार की नीति का प्रचार करता है और उसमें अपनी राय भी व्यक्त करता है, चीन और पाकिस्तान संबंधित नीति सहित जो सरकार के विवरणों में तथा अन्यत्र विवृत्त की जाती है । इन मामलों से सम्बन्धित कागजात तक सशस्त्र सेनाओं की स्वतंत्र पहुंच है । इसके अतिरिक्त निम्न विशिष्ट उपाय किये जाते हैं :—

(1) वर्तमान मामलों पर लेकचर और विचार विमर्श सैनिक सेविवर्ग, अफसरों और अवर श्रेणियों दोनों की सामान्य शिक्षा का अंश बनते हैं ।

(2) सेवाओं के मुख्यालयों द्वारा जारी किये गये निदेशों के आधार पर भिन्न स्तरों पर, अफसर अवर श्रेणियों को संबोधित करते हैं।

(3) सभी समयों में सभी श्रेणियों के प्रयोग के लिये सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये चार्टों, निर्देश चित्रों और साहित्य पर सम्मिलित सूचनालय स्थापित किये गये हैं।

(4) उपयुक्त अवसरों पर प्रधान मन्त्री और रक्षा मन्त्री द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए विशेष संदेश जारी किये जाते हैं।

(5) सैनिक समाचार जैसे प्रकाशन नौ भाषाओं में सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग को सरकार की नीतियों और योजनाओं से अवगत कराते हैं।

Law relating to use of Outer Space

3572. Shrimati Savitri Nigam: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have forwarded any recommendation to the UNO for the enactment of law relating to the use of outer space for peaceful purposes; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) & (b) Government have drawn attention to the need for the United Nations to adopt a binding legal declaration reserving outer space for peaceful purposes only, though no specific proposals have been made in this regard.

टेलीविजन के लिये नई इमारत

3573. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ल० द्विवेदी :**

श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भारत में टेलीविजन का बहुत विस्तार होने की सम्भावना है, क्या यह विचार किया गया है कि टेलीविजन तथा उसके प्रशासन के लिये एक पृथक इमारत बनाई जाये, अथवा क्रमबद्ध विस्तार होने के बाद भी आकाशवाणी भवन की इमारत में ही वह काम कर सकेगा ;

(ख) क्या टेलीविजन टावरों के बनाये जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो वे कितने तथा कहां बनाये जायेंगे ; और

(घ) उन पर कितना खर्च आयेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में टेलीविजन के लिये स्थान लेने, अलग इमारत बनाने, आवश्यकतानुसार मीनार (टावर) बनाने, आदि की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की मसौदा अभी मंजूर नहीं हुआ है, अत: विवरण देना संभव नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये मकानों का निर्माण

3574. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में भूतपूर्व सैनिकों के लिये मकान बनाने हेतु विभिन्न राज्यों को कुछ धनराशि दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई है और किस राज्य को ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं। तदपि, राज्य सरकारों को विभिन्न भवन योजनाओं, अर्थात् भूमि अर्जन और विकास योजना, ग्राम भवन प्रायोजनाओं की योजना, कम आय वर्ग के लिये भवन योजना और मध्य आय वर्ग के लिये भवन योजना के अन्तर्गत 15 प्रतिशत भवन प्लाट और भवन भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवा सेविवर्ग की विधवाओं इत्यादि के लिये सुरक्षित रखने के लिये कहा गया है, और कई सरकारों ने ऐसा कर भी दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत द्वारा दलाई लामा का समर्थन

3575. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन के 2 जनवरी, 1966 के नोट के उत्तर में मई, 1966 के अन्त में पीकिंग को एक नोट भेजा है, जिसमें भारत द्वारा दलाई लामा का समर्थन करने के दृढ़ निश्चय को व्यक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस नोट में किन बातों का उल्लेख है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में चीन से कोई और नोट प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तिब्बत के प्रति भारत के रवैये के विषय में चीन सरकार ने 2 जनवरी 1966 को भारत सरकार को नोट लिखकर जो निंदात्मक और निराधार आरोप लगाये थे उनका खंडन भारत सरकार अपने 30 मई 1966 के नोट में कर चुकी है। भारत सरकार ने यह बात कही थी कि चीन सरकार ने तिब्बती लोगों के मानवाधिकारों का बराबर उलघंन किया है। इस नोट में यह बात भी बलपूर्वक कही गई थी कि सरकार दलाई लामा और अन्य तिब्बती शरणार्थियों को, जिन्हें अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूत किया गया है, उनके धार्मिक और अन्य मानवीय कार्यों के लिये सुविधायें प्रदान करती रहेगी।

(ख) उक्त नोट की एक प्रति 26 जुलाई 1966 को लोक सभा की मेज पर रख दी गई थी।

(ग) जी नहीं।

गार्डन रीच कारखाने में गहरे कूवों के लिये टर्बाइन पम्पों का निर्माण

3576. **श्री व० कु० दास :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री सुबोध हंसदा : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी कम्पनी के साथ 30 सितम्बर, 1965 को लाइसेंस करार की अवधि समाप्त हो जाने के कारण गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में गहरे कूवों के लिये टर्बाइन पम्प के निर्माण कार्य को क्षति पहुंची है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये कोई दूसरा वैकल्पिक करार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस के साथ ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां। गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड में डीपवेल टर्बाईन पम्पों के निर्माण में 30 सितम्बर 1965 के पश्चात कुछ कमी आई थी।

(ख) तथा (ग) 'गार्डन रीच' डीपवेल टर्बाईन पम्पों के निर्माण के लिये वैकल्पिक प्रबंध केन्द्रीय मेकेनिकल इंजीनियरी अनुसंधान संस्था दुर्गापुर के साथ तकनीकी सहयोग से अब संपूर्ण हो चुके हैं।

समुद्री (मेरीन) डीजल इंजनों का निर्माण

3577. **श्री व० कु० दास :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री सुबोध हंसदा : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण पश्चिमी जर्मनी के एम० ए० एन० व्यवसाय के सहयोग से कलकत्ता में गार्डन रीच कारखाने में समुद्री डीजल इंजन बनाने की प्रस्तावित योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसको समय पर पूरा किये जाने की आशा है ; और

(ग) यदि हां, तो पहला इंजन कब तक बनाए जाने की आशा है ?

रक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) भारत में मेरीन डीजल इंजन के निर्माण के लिये पश्चिमी जर्मनी के सर्वश्री एम० ए० एन० के साथ करार, कार्यान्विति के लिये सर्वश्री गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड कलकत्ता को सौंप दिया गया है। जैसे कि सहयोगियों के विशेषज्ञों ने सिफारिश की है, यह प्रस्ताव रांची में उत्पादन यूनिट स्थापित करने के आधार पर प्रगतिशील है। इस प्रायोजना के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था पर सहायता देने वाले संवद्ध अधिकरणों से विचार विमर्श सहित विचार हो रहा है।

(ख) तथा (ग) स्वीकृति के पश्चात्, प्रयोजना के एम० ए० एन० विशेषज्ञ दल द्वारा बनाए गये कार्यक्रम के अनुसार सम्पूर्ण होने की आशा है। पहला इंजन, प्रायोजना की स्वीकृति के 3 वर्षों के अन्दर निर्मित किए जाने की आशा है।

पादरी माइकल स्काट

3578. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले 1 जुन, 1966 के 'इंडियन नेशन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि स्काट ने पुनः मध्यस्थता का सुझाव दिया है ;

(ख) पादरी माइकल स्काट को नागालैंड में प्रवेश करने की / अनुमति देने तथा उनके प्रवेश के लिये कौन जिम्मेदार है ; और

(ग) किस प्रयोजन के लिये उसको इतनी लम्बी अवधि के लिये वहां पर रहने की अनुमति दी गई थी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जनवरी / फरवरी 1964 में नागालैंड बैप्टिस्ट कन्वेशन की एक मीटिंग मोकोकचुंग जिले के वोखा नामक स्थान में हुई थी। इस कन्वेशन में तमाम नागा कबीलों के पांच हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उसने निरंतर होनेवाले उपद्रवों पर गहरी चिंता व्यक्त की। कन्वेशन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया कि असम के मुख्य मन्त्री, श्री वी० पी० चालिहा, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री शंकर राव देव और रेवरेंड माइकेल स्काट को आमंत्रित किया जाये कि वे नागा चर्च नेताओं के सहयोग से नागालैंड में शांति और सामान्य स्थिति फिर से स्थापित करने का मार्ग ढूंढे। नागालैंड राज्य विधान सभा ने 13 मार्च 1964 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया था और सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। यह आशा की जाती थी कि रेवरेन्ड माइकेल स्काट और शांति मिशन के अन्य सदस्य संभवतः उस क्षेत्र में शांति का वातावरण लाने में सहायता कर सकेंगे। जब उनकी कार्रवाइयों से उस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा हो गया तब उनसे छोड़कर चले जाने का अनुरोध किया गया।

Vijayanta Tank

3579. Shri Ram Sewak Yadav: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the tonnage and range of the Vijayanta tank manufactured at Avadi;

(b) whether the capacity of the Vijayanta tank is more than that of Sherman tank;

(c) whether this tank also contains equipment to fire from the sides like the Patton tank; and

(d) the annual capacity of the Avadi factory to manufacture such tanks?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) to (d): It is not in the public interest to disclose the information.

(b) Yes, Sir. The performance of Vijayanta is considered superior to that of Sherman.

चीन द्वारा किये गये परमाणु विस्फोट का मौसम पर प्रभाव

3580. **श्री विभूति मिश्र** : **डा० म० मो० दास** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से प्रकाशित "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" —तीसरा डाक संस्करण, दिनांक 1 जून, 1966 में "चीन द्वारा किये गये विस्फोट का काश्मीर के मौसम पर कुप्रभाव पड़ा है" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) ट्राम्बे में अणु-शक्ति संस्थान द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार चीन द्वारा किये गये तीसरे परमाणु विस्फोट से काश्मीर के वातावरण में कोई महत्वपूर्ण रेडियधर्मी दूषण नहीं हुआ है। ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि वहां पर प्रतिवेदित असामान्य मौसम का कारण चीनियों द्वारा किये गये तीसरे परमाणु विस्फोट है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

A.I.R. Song and Drama Division

3581. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Song and Drama Division was previously attached to the All-India Radio and later on it was separated from A.I.R. for administrative convenience ;

(b) whether the staff artistes of the Song and Drama Division were recruited on the same terms and conditions which were applicable to A.I.R. staff artistes ;

(c) if so, whether it is also a fact that the benefits of dearness allowance, etc. were granted to the artistes of the Song and Drama Division from April, 1965, while these benefits were granted to the artistes of the A.I.R. from October, 1964 ;

(d) if so, the reasons for such discrimination ;

(e) whether any representation has been received by him from the artistes of the Song and Drama Division ; and

(f) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) The terms and conditions of the staff artistes of the Song and Drama Division generally follow the pattern of the staff artistes of All India Radio.

(c)&(d) Yes, Sir. It is the general policy of the Government not to give retrospective effect to the benefits in pay and allowances. Since the question of giving benefits of the prescribed scales of pay and allowances to the staff artistes of the Song and Drama Division was taken up after it was decided to give such benefits to A.I.R. staff artistes, the time-lag between the two dates is obvious.

(e) Yes, Sir.

(f) The representation was examined and it was not found feasible to revise the Government's decision. The staff artistes were informed accordingly.

प्रतिरक्षा योजना

3582. **श्री प्र० चं० बरुआ : श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा योजना परिव्यय का किस सीमा तक पुनरीक्षण किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : रक्षा योजना पर अवमूल्यन के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है, तदपि, अवमूल्यन के प्रभाव का ध्यान करते हुए भी, आशा है कि, योजना इसके लिए पहले से निर्धारित राशि में सम्पूर्ण हो पाएगी ।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की बैठक

3583. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का एक दल जुलाई, 1966 में जेनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के अधिवेशन में सम्मिलत हुआ था तथा उसने उसमें हुए विचार-विमर्श में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिनिधि मण्डल पर कितना खर्च हुआ ; और

(ग) इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने क्या कार्य किया ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां, । भारत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य है और उसका प्रतिनिधित्व 5 जुलाई से 5 अगस्त 1966 तक जेनेवा में आयोजित उक्त परिषद के 41वें सत्र में हुआ था ।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल पर लगभग 71,000 रुपए का कुल खर्च हुआ ।

(ग) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने परिषद की कार्रवाई में पूरी तरह भाग लिया । उसके प्रयत्नों से "विकासशील देशों को बाह्य संसाधनों का पहुंचना" विषयक एक प्रस्ताव पास किया गया और भारत में आवास, निर्माण और योजना के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन संस्थान की स्थापना के लिए सिद्धान्ततः एक अनुकूल निर्णय लिया गया ।

बाह्य अन्तरिक्ष और चन्द्रमा की खोज सम्बन्धी संधि

3584. **श्री प्र० चं० बरुआ : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूस तथा अमरीका द्वारा बाह्य अन्तरिक्ष, चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिंडों की खोज के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रस्तुत किये गये प्रस्तावित संधियों के मसौदों का ब्यौरा प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां, ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संधियों के मसौदों में यह कहा गया है कि चन्द्रमा और अन्य दिव्य नक्षत्रों की खोज और उनका उपयोग मानव जाति के लाभार्थ केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाए, इस पर किसी राष्ट्र का अधिकार अथवा प्रभुसत्ता का दावा न होने पाए और उनपर सैनिक अड्डे तथा संस्थापनाएं तैयार न की जाएं और न ही अस्त्रों का परीक्षण तथा सैन्य अभ्यास किए जाएं। संधियों के मसौदों के मूलपाठ सदन की मेज पर रख दिए गए हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6951/66]

(ग) सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करेगी जिसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया हो कि बाह्य अंतरिक्ष, चन्द्रमा और अन्य दिव्य नक्षत्रों को खोज और उनका उपयोग मात्र शांतिपूर्ण उदेश्यों के लिए किया जाए और अंतरिक्ष से संबद्ध देश इन नक्षत्रों पर अधिकार न करें।

कानपुर में एवरो संयंत्र

3585. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एवरो" विमानों की मांग कम होने के कारण हिन्दुस्तान ऐरोनेटिक्स लिमिटेड, कानपुर में 'एवरो' प्लांट बेका पड़ा हुआ है तथा इससे एक समस्या पैदा हो गई है ;

(ख) संयंत्र की बेकार पड़ी हुई क्षमता कितनी हैं; और

(ग) कारखाने को सुदृढ़ वित्तीय आधार पर लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) तथा (ख) यह कारखाना मध्यम परिवहन विमानों के निर्माण के लिए स्थापित किया गया था। 1959 में आवश्यकता का संकेत था 150 विमान, परन्तु वर्तमान आर्डर केवल 42 विमानों के लिए है। आर्डर में कमी के फलस्वरूप उत्पादन का आयोजित रेट बढ़ा पाना संभव नहीं हो पाया। कानपुर का प्राप्य संयंत्र प्रतिवर्ष 9 विमानों के उत्पादन के लिए पर्याप्त आंकित किया गया है। 1966 के दौरान 5 विमानों का उत्पादन किया जाएगा। इसे 9 विमान प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का विचार है।

(ग) फैक्टरी की वित्तीय नींव एच० एस० 748 विमानों के लिए पर्याप्त आर्डर के आधार पर ही पक्की होगी। आई० ए० सी० की मध्यम परिवहन विमानों की और आवश्यकताएं हो सकती हैं, विशेषकर विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने की आवश्यकता से पैदा होने वाली अतिरिक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य मंत्रालय की दूरस्थ द्वीपों से बाहर संचार के लिए, भी आवश्यकता है। विचार किया जा रहा है कि यह अधिक आवश्यकताएं एच० ए० एल० से एच० एस० 748 की सप्लाई द्वारा पूरी की जाएं।

रेडियो सैट

3586. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 21 फरवरी, 1966 के अतारांकित **प्रश्न संख्या** 523 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में रेडियो-सैटों के दिये जाने के बारे में इस बीच अंतिम रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रेडियो सैट देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां ।

(ख) 1500 रेडियो सैट । ये सैट राज्य सरकार द्वारा सीधे हांसिल किए जाएंगे ।

फिल्म डिवीजन के कमेंटेटर्स

3587. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 9 मई, 1966 के अतारांकित **प्रश्न संख्या** 4999 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीज़न के कमेंटेटर्स को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अब कोई अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख)यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी

3588. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी से सम्बन्धित 9 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5022 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने इस बीच कोई उत्तर मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) . (क) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

3589. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **प्रधान मंत्री** 16 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5675 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का और विस्तार करने की योजनाओं पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति-मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राजस्थान अणु-शक्ति केन्द्र के दूसरे एकक तथा मद्रास अणु-शक्ति केन्द्र के दो एककों का निर्माण करने के साथ साथ अणु-शक्ति संस्थान द्वारा अन्य परियोजनाओं का, जिनको पांचवी योजना में क्रियान्वित करने के उद्देश्य से उनका कुछ तकनीकी तथा अर्थ सम्बन्धी अध्ययन पूरा करने के पश्चात अभिनिर्धारण किया जायेगा, प्रारम्भिक कार्य भी किया जायेगा ।

सम्बलपुर में स्टाफ आर्टिस्ट

3590. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1966 को सम्बलपुर (उड़ीसा) के आकाशवाणी केन्द्र में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम आतियों के स्टाफ आर्टिस्टों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

	अनुसूचित जातियां	**अनुसूचित आदिम जातियां**
स्टाफ आर्टिस्ट	—	—
अन्य कर्मचारी	12	5
कुल योग :—	12	5

चीनियों द्वारा पुलिस कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों का अपहरण

3591. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द उलाका :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 22 फरवरी, 1966 से अब तक चीनी सैनिकों ने भारत तिब्बत सीमा पर कितने पुलिस कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों का अपहरण किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में चीन सरकार को कोई विरोधयत्र भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में चीनी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक भी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

ताम्बरम रेलवे स्टेशन पर झड़प

3592. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1666 में दक्षिण रेलवे के ताम्वरन रेलवे स्टेशन पर प्रतिरक्षा कर्मचारियों की यात्रियों के साथ झड़प हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस झड़प के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या इस झड़प में कुछ व्यक्तियों को चोटें आई थीं और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ?

रक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ; 15 जून 1966 को।

(ख) कुछ असैनिक यात्रियों ने सैनिक सेविवर्ग के लिए सुरक्षित डब्बे में वलात् प्रवेश करने का यत्न किया जिसका उत्तरोक्त ने आपत्ति की। इस पर उनमें झगड़ा हो गया जिसने एक भारी असैनिक जमघटे को आकर्षित किया जो क्रुध हो उठा और जिसने सेना के सेविवर्ग पर पत्थर फैंके। सूचना प्राप्त होने पर वायु सेना स्टेशन ताम्बरम के डयूटि अफसर ने भारतीय वायु सेना के सेविवर्ग का एक दल शीघ्रता से स्टेशन पर भेजा, जिसमें उस निरंकुश भीड़ को हटाने का प्रबंध किया।

(ग) जी हां, 5 सैनिक सेविवर्ग और एक वैमानिक।

सीमावर्ती क्षेत्रों में जवानों का मनोरंजन

3593. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री लीलाधर कटकी** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोर्चे के क्षेत्रों में तैनात सेना की टुकड़ियों के जवानों के मनोरंजन के लिये कोई प्रबन्ध किए गए हैं ; और

(ख) उक्त क्षेत्रों में तैनात जवानों को और क्या विशेष सुविधाएं दी गई हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। अग्रिम क्षेत्रों में स्थित सैनिकों को निम्न मनोरंजन सुविधाएं प्राप्य की जाती हैं :—

(1) रेडियो, ट्रांजिस्टर, पुस्तकें, पत्रिकाएं और जनसाधारण द्वारा प्रदान किए गए अन्द्रुनी खेल।

(2) मनोरंजन तथा सुख-सुविधा वस्तुओं के क्रय के लिए प्रतिव्यक्ति आधार पर सुख-सुविधा साहित्य अनुदान।

(3) सैनिक सिनेमा यूनिटों द्वारा फिल्मों का प्रदर्शन।

(4) सिनेमा कलाकारों के 5 दलों के भ्रमणों का प्रबंध भी किया गया था।

इसके अतिरिक्त शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक दलों के स्वैच्छिक भ्रमणों का प्रबंध भी किया गया था। चालू वर्ष में अब तक सांस्कृतिक दलों ने सैनिकों के बीच भ्रमण किया है, और ऐसे अधिक भ्रमणों का प्रबंध किया जा रहा है।

(ख) अग्रिम क्षेत्रों में जवानों को अन्य निम्न सुविधाएं भी दी जाती हैं ;

(1) निःशुल्क फैमिली अलाटमेंट भेजना।

(2) विशेष अवसरों जैसे कि विवाह, मृत्यु इत्यादि पर तीन मास में एक बार निःशुल्क रुपये भेजना।

(3) दो निःशुल्क सैनिक पत्र प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह।

(4) अधिकाधिक 30 रुपये प्रतिमास के भारतीय सीमाओं के अन्दर निःशुल्क मनीआर्डर और बिना कमीशन के भारतीय पोस्टल आर्डर भेजना।

(5) अन्तिम ड्युटि स्टेशन पर कुटुम्ब वास्य भवन में वेस रहना या वैकल्पिक तौर पर उनके घरों तक अथवा वास के लिए चुने स्थानों तक उनके कुटुम्बों के लिए मुफ्त परिवहन ।

(6) जवानों की हर प्रकार की छुट्टी का ट्रांजिट कैम्पों से शुरू / तक समाप्त होना, कि उनके ड्युटि स्टेशनों से ।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड

3594. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये सिनेमा फिल्मों की जांच किस आधार पर करता है और किस आधार पर इस प्रदर्शनहेतु प्रमाण-पत्र देता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : फिल्म दिखाने के लिए उसकी जांच करने और प्रमाण-पत्र देने का काम केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 1952 के सिनेमाटोग्राफ कानून, 1958 के सिनेमाटोग्राफ (सन्सरशिप) नियमों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत किया जाता है ।

Folk Songs in A.I.R.

3595. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a pool of the tunes of folk songs is being created in the Directorate General of All India Radio ; and

(b) if so, the number of tunes collected of far ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) About 350 tunes of folk songs prevalent in different parts of the country have already been selected after listening to a large number of items. This process is being continued.

सुरंगों का विस्फोट

3596. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिछाई गई सुरंगों के फटने के फलस्वरूप मृत अथवा घायल हुए व्यक्तियों के परिवारों को समुचित प्रतिकर दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना प्रतिकर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) पंजाब सरकार ने हर उस कुटुम्ब के लिए कि जिसका एक ही कमाऊ सदस्य सुरंगों के ऐसे विस्फोटों के परिणामस्वरूप

मर गया है या स्थायी तौर पर निर्योग्य हो गया है, 1500 रुपये का अनुग्रह-पूर्वक अनुदान स्वीकार किया है, और 500 रुपये उनके लिए जो घायल हुए हैं।

पूर्वी अफ्रीका में भारत विरोधी प्रचार

3597. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी अफ्रीका के देशों में रेडियों और समाचारपत्र भारत में स्थित कुछ विदेशी पत्रकारों और समाचार एजेंसियों के भारत विरोधी प्रचार को प्रश्रय दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) विश्व समाचार एजेंसियों के भारत-स्थित संवाददाताओं द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर जारी की गई कुछ रिपोर्टों का पूर्व अफ्रीकी देशों के रेडियों और प्रेस में प्रचार हुआ है।

(ख) इसका निराकरण करने के लिए हमारे राजनयिक मिशनों ने आवश्यकतानुसार कार्रवाई की और वे बराबर कार्रवाई करते हैं। इन देशों में सरकारी खंडन का भी प्रचार किया गया है।

टेलीविजन संस्था में घुसने का अमरीकी प्रयास

3598. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी लोग आकाशवाणी में अपना प्रभाव जमाने में असफल रहने के कारण अब बड़े पैमाने पर टेलीविजन संस्था में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयास को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हाँ। 27 जून के "पैट्रियट" में छपी एक खबर की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) अमरीका के एक कार्पोरेशन ने, टेलीविजन पर व्यापारिक कार्यक्रम के लिए तथा टेलीविजन कार्यक्रमों के विनिमय के लिये, सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। हमारी मूल नीति के विपरीत होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका।

Press Cuttings by P. I. B.

3599. **Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of English dailies and magazines, separately, whose cuttings are regularly supplied to the Ministries concerned and to Government departments by the Press Information Bureau ;

(b) the number of Hindi dailies and magazines whose cuttings are supplied to the Ministries ; and

(c) the number of Ministries and Departments, which do not ask for cuttings

of Hindi newspapers and magazines and the arrangements made in such offices to know the views of the general public ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) :

(a)	(i) English dailies	...	27
	(ii) Other English magazines	...	9
(b)	(i) Hindi dailies	...	8
	(ii) Other Hindi magazines	...	7

(c) There are only 2 Ministries which have not asked for regular supply of Hindi clippings. But even in their case important clippings relating to their activities are sent. Besides editorial comments relating to them arei ncorporated in the daily Hindi Press Round-ups.

Driving Out of Bengali Muslims from East Pakistan

3600. **Shri Vishwa Nath Pandey : Shri Brij Basi Lal :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan Government is driving out a section of Bengali Muslims from East Pakistan and is sending them to India from unspecified routes ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) Government have no such information.

(b) Does not arise.

Naval Base in Andaman and Nicobar Islands

3601. **Shri Brij Basi Lal : Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to build a new naval base in Andaman and Nicobar Island;

(b) if so, when; and

(c) the estimated cost thereof?

The Minister of defence (Shri Y.B. Chavan): (a) to (c) Yes, Sir. Full details of the Scheme are under the consideration of the Government.

Burning to Death of Shri Kedar Nath in British Guiana

3602. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a priest in British Guiana Shri Kedar Nath burnt himself to death, as reported in the press on the 28th. June, 1966;

(b) whether it is also a fact that he burnt himself to death to protest against the slaughtering of pigs near the temple;

(c) if so, whether Government have written to the Government of British Guiana in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise in view of the reply to part (b) above.

ऋतु विज्ञान सम्बन्धी प्रयोग

3603. **श्री पन्नालाल :** **श्री बृजबासी लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 जुलाई, 1966 को त्रिवेंदम के निकट स्थित थुम्बा राकेट लांचिग स्टेशन द्वारा स्पैंड चैक लोड के साथ जुड़ी-डार्ट राकेटों का उपयोग करके ऋतु विज्ञान संबंधी प्रयोगों की प्रथम श्रृखंला सफलतापूर्वक पुरी की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) समुद्र की सतह के ऊपर 25-60 किलोमिटर के क्षेत्र में हवा की दशा तथा गति के बारे में मूल्यवान सामग्री एकात्रित की गई थी। उसकी जांच के परिणाम वैज्ञानिक पत्रिकाओं को भेज दिये गये हैं।

रेडियो भारत

3604. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो)' का नाम बदल कर रेडियो भारत (रेडियो इंडिया) रखने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Strike by Defence Employees in Nagpur

3605. **Shri Bade:** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y.D. Singh :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Defence Employees went on one day's token strike on the 12th July, 1966 in Nagpur;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) A number of employees at several Defence Installations went on one day's token strike on 12th July 1966. Whether any Defence Installation at Nagpur was affected by the strike is being ascertained and the information will be laid on the Table of the House.

(b) The strike was staged in support of the demand for revival of the Negotiating Machinery.

(c) The proposal to set up an interim Negotiating Machinery for civilian Defence employees has been considered and dropped, in view of the fact that the joint Consultation and Compulsory Arbitration scheme of the Ministry of Home Affairs, in which the Defence Ministry will participate, is likely to come into force shortly.

Strike by the Naval Employees in Bombay

3606. **Shri Bade: Shri Sonavane:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya Shri Y. D. Singh:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nearly 15,000 employees of the Navy went on a token strike in Bombay on the 12th July, 1966 in support of their demands; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) Out of 14,116 employees working in the Naval Establishments at Bombay, 9,725 went on one day's token strike on 12th July 1966, in support of their demand for revival of Negotiating Machinery.

(b) The proposal to set up an interim Negotiating Machinery for civilian Defence employees has been considered and dropped, in view of the fact that the Joint Consultation and Compulsory Arbitration Scheme of the Ministry of Home Affairs, in which the Defence Ministry will participate is likely to come into force shortly.

Demands of Defence Employees

3607. **Shri Bade: Shri Sonavane:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Y.D. Singh:

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 896 on the 1st August, 1966 and state the action taken by Government on the demands of the Defence employees who went on strike on the 12th July, 1966?

The Minister of Defence (Shri Y.B. Chavan): The proposal to set up an interim Negotiating Machinery for civilian Defence employees has been considered and dropped, in view of the fact that the Joint Consultation and Compulsory Arbitration Scheme of the Ministry of Home Affairs, in which the Defence Ministry will participate, is likely to come into force shortly.

I.A.F. Plane Crash

3608. **Shri Bade: Shri Sonavane:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Y. D. Singh:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an IAF plane was involved in an accident near Delhi Cantonment on or about 9th July, 1966;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) an IAF aircraft accident occurred 5 miles south of Patiala on 9th July, 1966. There was no other IAF aircraft accident near Delhi Cantt. on or about this date.

(b) and (c) A Court of Inquiry has been ordered to investigate the accident. The cause of the accident will be known when the report of the Court of Inquiry is received.

Pak. Allegation about Driving out Muslims by Force

3609. **Shri Bade: Shri Sonvane:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Y.D. Singh:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan has made an allegation that India is driving out Muslims by force;

(b) whether it is also a fact that she has also levelled a charge that India has illegally sent 5 lakh Pakistanis into East Pakistan; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) to (c) The Pakistan Government has not sent any recent communication alleging that India is driving out Muslims by force or that India has illegally sent 5 lakh Pakistanis (alleged by Pakistan to be Indian Muslims) into East Pakistan. There have been such general false allegations in the past and they have been duly contradicted. There can be no question of India driving out any of her citizens to other countries.

एम० ई० एस० के लिये बिजली के पंखों की खरीद

3610. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष एम० ई० एस० विभाग ने गैर-सरकारी समवायों से बिजली के पंखे खरीदे थे ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक संविदा कितनी धनराशि का था ; और

(ग) इंडियन इलैक्ट्रिक वर्क्स से, जो कि सरकारी उपक्रम है, पंखे न खरीदे जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) तक तक बिजली के पंखे स्थानीय सैनिक अधिकरणों द्वारा उस फर्म / फर्मों को सप्लाई आर्डर भेज कर अवाप्त किये जाते हैं, जिनके साथ डी० जी० एस० एण्ड डी० ने दरों के संबंध में करार किया हुआ है। पिछले वर्ष के दौरान किए गए क्रयों के संबंध में स्थानीय अधिकरणों से सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सूचना यथाशीघ्र लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रमण्डल संगठन के लिये नया कार्यालय

3611 **श्री राम हरख यादव** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डल संगठन के लिये नया कार्यालय खोला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां खोला गया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। इसे राष्ट्रमंडल सचिवालय कहते हैं।

(ख) यह लन्दन में है।

सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के लिये फैमिली क्वार्टर

3612. **श्री अ० व० राघवन** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों तथा जवानों के लिये पर्याप्त फैमिली क्वार्टरों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या विवाहित अधिकारियों को आवास प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ?

रक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सेवाओं के अफसरों और जवानों के

विवाहित वास्य भवनों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। और समग्र कमियों को अगले 15 से 20 वर्षों में पूरा करने के लिये आयोजनाएं बनाई गई हैं।

(ख) सरकार द्वारा घृत वास्य स्थानों की अनुपूर्ति यथासम्भव हद तक किराये पर लिये गये तथा अधिगृहीत वास्य स्थानों से की जाती है। तदापि, सभी सैनिक स्थानों पर विवाहितों के लिये वास्य स्थानों की कमी है, और अफसरों को विभिन्न अवधियों के लिए विवाहित वास्य भवनों के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है। विवाहित वास्य स्थान अलाट होने तक अफसरों को एकलों के वास्य स्थान दिए जाते हैं।

केरल में आयुध कारखाना

3613. **श्री अ० व० राघवन** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक आयुध कारखाना लगाने के सम्बन्ध में केरल सरकार ने हाल में कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख) समय समय पर केरल सरकार द्वारा दिए गये सुझाव नोट कर लिए गये हैं, और उन पर, नई आर्डनेन्स फैक्ट्रियों के स्थानों के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय विचार किया जायेगा।

Beating of Civilians by Soldiers at Ranchi

3614. **Shri Yudhvir Singh:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade: **Shri Omkar Singh:**

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that civilians were beaten by soldiers in Ranchi on the 12th July, 1966;

(b) if so, the causes thereof;

(c) the number of persons injured; and

(d) the action taken by Government in the matter?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir. The fact is that on 12th July, 1966 a grocer was stabbed by somebody on Ranchi-Bariatu road near the area of an Army Unit. The grocer's son with other persons started chasing the culprit towards the Unit crying 'Chor-Chor'. Some army personnel who happened to be sitting near the unit check post apprehended these men under the impression that they might be the miscreants. The apprehended men were handed over to the civil police later.

(b) to (d) : Do not arise.

एक देश के आदिम जाति के लोगों को दूसरे देश के राज्य क्षेत्र में घुसने से रोकने के बारे में भारत और बर्मा की सरकारों के बीच बातचीत

3615. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री 8 अगस्त 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 318 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक देश के आदिम जाति के लोगों को दूसरे देश के राज्य क्षेत्र में घुसने से रोकने

के लिये भविष्य में क्या क्या उपाय किये जायें, इस सम्बन्ध में भारत सरकार और बर्मा सरकार के बीच किस स्तर पर बातचीत हुई ;

(ख) किन-किन बातों के बारे में बातचीत हुई ; और

(ग) दोनों सरकारों के प्रतिनिधि किन-किन बातों पर सहमत हुए ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) आपसी हित के मामलों पर विचार करने के लिये सभी समुचित स्तरों पर सम्पर्क स्थापित कर लिया गया है, जिनमें छिपे नागाओं और मीज़ो विद्रोहियों का बर्मा में अनधिकृत प्रवेश भी शामिल है ।

(ख) और (ग) चूंकि बातचीत गोपनीय थी, इसलिये इन्हें बताना सार्वजनिक हित में न होगा ।

भारतीय वायु सेना के हेलीकाप्टर का विवश होकर उतरना

3616. **श्री पन्नलाल** : **श्री बृजबासी लाल** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 जुलाई, 1966 को शिवसागर जिले (जोरहाट) के चुनगाजन नामक स्थान पर भारतीय वायुसेना के एक हेलीकाप्टर के विवश होकर भूमि पर उतरने के परिणाम स्वरूप उसके चालक तथा उसमें बैठे हुए अन्य पांच व्यक्तियों को चोटें आई ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां । एक वायु सेना हेलिकाप्टर को 1966 को दीमापुर से 10 मील उत्तर में विवश होकर उतरना पड़ा था । विमानचालक के अतिरिक्त हेलिकाप्टर में 3 सेवा सेविवर्ग थे । घटना के फलस्वरूप किसी को चोटें नहीं आई थी ।

(ख) तथा (ग) दुर्घटना की जाँच करने के लिए एक कोर्ट आव इन्क्वायरी आदिष्ट की गई है । दुर्घटना का कारण रिपोर्ट प्राप्त होने पर मालूम हो पायेगा ।

चीन-पाकिस्तान समझौता

3617. **श्री श्रीनारायण दास** : **श्री मुखिया** :

श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के बारे में चीन-पाकिस्तान समझौते का व्यौरा सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या चीन पूर्वी पाकिस्तान में एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना के लिये तकनीकी और वित्तीय सहायता देने को सहमत हो गया है ; और

(घ) क्या पाकिस्तान में इस प्रकार स्थापित होने वाले परमाणु ऊर्जा केन्द्र का निरीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण द्वारा किया जा सकेगा ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) यह खबर है कि इस वर्ष जुलाई के महीने में पाकिस्तान के वाणिज्य मन्त्री, श्री गुलाम फारूक की चीन यात्रा के दौरान, चीन और पाकिस्तान के बीच एक आर्थिक और तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इस करार के विषय और विवरण के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल, यह मालूम है कि फरवरी 1965 में चीन सरकार ने पाकिस्तान को 6 करोड़ डालर का बिना ब्याज का कर्ज देने की पेशकश की थी। ऐसी भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को सैनिक सामग्री आदि खरीदने के लिए और भी कर्ज देने की पेशकश की है।

(ग) और (घ) चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु भट्टी देने की सम्भावनाओं के बारे में भी अखबारों में खबरें आई हैं लेकिन सरकार ऐसी खबरों की सच्चाई की पुष्टि करने में असमर्थ है।

अमरीकी शांति दल (पीस कोर)

3618. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अमरीकी शांति दल (पीस कोर) के कितने व्यक्ति भारत में हैं ;

(ख) वे व्यक्ति किन स्थानों में और किन परियोजनाओं में लगे हुए हैं तथा उनकी संख्या क्या है और क्या वे बिना कोई अनुमति लिये सारे देश में घूम सकते हैं ; और

(ग) उन्होंने पी० एल० 480 कोष में से कितनी राशि खर्च की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) आजकल अमरीकी शांति सेना के 730 स्वयंसेवक भारत में हैं।

(ख) वे जिन राज्यों और जिन प्रायोजनाओं पर लगाये गये हैं, वे नीचे दी गई हैं :

(क) राज्य / यूटी	संख्या
1. आंध्र	81
2. बिहार	23
3. दिल्ली	12
4. गुजरात	28
5. केरल	49
6. मद्रास	33
7. मध्य प्रदेश	60
8. महाराष्ट्र	140
9. मैसूर	65
10. उड़ीसा	31
11. पंजाब	57
12. राजस्थान	57

(क) राज्य / यूटी	संख्या
13. त्रिपुरा	1
14. उत्तर प्रदेश	81
15. पश्चिम बंगाल	12
(ख) प्रायोजना	**संख्या**
1. खाद्य उत्पादन	410
2. ग्राम स्वास्थ्य	124
3. स्कूल शिक्षण	52
4. लघु उद्योग	27
5. नगर सा० वि०	45
6. विविध	72

इन स्वयंसेवकों को प्रतिबन्ध वाले क्षेत्रों में बिना परमिट के प्रवेश नहीं करने दिया जाता। वे सरकारी काम पर अथवा अधिकृत अवकाश के दौरान मुक्त रूप से अन्य स्थानों पर आ जा सकते हैं।

(ग) 1961 में उनके आरंभ से 31-3-66 तक पी० एल० 480 निधि से 1·25 करोड़ रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है।

Landing on Moon

3619. **Shri P. L. Barupal: Shri Dhuleshwar Meena :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the time by which India would be able to shoot a manned-ship in the space; and

(b) whether Government have decided to take some specific steps in this direction?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b) the present space research programme of the Department of Atomic Energy does not envisage the lunching of manned space-ships.

जनरल रिजर्व इंजीनियर फार्स

3620. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, कोर आफ इंजीनियर्स की भांति आपातकाल में सड़क बनाने तथा उनके संधारण का काम कर रहा है ; और

(ख) जनरल रिजर्व इंजीनियर फार्स में एक स्थायी पदालि बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स नाम, अग्रिम क्षेत्रों में सड़कों के विभागीय निर्माण के लिये एजंसी को दिया गया है। यह इंजीनियरों, असैनिक तथा मेकैनिक, प्रशासनिक कर्मचारीगण, डाक्टरों इत्यादि मुख्यत: असैनिकों पर सम्मिलित एक संगठन है। केवल अनुशासन के लिये, वह आर्मी एक्ट और नियमों के कई

उपबन्धों के अधीन है। मुख्य स्थान सेना के अफसरों-मुख्यत: कोर आव इंजीनियर्स द्वारा पूर्ण किये जाते हैं।

कोर आव इंजीनियर्स सेना के एक समाकलित संस्थान के तौर पर काम करती है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

केरल में राष्ट्रीय सेना छात्र दल के प्रधिकारी

3621. **श्री पोट्टेकाट्ट** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मालाबार क्षेत्र में राष्ट्रीय सेना छात्र दल के कुछ अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनको सेवा से हटाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) निकट भूतकाल में केरल के मालाबार क्षेत्र में केवल एक एन० सी० सी० अफसर को अपने पद से विमुक्त किया गया था।

(ख) अफसर ने साधारण दो वर्षों की नियुक्ति अवधि सम्पूर्ण करली थी।

(ग) इस मामले में किसी प्रकार की जांच आवश्यक नहीं है।

Prime Minister's Visit to Moscow

3622. **Shri Y. D. Singh:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Kashi Ram Gupta:

Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that both the sons of the Prime Minister accompsanied her on her visit to Moscow; and

(b) if so, who bore their expenditure and the reasons for their accompanying her?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) No, Sir. Only one of her sons accompanied the Prime Minister on her visit to Moscow.

(b) The air fair of the accompanying son by Air India from Delhi to Cairo, Cairo to Brioni and Moscow to Delhi waspaid by the Prime Minister. The journey from Brioni to Moscow was performed by a special Soviet plane sent by the Soviet Government for the Prime Minister and her party. It is the usual practice for Heads of Government to be accompanied by a member of their family when they go as state guests on their official visits abroad. The son was treated as a state guest along with the Prime Minister. The Government of India did not incur any expenditure on his account.

आकाशवाणी के कोजी कोड केन्द्र द्वारा मूल्य सम्बन्धी बुलेटिनों का प्रसारण

3623. **श्री मुहम्मद कोया** :
श्री इम्बीची बावा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोल्या बेंकैया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कोजीकोड केन्द्र के रेडियो बुलेटिन में सनलाइट साबुन जैसे कुछ साबुनों के नाम ही घोषित किये जाते हैं तथा स्थानीय साबुनों के नाम घोषित नहीं किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) आकाशवाणी के कालीकट केन्द्र से सनलाइट साबुन और 501 वार सोप के भाव सुनाए जाते हैं । भाव के बुलेटिन, जिला सप्लाई अधिकारी, कालीकट, से प्राप्त सूची पर आधारित होते हैं, और उस सूची में केवल इन्हीं दो साबुनों के भाव होते हैं । रेडियो बुलेटिन में स्थानीय साबुन के नाम शामिल न करने के कारण मालूम किये जा रहे हैं और यथासमय एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

वियतनाम के संबंध में शक्ति वार्ता

3624. **श्री मुहम्मद कोया** : **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाइलैण्ड, फिलीपीन और मलयेशिया ने वियतनाम के सम्बन्ध में नये सिरे से शांति वार्ता करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या सरकार के पास कोई अधिकृत जानकारी है तथा उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) बैंकाक-स्थित भारतीय राजदूत के जरिये भारत सरकार को सूचना दी गई है कि थाईदेश, मलयेशिया और फिलिपीन की सरकारों ने वियतनाम की स्थिति के बारे में एक सम्मिलित अपील की थी । भारत सहित सोलह अन्य देशों से भी कहा गया था कि वे वियतनाम युद्ध में उलझे तमाम देशों के नेताओं से तत्काल एक अपील करने में शामिल हों कि वे समस्या का शीघ्र और सम्पूर्ण हल करने की दृष्टि से सम्मेलन की मेज पर आ जाएं ।

(ग) भारत सरकार वियतनाम संघर्ष के विस्तार से एशिया को होने वाले बड़े खतरे पर चिंतित है और उसका ख्याल है कि कोई बातचीत हो सके, इसके लिये पहले उत्तर वियतनाम पर बिना शर्त बमबारी बन्द की जानी चाहिए ।

श्री कामराज की पूर्वी जर्मनी की यात्रा

3625, **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पूर्वी जर्मनी के श्री कामराज नाडार की यात्रा के बारे में 4 अगस्त, 1966 के "लन्दन टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या पश्चिमी जर्मनी से उन्हें कोई सरकारी सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ग) सरकार की उसके बारे में प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक अधिकारियों के लिये पारिवारिक निवास-स्थान

3626. **श्री टे० सुब्रह्मण्यम :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के एक अधिकारी को पारिवारिक निवास-स्थान प्राप्त करने के लिये कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) इस प्रकार के वास-स्थान के लिये कितने अधिकारियों के नाम प्रतीक्षा-सूची में हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) किसी स्टेशन में विवाहितों के लिये वास्य स्थान की प्राप्यता और उस स्टेशन में विवाहित सेवा अफसरों की संख्या पर निर्भर, विभिन्न स्टेशनों पर प्रतीक्षा की अवधि विभिन्न है।

(ख) आवश्यक सूचना स्थानीय सैनिक अधिकरणों से इकट्ठी की जा रही है, और जब प्राप्त हुई सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

धान के बीच

3627. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे अणुशक्ति संस्थान के जीव विज्ञान विभाग ने धान के बीजों की दो नई किस्में तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ये बीज केरल में धान की खेती के लिये सर्वाधिक उपयुक्त हैं ; और

(ग) क्या इन बीजों का अधिक भूमि पर खेती के लिये उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) चावल की पी० टी० बी० —10 किस्म केरल में लोकप्रिय है तथा केरल में इस परिवर्तन्नोत्पादन किस्म के तीन स्थानों पर सफल परिक्षण किये गये हैं।

(ग) पी० टी० बी० 10 किस्म की बड़े पैमाने पर खेती करने की योजना कृषि कॉलजा तथा अनुसंधान संस्था, विलैनी ने बनाई है।

नेपाल को सप्लाई की जाने वाली नियंत्रित वस्तुओं के कोटे में वृद्धि

3628. **श्री फ० गो० सेन :** क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने यह मांग की है कि उसे सप्लाई की जाने वाली नियंत्रित वस्तुओं के कोटे में वृद्धि की जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि जब वैदेशिक कार्य मन्त्री ने 1964 में नेपाल का दौरा किया था तो ट्रकों का कोटा चार गुना बढ़ा दिया गया ; और

(ग) उसके पश्चात कितने ट्रक वहां भेजे गये हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। नेपाल ने कहा था कि उसे भेजी जानेवाली नियंत्रित वस्तुओं के कोटे में वृद्धि की जाये और वह कोटा ऐसी वस्तुओं के लिये बढ़ा दिया गया है जहां ऐसा करना वांछनीय था।

(ख) जी हां। 1964 में, नेपाल सरकार ने 200 ट्रकों के लिये विशेष अनुरोध किया था। विदेष मन्त्री अपनी यात्रा के दौरान उस अनुरोध को पूरा करने पर सहमत हो गये थे। इसके बाद, नेपाल को ट्रकों का आबंटन प्रतिमास 5 ट्रकों से बढ़ाकर 20 ट्रकों का कर दिया गया। सरकार के लिये उपर्युक्त आबंटन के अलावा, प्राइवेट पार्टियों के लिये प्रतिमास 5 ट्रक तक दिये जाते हैं।

(ग) विशेष अनुरोध की पूर्ति के लिये वास्तविक सप्लाई दिसम्बर 1964 से आरम्भ हुई। अप्रैल 1966 तक 80 ट्रक नेपाल को दिये जा चुके हैं।

पाकिस्तानी राष्ट्रपति के विमान के डमडम हवाई अड्डे पर उतरने के लिये संकट सूचना

3629. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के विमान ने 6 अगस्त, 1966 को आपात की स्थिति में उतरने के लिये डमडम हवाई अड्डे को संकट की सूचना दी ;

(ख) यदि हां, तो विमान डमडम पर न उतर कर पाकिस्तान की ओर सीधा क्यों चला गया ; और

(ग) क्या उस विमान के साथ-साथ भारतीय वायु सेना का विमान भी था जैसा कि किसी अन्य देश के अध्यक्ष के दूसरे देश के राज्य क्षेत्र पर उड़ते समय की परम्परा के अनुसार होता है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) बात यह है कि 6 अगस्त 1666 को भारत स्थिति पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने यह सूचना दी थी कि चूंकि ढाका में मौसम खराब होने की सम्भावना है, इसलिये पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स के एक वाणिज्य विमान को, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति लाहौर से ढाका जा रहे थे, डम-डम हवाई अड्डे पर बिना पूर्व कार्यक्रम के उतरना पड़ जाए। बहरहाल, मौसम ऐसा रहा कि यह विमान सीधा ढाका चला गया।

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच यह व्यवहार नहीं है कि किसी एक देश के राज्याध्यक्ष विमान द्वारा दूसरे के प्रदेश से होकर जा रहे हों तो उनको ले जाने वाले विमान के साथ रक्षक विमान भेजे जाएं और न ही ऐसा कोई सर्वमान्य व्यवहार ही है।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

3630. **श्री वारियर :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्य कारखानों की तरह भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर में एक आपातकालीन उत्पादन समिति स्थापित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति की कितनी बैठकें हुई और उत्पादन बढ़ाने के लिये उसने क्या निर्णय किये ;

(ग) भारत इलेक्ट्रानिक्स में इस समय कितनी द्विपक्षीय समितियां काम कर रही है ;

(घ) क्या यह सच है कि वर्तमान प्रशासन प्रबन्धक जब से इन द्विपक्षीय समितियों के अध्यक्ष बने हैं तब से इन सभी समितियों का काम रुक गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच करने के आदेश दिये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 1958 से भारत इलेक्ट्रानिक्स में काम कर रही वर्क्स कुमेटी ने आपाती उत्पादन कुमेटी के नाम से 1962 में एक सब कुमेटी स्थापित की थी।

(ख) अब तक आपाती उत्पादन कुमेटी की पांच बैठकें हो चुकी हैं और उन्होंने निम्न बातों पर विचार किया है :—

(1) अनुपस्थितियों में कमी।

(2) असेम्बली, निरीक्षण कार्य इत्यादि में साज़सामान की गतिविधि में कमी।

(3) सेविवर्ग की अनावश्यक गति की रोक।

(4) शाप्स में पर्यवेक्षण में सख्ती के लिये उपाय।

(5) उत्पादनकता बढ़ाने के लिये अन्य संस्थानों जैसे कि उत्पादकता परिषद् की सहायता प्राप्त करने के उपाय।

(ग) 6।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

3631. **श्री वारियर :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा पदालि के किसी अधिकारी को मैसूर सरकार से प्रतिनियुक्ति पर भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में किसी वरिष्ठ प्रशासी पद पर नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति पर ऐसे व्यक्तियों की सेवायें प्राप्त करने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है ;

(ग) क्या ऐसे पदाधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासी पदों पर नियुक्त किये जाने की अनुमति देने से पूर्व सरकार द्वारा उनके पूर्ववृत्त की जांच की थी ;

(घ) क्या उनमें से किसी व्यक्ति को औद्योगिक सम्बन्धों के प्रशासन का कोई अनुभव है ;

(ङ) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में हाल में औद्योगिक सम्बन्ध खराब हो गये हैं ; और

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। मैसूर के भारतीय प्रशासनिक सेवा काडर से एक अफसर की भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में प्रशासनिक मैनेजर के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है।

(ख) सेविवर्ग के प्रबन्ध, सतर्कता, सुरक्षा और औद्योगिक सम्बन्धों को कवर करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निश्कर्ष है कार्यकारी अनुभव।

(ग) अफसर के अनुभव और सेवा के रिकार्ड का उस पद पर उसकी नियुक्ति से पहले, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा पूरा ध्यान दिया गया था।

(घ) इस पद को धारण करने के लिये संबद्ध अफसर की प्रशासनिक पृष्ठभूमि और अनुभव पर्याप्त समझे गए हैं।

(ङ) तथा (च) यदि कुछ ह्रास हुआ है तो वह प्रशासनिक मैनेजर के कारण नहीं है।

उड़ीसा में फिल्म स्टूडियों

3632. **श्री रामचन्द्र उलाका** : **श्री धुलेश्वर मीना** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण उपमन्त्री ने हाल में उड़ीसा में कहा है कि उड़ीसा में एक फिल्म स्टूडियो स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह स्टूडियो कहां और कब स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

सस्ते रेडियो सेट

3633. **श्री हु० त्ता० लिंग रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तथा ग्राम पंचायतों को सस्ते रेडियो देने में सरकार कहां तक सफल रही हैं ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर सरकार ने ऐसे कितने सामुदायिक रेडियो सेटों की मांग की थी ; और

(ग) वस्तुतः कितने ऐसे रेडियो सेट दिये गये और किन दरों पर ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : **(क)** सस्ते रेडियोसैटों को तैयार

करने के लिये कुछ जरूरी पुर्जे और कच्चे माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा चाहिये। देश में इन सैटों को बनाने / वितरण करने के पूरे मामले पर योजना आयोग तथा वित्त और उद्योग मन्त्रालयों के साथ विचार किया जा रहा है।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

भारतीय वायु सेना में भर्ती

3634. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री प्र० च० बरुआ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना में सभी प्रकार के व्यवसायों और सब श्रेणियों की सेवा में भर्ती के लिये अधिकतम आयु-सीमा 20 वर्ष है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिकतम आयु-सीमा में सीमावर्ती क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों के व्यक्तियों के मामले में अथवा किसी अन्य आधार पर छूट दी जा सकती है ?

रक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) संगीतकारों और शिक्षा प्रशिक्षकों की ट्रेडों के अतिरिक्त जिनके लिये उच्चतर आयु सीमाएं प्राप्य है, आई० ए० एफ० में सभी व्यवसायों और श्रेणियों के वैमानिक की भर्ती के लिये अधिकाधिक आयु सीमा 20 वर्ष है।

(ख) ऐसे मामलों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के लिये नियमों में कोई उपबन्ध नहीं है।

परमाणु हथियारों से रक्षा की गारंटी के बारे में ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री का वक्तव्य

3635. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री 25 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 13 में उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मई, 1966 को हाउस आफ कामन्स में ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि "हमें आशा है कि न केवल भारत के लिये ही बल्कि अन्य गैर-परमाणु शक्ति वाले देशों के लिये भी परमाणु हथियारों से रक्षा की समूहीकृत गारन्टी का देना सम्भव है" और

(ख) क्या यह वक्तव्य सरकार के साथ सलाह करके तथा उसके अनुमोदन से दिया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

रंगून में भारतीय राजदूतावास

3636. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** **श्री स० मो० बनर्जी:**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रंगून में भारतीय दूतावास में ऐसे व्यक्तियों को सहायक के पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है जिन्होंने मैट्रिक भी पास नहीं किया है ;

(ख) क्या उसी दूतावास में अन्य स्नातक सहायकों को सरकार के मितव्ययिता लाने के निर्णय के फलस्वरूप लिपिक के पद पर पदावनत कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को विशेष भत्ता और भारत के लिये यात्रा भत्ता के साथ घर आने की छुट्टी भी मिलती है; और

(घ) इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हाँ। एक स्थानीय क्लर्क को यह तरक्की दी गई थी।

(ख) जी हां। एक स्थानीय सहायक की पदावनति की गई थी।

(ग) कुछ स्थानीय कर्मचारियों को सेवा की इन शर्तों का हक है।

(घ) राजदूत, जो मिशन प्रमुख है, स्थानीय पदों का नियुक्त अधिकारी है और वह स्थानीय कर्मचारियों के कार्य के लेखे के आधार पर उनकी पदोन्नति। पदावनति का आदेश देने का सक्षम अधिकारी है।

जहां तक उपर्युक्त (ग) का प्रश्न है, सितम्बर 1950 से पूर्व भर्ती किये गये स्थानीय कर्मचरियों को विदेश भत्ता और गृह अवकाश यात्रा व्यय दिया जाता था। उसके बाद भर्ती किये गए स्थानीय कर्मचारी स्थानीय वेतनमान पर थे और उन्हें ये सुविधाएँ नहीं दी जाती थीं; ये वेतनमान मार्च 1958 में संशोधित किए गए और सितंबर 1950 के पहले के कर्मचारियों को 1958 के वेतनमानों को स्वीकार करने अथवा 1950 के पहले के वेतनमान पर विदेश भत्ते और गृह अवकाश यात्रा व्यय की सुविधाओं पर ही रहने की अनुमति दी गई थी।

मैसूर में ग्राम्य रेडियो फोरम

3637. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसूर राज्य में इस समय कितने ग्राम्य रेडियो फोरम चल रहे हैं; और

(ख) उन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) 778.

(ख) मैसूर राज्य में रेडियो ग्राम गोष्ठी पर इस वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई 1966 तक यह खर्च हुआ :—

(1) आकाशवाणी के कार्यक्रमों पर खर्च—802 रुपये 20 पैसा।

(2) राज्य सरकारों द्वारा गोष्ठियों के क्षेत्रीय संगठन पर खर्च—2042 रुपये 16 पैसा।

न्यू यार्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के लड़के का पीटा जाना

3638. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्यूयार्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहायक प्रशासनिक अधिकारी के लड़के को एक भूतपूर्व अमरीकी मेरीन (नौसैनिक) ने बुरी तरह पीटा है; और

(यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। लेकिन वह सहायक का लड़का था, सहायक प्रशासनिक अधिकारी का नहीं।

(ख) 6 अगस्त 1966 को न्यूयार्क-स्थित भारतीय प्रधान कोंसलावास में भारत-आस्थानी सहायक, श्री पी० एन० गुलाटी और उनका परिवार संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में भारत के स्थायी मिशन के एक भारत-आस्थानी कर्मचारी के मकान पर रात्रि का भोजन कर रहा था। रात को 11-30 बजे के करीब, गुलाटी का लड़का, धीरज, अन्य भारत-आस्थानी कर्मचारी के दो लड़कों के साथ नीचे गया। जब वे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने बैठे हुए हिंदी में बातें कर रहे थे, तब एक अमरीकी व्यक्ति ने, जो नशे की हालत में वहां से गुजर कर जा रहा था, बिना किसी उत्तेजना के साथ दुर्व्यवहार किया और यह कह कर उसे मारा-पीटा कि वे अपनी भाषा में उसके बारे में बातें कर रहे थे। उस हमलावर के साथ पड़ोस के मकान से एक और आदमी मिल गया। लड़कों ने मदद लेने की गरज़ से एक गुज़रती हुई कार को रोका जिसपर हमलावर भाग खड़े हुए। इसके बाद तत्काल धीरज गुलाटी को एक अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी आवश्यक चिकित्सा की गई और एक्स-रे लिया गया; सौभाग्य से उसे गंभीर चोट नहीं पहुँची।

स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी तत्काल सूचना दे दी गई। उन्होंने अब हमलावर का पता लगा लिया है और आशा है कि उसपर अदालत में दुष्टतापूर्ण हमला करने का दोष लगाया जाएगा। न्यूयार्क-स्थित भारत का प्रधान कोंसलावास भी वकीलों से सलाह करके इसकी जांच कर रहा है कि उन्हें आगे क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

पाकिस्तानी कर्मचारियों पर चलाये गये मुकदमों के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा भारत को भेजा गया विरोध पत्र

3639. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने जम्मू और काश्मीर के मुख्य मन्त्री को मारने का प्रयत्न करने :वाले पाकिस्तानी कर्मचारियों पर चलाये गये मुकद्दमों के विरुद्ध भारत को विरोधपत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या बातें लिखी हुई हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह विरोध पाकिस्तानी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के ढंग और उद्देश्य के खिलाफ बेबुनियाद आक्षेप करता है। इसमें जम्मू और काश्मीर की जनता पर दमन का भी झूठा आरोप लगाया गया है।

(ग) भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वस्तुपरकता के बारे में सारा संसार जानता है। समस्त देश में जनता की मूलभूत स्वतंत्रता और मुक्ति सुरक्षित है। विरोध-पत्र वे बुनियाद है और सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के विरोध-पत्र और हमारे उत्तर को एक-एक प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-6952/66]

केरल में नौसेना डाक यार्ड

3640. **श्री कोल्ला वेंकैया :** **श्री नम्बियार :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में एक नौसेना डाक यार्ड बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या कोचीन में शिपयार्ड स्थापित करने के निर्णय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेना में कनिष्ठ कर्मचारियों की शिकायतें

3641. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री बूटा सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेना में कनिष्ठ कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये संयुक्त परामर्श और अनिवार्य मध्यस्थ-निर्णय योजना के अंतर्गत संयुक्त परिषदों की स्थापना के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : संयुक्त वार्ता और अनिवार्य मध्यस्थता योजना को कार्यान्वित करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं, और उस योजना के अधीन संयुक्त परिषद् स्थापित करने का प्रश्न सक्रियता से विचाराधीन है।

रक्षा कार्मिकों के दोनों संघों से राष्ट्रीय परिषद् के लिये नमांकन मांगे गए हैं। उनमें से एक ने अपने नामांकितों के नाम भेजे हैं।

ताशकन्द में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में शिलास्तम्भ

3643. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री रा० स० तिवारी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उजबेक (रूस) की सरकार ताशकन्द योजनाओं के अनुसार ताशकन्द में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में एक शिला स्तम्भ बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। उज़बेक सोवियत समाजवादी गणतंत्र सरकार का इरादा है कि ताशकन्द में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री की यादगार में एक शिला स्तम्भ (ओबेलिस्क) बनाया जाये।

(ख) भारत सरकार ने उज़बेक सरकार के प्रति उनकी सराहना अभिव्यक्त की है।

Librarian in Indian Mission at New York

3644. **Shri Vishram Prasad:** **Shri Ram Sewak Yadav:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Yashpal Singh:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the librarian of the Indian Mission in New York has tendered his resignation; and

(b) if so, the arrangements being made to fill up this vacancy ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir. It is a fact that the librarian, a local Indian employee, in the Consulate General of India, New York has resigned.

(b) It has been decided to convert the post of local Librarian into that of India-based Librarian. Pending the selection and appointment of a trained Librarian from India, the Mission has been authorised to recruit a suitable person locally.

Librarian in Indian High Commission, London

3645. **Shri Vishram Prasad:** **Shri Ram Sewak Yadav:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Yashpal Singh:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Librarian in the Library of Indian High Commission, London, is to retire shortly;

(b) if so, whether a trained Indian Librarian is proposed to be appointed in this vacancy;

(c) if so, when the appointment is likely to be made; and

(d) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir, in January, 1967.

(b) Yes, Sir.

(c) An India-based Librarian is expected to be posted to London by January, 1967.

(d) Does not arise.

Librarians in Indian Missions Abroad

3646. **Shri Vishram Prasad:** **Shri Ram Sewak Yadav:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Yashpal Singh:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3511 on the 11th April, 1966 and state:

(a) the number of foreigners and Indians, separately who are working as Librarians in the fifty libraries attached to the Indian Embasies abroad; and

(b) the number of trained and untrained persons among them?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) & (b) Information is being collected from Indian Missions abroad and will be placed on the Table of the House as early as possible.

Librarian in Indian Embassy at Istambul

3647. **Shri Vishram Prasad: Shri Ram Sewak Yadav: Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Yashpal Singh:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3510 on the 11th April, 1966 and state :

(a) the designation of the person who is looking after the work of the Librarian in the Embassy of India in Istambul; and

(b) whether he is a foreigner or an Indian National?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) (a) There is no post of Librarian as such sanctioned for our Information Office at Istambul. An India-based Assistant is looking after the Library work, in addition to his other duties.

(b) An Indian National.

बर्मा स्थित भारतीय मिशन में खाद्य अनुभाग

3648. **श्री दशरथ देव : श्री बीरेन दत्त :**

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा स्थित भारतीय मिशन के खाद्य अनुभाग में कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या विशेष रूप से विदेशी मुद्रा की कमी को देखते हुये खर्च को कम करने की दृष्टि से भारतीय मिशन के खाद्य तथा वाणिज्य अनुभागों को मिलाना सम्भव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) बर्मा में भारतीय मिशन के खाद्य अनुभाग में काम करनेवालों की संख्या इस प्रकार है ।

स्थायी कर्मचारी

1.	खाद्य सहचारी		एक
2.	सहायक निदेशक	....	एक
3.	निरीक्षक (इन्सपेक्टर)	....	एक
4.	प्रभारी सहायक	....	एक
5.	सहायक एवं आशुलिपिक	....	एक
6.	उच्च श्रेणी लिपिक	....	एक
7.	चपरासी	....	तीन
8.	चौकीदार	....	दो

अस्थायी कर्मचारी

1.	सहायक निदेशक	...	दो
2.	निरीक्षक	...	चार
3.	चपरासी	...	एक

(ख) जी नहीं।

(ग) निरीक्षण, माल लादने, जहाज से ले जाने, किस्म का विश्लेषण और बर्मा अधिकारियों को चावल के बिलों का भुगतान करने के लिये विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। इस कारण, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर, बाकी सभी कर्मचारी खाद्य, कृषि और सामुदायिक विकास तथा समन्वय मन्त्रालय के खाद्य विभाग से ही लेने होते हैं। अस्थायी कर्मचारी केवल जहाज से चावल भेजने के दिनों में ही तैनात किए जाते हैं।

भारतीय वस्त्र संवर्द्धन एकक

3649. **श्री दशरथ देव :**　　　　　　　　　　**श्री बीरेन दत्त :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्र संवर्धन एकक बर्मा में भारतीय दूतावास का अंग है ;

(ख) क्या दूतावास का वाणिज्य विभाग उस एकक द्वारा किया जाने वाला काम नहीं कर सकता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) बर्मा स्थित इंडियन टेक्सटाइल प्रोमोसन यूनिट यद्यपि बर्मा स्थित हमारे राजनयिक मिशन का अंग तो नहीं है फिर भी वह राजदूत की देख-रेख में ही कार्य करता है।

(ख) और (ग) हमारे राजदूतावास का वाणिज्य अनुभाग यद्यपि निर्यात बढ़ाने से अंततः संवद्ध है फिर भी वह सूती कपड़े के निर्यात को बढ़ाने पर ही विशेष रूप से ध्यान नहीं दे सकेगा, जिस काम के लिये यह यूनिट जिम्मेदार रहा है। इस यूनिट के जरिये से औसतन एक करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आमदनी होती रही है।

रंगून में भारतीय दूतावास के कर्मचारी

3650. **श्री दशरथ देव :**　　　　　　　　　　**श्री बीरेन दत्त :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगून में भारतीय दूतावास में काम करने वाले अफसरों / सहचारियों / सहायकों की संख्या क्या है ;

(ख) वेतन तथा भत्ते । स्थापना व्यय के रूप में वार्षिक व्यय क्या है ;

(ग) क्या उन कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का कोई भाग भारत में किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो वह कितना प्रतिशत है ; और

(ङ) क्या सरकार बर्मा में भारतीय जनसंख्या में कमी तथा भारत और बर्मा के बीच तेजी से घटते हुये व्यापार तथा वाणिज्य को ध्यान में रखते हुये दूतावास के कर्मचारियों की संख्या कम करने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत-आस्थानी कर्मचारियों (वाणिज्य, रक्षा मंत्रालयों तथा खाद्य विभाग में काम करने वालों को सम्मिलित करके) की संख्या इस प्रकार है :

अधिकारी	12
सहचारी	7
सहायक	7

(ख) विदेश मंत्रालय के बजट नियंत्रण में पदों के बारे में 1965-66 के वास्तविक खर्च के आंकड़े इस प्रकार है :

	रुपये
अधिकारियों का वेतन	1,15,000
सिब्बंदी का वेतन	2,25,000
भत्ता और पारिश्रमिक	2,27,700
अन्य प्रभार	2,51,700
कुल	8,69,400

(ग) और (घ) भारत में कोई भुगतान नहीं किया जाता, लेकिन भारत-आस्थानी अधिकारी और कर्मचारी रिजर्व बैंक आफ इंडिया के जरिये ड्राफ्टों से अपने वेतन की धनराशि भारत भेज सकते हैं।

(ङ) सरकार का इरादा है कि बचत करने की दृष्टि से कर्मचारियों की संख्या में कुछ कमी की जाये जिससे कि प्रति वर्ष एक लाख रुपये की बचत हो सके।

बर्मा सरकार द्वारा भारत भेज दिये जाने वाले भारत-मूलक व्यक्ति

3651. **श्री दशरथ देव : श्री बीरेन दत्त :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा सरकार द्वारा जिन भारत-मूलक व्यक्तियों को भारत लौटने का आदेश दिया गया है, उन्हें यात्रा सम्बन्धी पत्र देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे पत्र जारी करने में बर्मा में भारतीय राजदूतावास का वाणिज्यिक विभाग कितना समय लेता है ;

(घ) क्या ऐसे पत्र जारी करने में बहुत अधिक बिलम्ब हो जाता है ; और

(ङ) क्या सरकार बर्मा में भारतीय दूतावास के वाणिज्यिक विभाग की कार्य-प्रणाली के बारे में भारतीय राष्ट्रजनों में व्याप्त असन्तोष के बारे में जानती है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) बर्मा सरकार ने भारतीय-मूलक जिन व्यक्तियों को उद्वासन के आदेश जारी किये हुए हैं उन्हें, उनको भारतीय राष्ट्रियता और भारतीय यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने के लिये उनकी ग्राहयता स्थापित हो जाने के बाद, सामान्यतः एक सप्ताह के भीतर-भीतर यात्रा दस्तावेज जारी कर दिए जाते हैं।

(घ) जी हां ।

(ङ) सरकार को ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है जिससे ऐसे सामान्य असंतोष का पता चलता हो ।

रंगून स्थित भारतीय दूतावास का सैनिक सहचारी (अटैशी)

3652. **श्री बीरेन दत्त : श्री दशरथ देव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रंगून में स्थित भारतीय दूतावास का सैनिक सहचारी (अटैशी) बैंकाक स्थित भारतीय दूतावास से भी सम्बद्ध है ;

(ख) क्या वह बैंकाक जाते रहते हैं और उनकी पत्नी भी हमेशा उनके साथ जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी पत्नी की यात्रा पर होने वाला व्यय सरकार वहन करती है अथवा वह अधिकारी स्वयं उसका व्यय उठाता है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) सैन्य सहचारी औसतन तीन महीने में एक बार ड्यूटी पर बैंगकाक जाता है । उनकी पत्नी उसके साथ अबतक दो बार बैंगकाक गई हैं । इन दोनों को सरकार की स्वीकृति से सरकारी उत्सवों में उपस्थित होना था और इसका खर्च सरकार ने उठाया ।

बर्मा में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों का स्थानांतरण

3653. **श्री बीरेन दत्त : श्री दशरथ देव :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा में भारतीय दूतावास में कार्य कर रहे कुछ अफसरों तथा सहचारियों का तीन वर्ष की सामान्य कालावधि समाप्त होने से पहले हाल ही में स्थानान्तरण किया गया है अथवा उन्हें स्थानान्तरण के आदेश दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रंगून स्थित भारतीय राजदूतावास से किसी भारतीय अधिकारी को हाल ही में तीन वर्ष की सामान्य अवधि पूरी किए बिना भारत स्थानांतरित करने का एक ही मामला है और यह मामला एक द्वितीय सचिव का है जो दो वर्ष बाद स्थानांतरित कर दिया गया था ।

(ख) स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से और सार्वजनिक हित में किए जाते हैं, और यह कोई असाधारण बात नहीं कि किसी अधिकारी को 3 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही स्थानांतरित कर दिया जाये ।

बर्मा में भारतीय दूतावास का नौवहन सेक्शन

3654. **श्री बीरेन दत्त : श्री दशरथ देव :**

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में भारतीय दूतावास के नौवहन सेक्शन में कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या है ।

(ख) क्या बर्मा से भारतीयों के बड़ी संख्या में प्रत्यावर्तन को ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन का काम दूतावास के अन्य कम काम वाले सेक्शनों में बांटने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) शिपिंग कक्ष कोंसली अनुभाग का ही एक अंग है जिसमें काम करनेवालों की संख्या इस प्रकार है :

1.	सहचारी	....	एक
2.	सहायक	....	दो
3.	क्लर्क		छः
4.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	....	तीन

ये कर्मचारी विशेष स्टीमरों की डेक श्रेणी में, जिनका प्रबंध भारत सरकार करती है, भारत लौटने वाले भारतीयों के लिये पैसेज बुक कराने का और इससे संबद्ध दूसरा कार्य करते हैं ।

(ख) और (ग) रंगून में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की संख्या पर पुनर्विचार किया जा रहा है ताकि बचत की दृष्टि से कर्मचारियों की संख्या में कमी की जा सके । यह राजदूत के परामर्श से किया जा रहा है ।

समाचार-पत्र परिषद्

3655. **श्री ब० कु० दास :** **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमजीवी पत्रकार संघ ने उन संस्थाओं को जिनमें श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या पर्याप्त नहीं है समाचार-पत्र परिषद् में श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधियों के नामों का सुझाव देने के लिये पत्र भेजे जाने के बारे में विरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समाचार-पत्र संस्था के अधिकांश सदस्यों ने समाचार पत्र परिषद् के प्रधान को एक ज्ञापन दिया है जिसमें समाचार-पत्र परिषद् की सदस्यता के लिए संस्था की कार्यकारिणी समिति द्वारा भेजे गये नामों पर आपत्ति की गई है, और

(ग) क्या उपरोक्त अभ्यावेदन के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस विषय में प्रेस परिषद के अध्यक्ष को लिखा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रेस परिषद् की अगली बैठक में, 1965 के प्रेस परिषद् कानून की धारा 4 की

उपधारा (4) के अनुसार, उन बातों पर विचार किया जाएगा, जिनको श्रमजीवी पत्रकार संघ ने उठाया है।

कांग्रेस अध्यक्ष की विदेश यात्रा के बारे में प्रचार

3656. **श्री राम सेवक यादव** : **श्री बूटा सिंह** :
श्री मधु लिमये : **श्री हरि विष्णु कामत** :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने और सरकार की प्रचार एजेन्सियों ने कांग्रेस अध्यक्ष की विदेश यात्रा के बारे में पर्चे, बुलेटिन और अन्य प्रचार सामग्री जारी की ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय अन्य दलों के नेताओं की यात्रा के बारे में भी ऐसा ही करता है ;

(ग) इन सरकारी एजेन्सियों ने अब तक कितने विपक्षीय दलों के नेताओं की कितनी यात्राओं के बारे में प्रचार किया ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) श्री कामराज की हाल की विदेश यात्रा की तथ्य-पूर्ण जानकारी दे दी गई थी।

(ख) और (ग) श्री कामराज की यात्रा की खबर जारी की गई थी क्योंकि वह एक प्रख्यात भारतीय नेता हैं जिनकी विदेश यात्रा से इस देश में काफी दिलचस्पी बढ़ी। जब कभी आवश्यक होता है, अन्य प्रमुख भारतीयों की विदेश यात्रा के बारे में भी ऐसी ही खबरें जारी की जाती हैं, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हों ?

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Acquisition of Land in Chamraval Village (U- P.)

3657. **Shri Prakashvir Shastri.** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have granted permission on the 29th March, 1966 to pay compensation to the residents of Chamraval village, whose land was acquired for military purposes and the value of which has been assessed by the Land Acquisition Officer, Meerut;

(b) whether it is also a fact that the said compensation has not been paid to the land owners so far;

(c) if so, whether the officers concerned are responsible for this delay in the payment of this compensation; and

(d) if not, the reasons for not paying this compensation so far and the time by which it is likely to be paid ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) : There has been delay in disbursing on account of misunderstanding about the procedure to be followed. The correct procedure is for the Collector, Meerut to draw the amount from the local Treasury, debit the same to Defence Estimates and to disburse the amount to the persons interested. The posoitin has been

clarified to the local Officers. It is expected that the payment by Collector, Meerut would have commenced on 26th. August 1966 and be completed soon thereafter.

विदेशी विज्ञापन एजेन्सी

3658. **श्री द्वारका दास मन्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी घोषित नीति के विपरीत दो भारतीय विज्ञापन एजेन्सियों का विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करारों को स्वीकृत दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन भारतीय विज्ञापन एजेन्सियों के नाम क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृति इन करारों की शर्तें क्या है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में भारती विज्ञापन एजेन्सी बोर्ड ने कोई विरोध प्रकट किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) सरकार ने (1) मैसर्स क्लेरियन एडवर्टाइजिंग सर्विसज (प्रा०) लि० और मैसर्स इंटरपब्लिक इंका, अमरीका के बीच और (2) मैसर्स अय्यर्स एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग बम्बई, और मैसर्स लन्दन प्रेस एक्सचेंज इंटरनेशनल इंगलैंड के, बीच साझेदारी के प्रस्तावों पर स्वीकृति दी है।

(ग) सरकार की स्वीकृति की शर्तें संलग्न विवरण में नी हुई हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6953/66]

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार इस विषय पर नजर रख रही है और यदि इससे भारतीय विज्ञापन एजेन्सियों के विकास की हानि हुई, तो जो भी कार्यवाई आवश्यक और संभव होगी, की जायेगी।

Jawans Wounded in a Truck Accident on Dehra-Dun-Hardwar Highway

3659. **Shri Solanki** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 20 Jawans were wounded consquent on a truck turtling near Laxman Sandhi on Dehra-Dun-Hardwar Highway on or about 15th August, 1966;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the action taken by Government in the matter?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) It is true that an accident occurred on 11th August 1966, but the number of Jawans who received injuries is 14.

(b) and (c) A military Court of Inquiry has been convened to investigate the cause of the accident. Suitable action will be taken on receipt of their report.

Teaching of Vedas Through A. I. R.

3660. **Shri Solanki**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 'Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha' have demanded that the teachings of Vedas should be broadcast by A. I. R.; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) All India Radio is constantly projecting through its various programmes India's ancient heritage, traditions and values of life. The various stations of A. I. R. also broadcast recitations from the Vedas periodically.

समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

3661. **श्री बूटा सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक ही अधिकारी लगभग 8 वर्षों से उस अनुभाग का, जो विभिन्न समाचारपत्रों के लिये अखबारी कागज का कोटा निर्धारित करता है और अखबारी कागज के आयात लाइसेंस देने की सिफारिश भी करता है, प्रभारी बना हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात भ्रष्टाचार-निरोधक उपाय के रूप में सरकार की इन हिदायतनों के विरुद्ध नहीं है, कि ऐसे अनुभागों में कर्मचारियों को कुछ समय के बाद बदल दिया जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। फिर भी यह ज्ञात हो कि अखबारों की अखबारी कागज का कोटा देने का विषय, वाणिज्य मन्त्रालय से सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को 1963-64 की लाइसेंस अवधि में सौंप दिया गया था। 1 अप्रैल, 1963 से पहिले भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार वाणिज्य मन्त्रालय की समाचार-पत्र की औसत पृष्ठ संख्या, नियमितता तथा प्रचार संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए अखबारी कागज का कोटा नियत करने में सहायता करते थे।

(ख) तथा (ग) सम्बन्धित अधिकारी ने स्वयम् अपनी बदली के लिए प्रार्थना की है, जो सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी पत्रकारों द्वारा भारत के बारे में समाचार

3662. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल में नई दिल्ली और मद्रास में इस आशय के वक्तव्य दिये थे कि विदेशी पत्र-पत्रिकाओं के नई दिल्ली स्थित पत्रकार जिस तरह भारत का चित्रण करते हैं, उससे वे दुखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने विदेशी पत्रकारों के समाचारों में किन स्पष्ट दोषों का उल्लेख किया ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे अर्थविकृत तथा असत्य समाचारों को सेंसर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी समाचार-पत्रों में भारत के बारे में एकतरफा, पक्षपात-पूर्ण अपमानजनक और मिथ्या समाचार छपे हैं।

(ग) और (घ) भारत के संविधान में, पत्र-प्रतिनिधियों को, चाहे वे विदेशी ही या भारतीय, कुछ विशेष स्थितियों को छोड़ कर खबर भेजने के विषय में पूरी स्वतन्त्रता दी गई है। लेकिन जिन विदेशी समाचार-पत्रों के संवाददाताओं की खबरे निष्पक्षता और सच्चाई से रहित पाई जाती हैं, उनका ध्यान इस ओर दिलाया जाता है और उनसे आग्रह किया जाता है कि वे असत्य और पक्षपात पूर्ण समाचार न भेजें। इसके अतिरिक्त, विदेशों में स्थित हमारे दूतावास भी, पत्र सम्पादकों आदि को सही बातें बनाते हैं। पत्रों की सामग्री का वाकायदा सेंसर करने का, कोई विचार नहीं है।

महान्यायवादी (अटौर्नी जनरल) से परामर्श

3663. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मन्त्री** 16 अगस्त, 1966 को विशेषाधिकार के प्रश्न पर सभा में हुई बहस के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदनों (50वां तथा 55वां) तथा खाद्य, कृषि-सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री के मामले में उनको महान्यायवादी द्वारा दिये गये निजी परामर्श का भेद खुल जाने के बारे में सरकार ने कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) अटौर्नी जनरल द्वारा दी गई सलाह के न तो विषय और न ही प्रकार के बारे में कोई सही बात निकली, सिर्फ यही सही निकला कि कोई सलाह उनसे ली गई; इसलिए सरकार ने इस मामले की और छान-बीन करना जरूरी नहीं समझा।

3664. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने अमरीका में मियामी बीच में सौन्दर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय महिलाओं के स्वागत में हाल में एक समारोह आयोजित किया था;

(ख) क्या उस स्वागत समारोह के लिये सरकार की मंजूरी मांगी गई थी तथा मिल गई थी ;

(ग) क्या विदेशी स्थित हमारे मिशनों द्वारा स्वागत समारोह किये जाने के बारे में कोई मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये हुए हैं;

(घ) वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जनवरी 1963 से लेकर अब तक अमरीका

में गये उन भारतीयों का, जो न तो मन्त्रीगण हैं और न ही कांग्रेसी दल के सदस्य, कितनी बार स्वागत किया गया है; और

(ङ) उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिनको उपरोक्त भाग (घ) में निर्दिष्ट स्वागत किया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मियामी में आयोजित 'जिस यूनीवर्स' प्रतियोगिता में भारतीय भागीदार का, जो चौथे नम्बर पर आई, वाशिंगटन-स्थित भारत के राजदूतावास ने सरकारी तौर पर कोई सत्कार नहीं किया। बहरहाल, शिक्षा और संस्कृति मन्त्री ने 24 जुलाई 1966 को एक अनौपचारिक पार्टी दी जिसमें स्थानीय अमरीकियों और भारतीय राष्ट्रिकों को आमंत्रित किया गया ;

(ख) नीचे (ग) में जो कुछ समझाया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए, सरकार की स्वीकृति को आवश्यकता नहीं थी।

(ग) विदेश में राजनयिक अधिकारियों ने प्रतिनिधित्व अनुदान निश्चित किए हैं जो देश तथा अधिकारी के वर्ग पर निर्भर करते हैं।

विदेशों में हमारे अधिकारियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी दायित्वों के प्रकार और आकार पर स्पष्ट निर्देश हैं, जो समय-समय पर स्पष्ट किए जाते हैं। इसके अलावा, मिशन प्रमुख को अपने अधिकारियों का प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्रवाइयों का अधीक्षण और समन्वयन करने का आदेश है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुदान इस तरीके से खर्च किया जाय जिससे कि वहां की स्थानीय समाज के साथ संपर्क बढ़ाने के उत्तम परिणाम निकल सकें जो कि यथासंभव वहां का प्रतिनिधित्व करती हो, उपयोगी और व्यापक हो। अगर किसी सत्कार समारोह की उपयोगिता के बारे में संदेह होता है तो मिशन प्रमुख अधिकारियों का मार्ग-दर्शन करते हैं और उसका मार्ग-दर्शन मंत्रालय करता है।

(घ) और (ङ) हमें अक्तूबर 1965 से सूचना मिल सकी है।

1. 9 **अक्तूबर** 1965 : भारतीय शास्त्रीय नर्तकी श्रीमती बाला सरस्वती के लिए राजदूत और श्रीमती नेहरू द्वारा सत्कार।
2. 1 **अप्रैल** 1966 : फार्मर्स एण्ड वर्ल्ड अफेयर्स इन्क के तत्वावधान में अमरीका जाने वाले 17 भारतीय किसानों के दल का (शिक्षा और संस्कृति) मन्त्री द्वारा सत्कार।
3. 9 **मई** 1966 ; विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत भारत से 16 कालेज प्रोफेसरों के लिए (शिक्षा और संस्कृति) मन्त्री द्वारा सत्कार।
4. 11 **मई** 1966 : इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर के निदेशक का (शिक्षा और संस्कृति) मन्त्री द्वारा सत्कार।
5. 25 **जुलाई** 1666 : लिंकल सेंटर, न्यूयार्क में फेस्टिवल आफ इंडियन आर्ट्स का उद्घाटन करते हुए प्रख्यात भारतीय संगीतज्ञ, अली अकबर खां का प्रधान कोसल द्वारा सत्कार।

23 अगस्त को 17 विनिमय शिक्षकों और 25 अगस्त को भारत के 19 युवा नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को छोड़कर जुलाई से भारतीय आगन्तुकों का कोई सत्कार नहीं किया गया।

इसके अलावा, अलग-अलग अधिकारियों ने सामान्य रूप में भारत से आनेवाले महत्वपूर्ण गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा पत्रकारों का सत्कार किया। जनवरी 1963 से सूचना इकट्ठी की जा रही है। आशा है कि राजदूत के बारे में ही सूचना इकट्ठी करनी है क्योंकि वह उस समय से पहले से वहां पर है। जैसा ऊपर कहा गया है, अलग-अलग अधिकारियों ने उसी तरह सामान्य रूप में भारत से जाने वाले महत्वपूर्ण गैर-सरकारी व्यक्तियों और पत्रकारों का सत्कार किया होगा।

नक्शों की जांच

3665. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री 6 अप्रैल 1961 के तारांकित प्रश्न संख्या 1371 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी देशों द्वारा तैयार किये गये सभी नक्शों की जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीय मिशन औरस्वयं विदेश मन्त्रालय विदेशों में प्रकाशित नक्शों की जांच करता रहा है और जहां-कहीं भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमांत गलत दिखाए गए हैं वहां संबद्ध एजेंसियों के साथ मामले को उठाया गया है और कुछ मामलों में हमने त्रुटियां ठीक भी करवाई हैं। सरकार इस दिशा में और प्रयत्न कर रही है।

भारत में अमरीकी सैनिक मिशन

3666. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने भारत में एक बड़ा सैनिक मिशन स्थापित किया है और यदि हां, तो कब से और इस मिशन में कुल कितने व्यक्ति हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत ने हाल ही में अमरीकी अधिकारियों को इस सैनिक मिशन के कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी करने के लिये कहा है, और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। चीनी आक्रमण के बाद भारत सरकार के साथ हुए एक करार के अंतर्गत भारत को अमरीकी सैनिक उपकरण की सप्लाई की जांच और पुनर्विचार के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमरीका ने दिसम्बर 1962 में नई दिल्ली में एक सैनिक मिशन स्थापित किया। इस मिशन में कर्मचारियों की आधिकारिक संख्या 120 है।

(ख) हमारी प्रार्थना पर, अमरीकी अधिकारियों ने सैनिक मिशन में संख्या घटाकर 68 कर दी है और सितम्बर 1966 तक वे इसकी संख्या और घटाकर 42 कर देंगे।

(ग) ऐसा विचार हुआ कि अगस्त-सितम्बर 1965 में भारत-पाकिस्तान में लड़ाई छिड़,

जाने के बाद संयुक्त राज्य अमरीका से सैनिक उपकरणों की सप्लाई बंद हो जाने से चूंकि इस सैनिक मिशन का काम घट गया है, इसलिये इसकी संख्या में काफी कमी की जा सकती है।

स्विट्जरलैंड से सहायतार्थ वस्तुएं

3666-क **श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायतार्थ वस्तुओं के भारत में नि:शुल्क लाने के लिए भारत तथा स्विट्जरलैण्ड करार पर हाल में हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां। इस करार पर 9 अगस्त 1966 को हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) इस करार में यह व्यवस्था है कि :

1. मान्यता प्राप्त स्विस सहायता एजेंसियों द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी सहायता और पुनर्वास संगठनों को सहायता तथा पुनर्वास के हेतु भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग के जरिये भेजा गया सामान और स्टेन्डर्ड पैकेट भारत में नि:शुल्क आ सकेंगे;
2. करार के अन्तर्गत सामान और स्टेन्डर्ड पैकेटों की सप्लाई, खाद्यान्न और अन्य खाद्य सामग्री, औषधियां, और दवाइयां, बहु-विटामिन गोलियां, अस्पताली उपकरण और सामग्री तथा कृषि के औजारों तक सीमित रहेगी;
3. भारत में बंदरगाह/हवाई अड्डे तक का भाड़ा और बीमा प्रभार स्विस एजेंसियां देंगी और-भारत में परिवहन प्रभार भारत सरकार वहन करेगी;
4. इस करार के अन्तर्गत आयात की गई वस्तुओं का उपयोग केवल सहायता एवं पुनर्वास कार्यों के लिये किया जायेगा अथवा इनका उपयोग स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण परियोजनाओं में किया जायेगा और यदि इनका वितरण किया गया तो इन्हें बिना भेद भाव के निर्धनों एवं जरूरतमन्दों में मुफ्त बांटा जायेगा।

East German Trade Mission

3666-B. Shri Y. D. Singh : Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news published in a Hindi Weekly of Delhi viz. 'Rashtrahit' on the 25th July, 1966 to the effect that the Indian Communists have secret relations with the East German Trade Mission;

(b) whether it is a fact that this Mission is indulging in anti-national activities; and

(c) if so, the action taken in this regard?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अमरीकी शांति दल के सदस्य

3666-ग. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीकी शांति दल के सदस्यों और उनके मित्रों की एक टोली ने, जो कलकत्ता के एक उपनगर में रहते हैं, जनता के सामने दुर्व्यवहार किया और नेहरू की 'डिस्कवरी आफ इंडिया' नामक पुस्तक को फाड़ डाला तथा उस पुस्तक के टुकड़े राह चलते लोगों पर फैंके;

(ख) क्या यह सच है कि एक 60 वर्षीय वृद्ध राजनैतिक पीड़ित व्यक्ति को, जिसने उनके इस व्यवहार पर आपत्ति की थी, उन्होंने पीटा;

(ग) क्या सरकार इस बात की कोई निगरानी रखती है कि शांति दल के ये लोग भारत में क्या कर रहे हैं; और

(घ) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), से (घ) ब्यौरेवार रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है। उत्तर यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कोचीन बन्दरगाह पर आयातित चावल को समुद्र में फेंकने का समाचार

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"कोचीन बन्दरगाह पर आयातित चावल के समुद्र में फेंकने के समाचार"

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): जैसा कि सभा को पता है हम बर्मा से चावल मंगा रहे हैं। जुलाई 1966 के पहले सप्ताह में एक जहाज में से अर्थात् "एस० एस० ओमेगा" जो कोचीन बन्दरगाह पर बर्मा का 9,000 मीटरिक टन चावल लाया था, माल उतारते समय यह देखा गया कि समुद्र से पानी सोखने के परिणामस्वरूप एक का फल (हेच) की निचली तह में लगभग 50 मीटरिक टन चावल बिल्कुल सड़ गया था। ऐसा विश्वास है कि यह क्षति जहाज के एक फलका में मामूली छेद होने के कारण मार्ग में हुई थी। बन्दरगाह स्वास्थ्य अधिकारियों ने चावल की इस मात्रा को मानव उपयोग के लिए अयोग्य घोषित किया और उसे तट पर नहीं उतारने दिया। चावल की क्षतिग्रस्त मात्रा को समुद्र में फेंकने की सलाह दी गई। तदनुसार कोचीन बन्दरगाह पर स्वास्थ्य तथा सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को देख रेख में उपभोग के योग्य लगभग 50 मीटरिक टन चावल समुद्र में फेंक दिया गया।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार के पास ऐसा कोई तरीका है जिससे

वह यह सुनिश्चित कर सके कि आयातित चावल खाने योग्य है और जहाज की निचली तह ठीक हैं ? माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह सन्देह आंशिक रूप में दूर हो जाता है कि चावल इस कारण समुद्र में फेंका गया था कि जनता उससे असंतुष्ट थी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : शेष चावल निर्धारित कोटि के अनुसार था। केवल 50 मीटरी टन खराब हो गया था। जहाजों का निरीक्षण किया जाता है परन्तु यदि रास्ते में कोई गड़बड़ी हो जाये तो उसका पुर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : एक ओर देश में दुर्भिक्ष की स्थिति है। दूसरी ओर हम विदेशों से सहायता मांग रहे हैं। सरकार ने सुरक्षित ढंग से चावल के लाने की व्यवस्था क्यों नहीं की ? यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह विदेशों से सहायता मांगे।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वह उपहार में मिला चावल नहीं है। हमने उसके लिए दुर्लभ विदेशी मुद्रा दी है। हम जहाज कम्पनी से चावल का मूल्य ले सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या इस मामले की जांच की जायेगी कि जहाज में छेद हो गया था अथवा जहाज कम्पनी के मामलों में कोई गड़बड़ी थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वह हेच में छेद होने के कारण हुआ है। जहाज के मालिक हैं— सिंदिया नैवीगेशन कम्पनी।

Shri Yashpal Singh (Kairana): The goods should he unloaded in eight hours or so but often it takes as lonx as six days so that the rice etc. gets damp and does not remain worth eating. Is Government making some arrangement for expeditious unloading of foodgrains ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम हम चावल; गेहूँ आदि यथासम्भव शीघ्रता से उतारते हैं ; यह क्षति माल उतारने में देरी के कारण नहीं हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : बर्मा से चावल लाते हुए एक जहाज डूब गया था और इस ज़हाज में छेद हो गया है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिस समय बर्मा में चावल का लदान हो तो हमारे दूतावास अथवा व्यापार एजेन्सी का कोई प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित रहे और यह सुनिश्चित करे कि जहाज़ ठीक से सज्जित है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारा खाद्य सहकारी (अटैची) वहां रंगून में रहता है। उसका यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि जहाज़ मात्र लादने योग्य हैं अथवा नहीं। डूबने वाले जहाज़ के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजहा) : क्या जहाज़ में रास्ते में कोई गड़बड़ी हुई थी ? या बर्मा के बन्दरगाह में ही जहाज़ में खराबी थी क्या सरकार ने हमारे प्रतितिधि से पता किया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहाज़ों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट अभी आनी है हमें जहाज़ कम्पनी से क्षति का मुआवज़ा भी लेना है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रक्रिया)
RE. MOTION FOR ADJOURNMENT (PROCEDURE)

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have a point of order under rule 58, 376 and six articles of the Constitution.

Mr. Speaker : About what ?

Shri Madhu Limaye : Regarding my adjournment motion.

Mr. Speaker : How can it be on adjournment motion ?

Shri Madhu Limaye : I want to raise it.

Mr. Speaker : There can be no discussion on it like this. Since I decide the adjournment motions in my chamber, it cannot be discussed here. If you want that I should revise it then you should give it in writing. I am prepared to reconsider it.

Shri Maurya (Aligarh): I have also tabled an adjournment motion. As advised by you, a member can send one if he has got a news item. I understand you have read the newspaper. Therein mention has been made of a Cabinet Minister who says "There was no Government on 25th August" I have got this news.

Mr. Speaker: It cannot be discussed.

Shri S. M Banerjee (Kanpur): I want to raise a point of order under rule 376.

Mr. Speaker : What is the subject?

Shri S. M. Banerjee : On the basis of the Enforcement of rules. An ordnance has been passed in Uttar Pradesh. Hartals have been banned there.

Mr. Speaker: You are only trying to bring in what I have already disallowed. I cannot permit it. You can write to me if you have any objection.

सभा–पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

शिक्षा आयोग 1964-66 का प्रतिवेदन

शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : मैं शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6940/66]

चौथी पंचवर्षीय योजना मसौदे की रूप रेखा

योजन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : मैं चौथी पंचवर्षीय योजना मसौदे की रूप रेखा की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6941/66]

सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) (क) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1961 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 843 जो दिनांक 4 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

(दो) जी० एस० आर० 885 जो दिनांक 11 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) सीमा-शुल्क (अदायगी का आस्थगन) नियम, 1966 जो दिनांक 14 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 956 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) जी० एस० आर० 1160 जो दिनांक 22 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पाँच) सीमा-शुल्क (अदायगी का आस्थगन) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 24 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1008 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) जी० एस० आर० 1161 जो दिनांक 23 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) जी० एस० आर० 1224 जो दिनांक 2 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-6942/66]

(2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 20 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1277 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 20 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1278 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-6943/66]

(3) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) धन-कर (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 28 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1190 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) जी० एस० आर० 1295 जो दिनांक 16 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(4) ऊपर की मद (3) की (एक) में बताई गई अधिसूचना को सभा-पटल पररखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6944/66]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : मैंने एक विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में सूचना दी थी जो कि किसी गलतफहमी के कारण नहीं लिया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। एक ससंद सदस्य किसी दल को बदनाम करते हैं और समाचार पत्र को बदनाम किया जाता है। यह मामला राज्य सभा में भी उठाया गया था। इस पर वहां चर्चा हुई थी और विनिर्णय भी दिया गया था।

एक और विशेषाधिकार का मामला है जिसकी कि मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को सूचित कर दिया है कि मैं इस मामले को ले रहा हूँ। मैं यह पता कर रहा हूँ कि क्या कार्यवाही की गई है।

श्री अ० क० गोपालन : सरकार एक दल को बदनाम कर रही है। मैं उस दल का सदस्य हूँ। यदि हम तोड़-फोड़ की कार्यवाही कर रहे हैं तो हमारे विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : A Select Committee should be appointed to investigate into it.

श्री अ० क० गोपालन : साप्ताहिक पत्र ने यह प्रकाशित किया है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री के सुपुत्र, उपमंत्री ने यह बताया है। गृह मंत्रालय कहता है कि हमने यह नहीं बताया है। समाचार पत्र बताये कि यह किस प्रकार स्पष्ट हुआ है!

Mr. Speaker: They are obstructing the proceedings and they are not letting things proceed.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह मामला और भी पेचीदा इस कारण हो गया है कि 'स्टेट्स्मैन' में कुछ बातें प्रकाशित हुई हैं। जैसा कि श्री अ० क० गोपालन ने कहा है संसद में कार्य करने वाले सभी दलों को ऐसी परिस्थितियों में काम करना बड़ा कठिन हो गया है। जबकि सरकार द्वारा सब कुछ कहा जाता है जिसको यहां झूठे तरीके से खण्डित किया जाता है। समाचार-पत्र गृह-कार्य मन्त्री को स्पष्टीकरण के लिए चुनौती देता है। यदि प्रत्येक मामले को विशेषाधिकार के मामलों के रूप में लाया जायगा और इस मामले को जो राजनीतिक दलों के अधिकारों तथा कर्तव्यों से सीधे सम्बन्धित हैं तो समस्त संसदीय प्रक्रिया बदनाम हो जायेगी। इसलिये इस मामले पर गम्भीर रूप से चर्चा की जानी चाहिए।

श्री रंगा (चित्तूर) : हमने सरकार से बार-बार कहा है कि यदि वह यहां साम्यवादी

दल की गतिविधियों के विरुद्ध है तो और वह यह सिद्ध कर सकती है कि साम्यवादी दल देशभक्त नहीं है तथा गद्दार है तो उसे इस दल पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए और उसके विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। संसदीय विशेषाधिकार तथा शिष्टता का सभी राजनीतिक दलों को पालन करना चाहिए चाहिये चाहे वे आपस में विरोध रखती हों या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : दलों के नेता स्वयं ही यह विचार करें कि यह मामला किस प्रकार विशेषाधिकार भंग के अन्तर्गत आता है। यदि वे मुझे यह संतुष्ट कर सकें कि यह मामला विशेषाधिकार भंग में आता है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ।

Shri Madhu Limaye: Yes Sir, I promise to convince you. You may call a meeting of Group Leaders.

Mr. Speaker: They may gladly come to me. Any one of you may come to me and we will sit together to discuss it. I request that they may come to me at 5 o' clock.

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है : कि लोक सभा द्वारा 16 अगस्त, 1966 को पास किये गये सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1966 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक

DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं श्री गुलजारी लाल नन्दा की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने तथा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 और दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में कतिपय साधारण तथा आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने तथा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में कतिपय साधारण तथा आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक
ROAD TRANSPORT CORPORATION (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्री गुलजारी लाल नन्दा की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है .

"कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

दिल्ली नगर निगम (विद्युत-कर का मान्यकरण) विधेयक
DELHI MUNICIPAL CORPORATION (VALIDATION OF ELECTRICITY TAX) BILL

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं श्री गुलजारी लाल नन्दा की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि बिजली की खपत अथवा बिक्री पर दिल्ली नगर निगम द्वारा कतिपय कर लगाने तथा वसूल करने को मान्यता देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिजली की खपत अथवा बिक्री पर दिल्ली नगर निगम द्वारा कतिपय कर लगाने तथा वसूल करने को मान्यता देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

बिजली (संभरण) दूसरा संशोधन विधेयक
ELECTRICITY (SUPPLY) SECOND AMENDMENT BILL

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं श्री गुलजारी लाल नन्दा की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि बिजली (संभरण) अधिनियम, 1948 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या नियमानुसार एक ही सत्र में एक और संशोधन विधेयक पुरस्थापित किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा संशोधन है।

प्रश्न यह है :

"कि बिजली (संभरण) अधिनियम 1948 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

दिल्ली जल-सप्लाई तथा मल-निस्सारण विधेयक

DELHI WATER SUPPLY AND SEWAGE DISPOSAL BILL

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं श्री गुलजारी लाल नन्दा की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली के संघ-राज्य क्षेत्र में जल सप्लाई तथा मल-निस्सारण सेवाओं के अनुरक्षण, विकास तथा विनियमन के लिए एक बोर्ड के गठन का तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में जल सप्लाई तथा मल-निस्सारण सेवाओं के अनुरक्षण विकास तथा विनियमन के लिए एक बोर्ड के गठन का तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (TWENTY FIRST AMENDMENT) BILL

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय . प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion Was Adopted.

श्री गोपाल स्वरुप पाठक : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) यह संख्या 12 में उल्लिखित विधेयक पेश नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह पेश कर दिया गया है । फिर भी यदि कोई सन्देह है तो मैं उसे पुन: सभा के समक्ष रख देता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ-राज्य क्षेत्र में जल सप्लाई तथा मल-निस्सारण सेवाओं के अनुरक्षण, विकास तथा विनियमन के लिए एक बोर्ड के गठन तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion Was Adopted.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

अत्यावश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक
ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य 12 जुलाई 1966 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किये गये अत्यावश्यक वस्तुएं (संशोधन) अध्यादेश, 1966 का स्थान लेने का है क्योंकि अगले मास के आरंभ होने पर उसकी अवधि समाप्त हो जायेगी । अभूतपूर्व सूखा के कारण गत वर्ष हमें बहुत गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

वैसे हमारा उद्धेश्य तो यह है कि चौथी योजना के अन्त तक हम आत्म-निर्भर हो जायें परन्तु कमी की स्थिति के कारण जो कि अभी कुछ वर्ष रहेगी, सरकार का विचार है कि मूल्यों को बढ़ने से रोकने, उपभोक्ताओं का कष्ट कम करने तथा सारे राज्यों को इस मामले में एक जैसी कुर्बानी करनी पड़े आदि को ध्यान में रखते हुए वह सक्रिय कार्य करे।

गतवर्ष हमने केन्द्र के भडांर से 80 लाख टन दिया और इस वर्ष यह 120 लाख टन होने वाला है। इसलिये सरकार अधिक भडांर अपने पास रखना चाहती है जो यहीं उत्पन्न किया गया हो। हमें धीरे-धीरे विदेशों पर निर्भर रहना कम करना होगा और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा।

मिल वालों तथा व्यापारियों से आरोपण द्वारा वसूली की नीति आवश्यक है परन्तु इस से भी अधिक आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन के स्रोत पर ही वसूली करना है। एक बार फसल खेत से बाहर चली गई तो इसका पता लगाना भी कठिन हो जाता है।

इसी कार्य के उद्धेश्य से यह विधेयक लाया जा रहा है। इस समय जो कानून है उसके अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि वह भडांर को मिल मालिकों व्यापारियों तथा उत्पादक आदि से प्राप्त कर ले। परन्तु इस कानून के अनुसार सरकार को उन्हें तब तक उसी दिन के भाव का मूल्य देना होगा जब तक सरकार अधिसूचना द्वारा मूल्यों का नियन्त्रण न करे।

सरकार उस भडांर को तो ले सकती है परन्तु उत्पादकों के पास जो बकाया अन्न है उसे वे बाजार के भाव पर बेच सकते हैं।

अब यह निर्णय हो गया है कि भारत सुरक्षा नियम केवल सीमान्त राज्यों पर ही लागू होगा और वह भी केवल भारत की सुरक्षा के संबंध में। इसलिये उन राज्यों में जहां अब वह कानून लागू नहीं होगा कहीं एक प्रकार का खोखलापन पैदा न हो जाये, वह शक्तियां अत्यावश्यक वस्तुएँ अधिनियम के अन्तर्गत रखी गई हैं।

जैसा कि सदन को ज्ञान है खाद्य नीति तथा क्षेत्रीय पाबन्दियों के प्रश्न की जांच करने के बारे से एक समिति नियुक्त की गई है। वर्तमान कठिन समस्या को ध्यान में रखते हुए कुछ कंट्रोल तो कुछ समय तक रखने ही होंगे। कुछ समाज विरोधी तत्व जैसे कि जमाखोरी तथा तस्कर व्यापार करने वाले इस अधिनियम के उद्देश्य को समाप्त करने में संलग्न हैं तथा उन्हें रोकने के लिये सख्त कानून की आवश्यकता है।

इस अधिनियम का संशोधन इस प्रकार किया जा रहा है कि यह भारत सुरक्षा नियम संख्या 125(8) में जो कुछ लिखा है उसकी शक्तियां पास रहें। इस संशोधन के अन्तर्गत जिलाधीशों को खाद्यान्न जब्त करने के अधिकार दिये जायेंगे जहां वह संतुष्ट हैं कि उन वस्तुओं के बारे में कंट्रोल आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। हां, ऐसे करते समय कार्यपालिका के अधिकारी सामान्य न्याय के साधारण नियमों का पालन करेंगे और कोई आदेश पास करने से पूर्व उन लोगों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर देंगे।

यदि चर्चा के बीच कोई संशोधन आया तथा सदन ने कोई सुझाव दिया तो उस पर मैं अवश्य विचार करूंगा। सरकार की ऐसी कोई नियत नहीं है कि कृषि उत्पादकों को, विशेषकर छोटे

उत्पादकों को इस विधेयक द्वारा तंग किया जाये। अब तक तो कानून यह था कि जिन वस्तुओं के बारे में आदेश का उल्लंघन किया है केवल वही जब्त की जायें परन्तु अब खाद्यान्न के अतिरिक्त वह थेले तथा वह गाड़ियों अथवा पशु जिसके द्वारा वह सामान ले जाया जाये वह भी जब्त की जायेंगी।

मैं विधेयक को चर्चा के लिये प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 30 नम्बर 1966 तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।"

श्री रंगा (चित्तूर): मैं आरंभ में ही स्पष्ट कर दूं कि मैं इस अधिनियम के विरुद्ध हूं क्योंकि मैं नियंत्रणों की पद्धति के विरुद्ध हूं जो कि इस सरकार ने लागू किये हैं। मैं तो कहता हूं जो पद्धति हमने इतने वर्षों से यहां लागू कर रखी है तथा आयोग्य, गलत और भ्रष्ट प्रशासन के कारण ही इस वर्तमान खाद्य स्थिति में हैं।

सरकार ने यह भी वचन दिया है कि वह अन्न के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे और जैसे ही ऐसी स्थिति होगी सारे नियन्त्रण समाप्त कर दिये जायेंगे। परन्तु गत 17 वर्षों से तो हम इस कार्य में असफल रहे हैं। मैं तो इस पद्धति के पहले से ही विरुद्ध हूँ।

गांधी जी भी इसके विरुद्ध थे। तब जवाहरलाल नेहरू ने उनका परामर्श नहीं माना तो उन्होंने भूख हड़ताल करने की धमकी दी थी। जब ऐसा हुआ तो श्री नेहरू ने राजेन्द्र बाबू जो कि उस समय खाद्य मन्त्री थे, को नियन्त्रण हटाने की अनुमति दी।

अब यह फिर उस नियन्त्रण को ले आये हैं। हमने कांग्रेस को 1952 के चुनाव में इसी विषय पर छोड़ा। मद्रास में कांग्रेस की हार भी इसी कारण हुई। केवल राजाजी में भी इतना साहस था कि जब वह मद्रास के मुख्य मन्त्री बने तो नियन्त्रणों को समाप्त किया। अब कुछ वर्षों से यह नियन्त्रण फिर लागू कर दिये गये हैं।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भी कई बार क्षेत्रीय नियन्त्रण तथा क्षेत्रीय कन्ट्रोल के विषय पर चर्चा की है और कहा है कि इसे समाप्त करने को कहा है। परन्तु वह निर्णय का भी यह पालन नहीं कर सके। उन्होंने एक समिति की नियुक्ति की है जो बड़ी सुस्ती से इस पर विचार कर रही है। ऐसा करके इन्होंने इसके निर्णय को टाल दिया है।

मैं कांग्रेस के ही सदस्यों से अपील करता हूँ कि क्योंकि 100 से अधिक का सम्बन्ध तो किसानों के कल्याण से ही है कि इन नियन्त्रणों ने खाद्य स्थिति को खराब कर दिया है।

अब तो जिलाधीशों को न केवल खाद्यान्न जब्त करने का अधिकार है वरन वह सामान भी जब्त करने का अधिकार है जिसमें वह सामान ले जाया जाता है। जैसे गाड़ी आदि। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में पता चला कि यह अधिकार अब तहसीलदारों को भी दे दिये गये हैं।

मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे मित्र ने ऐसी बातों को विधेयक में क्यों शामिल करने दिया? जब यह शामिल किया गया उस समय क्या वह सोये हुए थे अथवा अपने विशेषाधिकार के प्रस्तावों पर ही सोच रहे थे? वह अपनी बुद्धि नहीं लगा सके कि यह हो क्या रहा है? उनसे

त्यागपत्र लेने के बहुत कारण हैं परन्तु मैं सबसे बड़ा कारण समझता हूँ। त्यागपत्र लेने का यह न्याय सङ्गत कारण है। मेरे विचार में तो उन्होंने अपने मन्त्रालय से भी इस बारे में बात नहीं की। यदि की तो अपनी बुद्धि का प्रयोग बिलकुल नहीं किया।

इसमें जो जब्ती की बात लिखी है वह भी आश्चर्य जनक है। क्योंकि अमीर वर्ग का तो सत्तारूढ़ दल से दोस्ती होती है तथा वह उसमें साझेदार भी हैं। मुझे पता चला है कि उनमें से कुछ तो मन्त्रियों से मिले हुए हैं। इसलिये यदि इसे लागू भी किया तो इसका प्रभाव गरीब लोगों पर ही पड़ेगा। इसलिये मैं कहता हूँ कि सरकार को यह शक्तियां नहीं दी जानी चाहिये।

उसके पश्चात् वह अपील सुनने का अधिकार राज्य सरकारों को देना चाहते हैं। हमें पता है कि राज्य सरकारें किस प्रकार काम करती हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि राज्य सरकारों की बजाय यह अधिकार न्यायालयों को मिलना चाहिये। मुझे खुशी है कि इस मामले में बहुत कांग्रेसी सदस्य हमसे सहमत हैं।

किसानों को जमाखोर कहना, उनपर अपराध लगाने के बराबर है। यदि वह बुद्धिमता से काम लेकर अपने पास अपनी आवश्यकता के लिये कुछ जमा करके रखता है तो यह जमाखोरी नहीं है। वास्तव में सरकार को काश्तकारों को प्रोत्साहन देना चाहिये कि बचा हुआ अन्न वह अपने पास रखें।

वह फसल के समय वसूली करना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि वह कुछ शर्त पूरी करें। जो मूल्य वह निर्धारित करें वह उचित तथा लाभ प्रद होना चाहिये उस मूल्य पर भी इन्हें सारा अन्न नहीं लेना चाहिये बल्कि केवल वह अन्न ही लेना चाहिये जिसे काश्तकार बेच सकें। इसलिये सरकार को जब भी कोई निर्णय करना हो वह ऐसा करें जिससे काश्तकार को लाभ हो।

अन्त में मैं सरकार से यह कहूँगा कि इनकी वसूली की नीति, उनकी क्षेत्रीय पाबन्दियों की नीति आदि से ही सारे देश के लोग आज दुःखी हैं। उन्हें चाहिये कि लोगों को आराम पहुँचाने पर विचार करें।

श्री राने (बुलडाना) : मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह विधेयक काश्तकारों के हित में नहीं है। ऐसा कहते हुए मैं बड़े जमींदारों, मुनाफेखोरों, जमाखोरों या चोर बाजारी करने वालों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ यदि यह विधेयक पास हो गया तो काश्तकारों को तंग करने का क्षेत्रीय अधिकारियों के हाथ में अच्छा औजार होगा।

दूसरे फसल काटने के एकदम बाद वसूली करने से अन्न को वसूली इतनी नहीं हो सकेगी जितनी हमसे उत्पादकों को कष्ट होगा। तीसरे इस अधिनियम से भ्रष्टाचार फैलेगा। उसके अतिरिक्त यह सम्बिधान की शक्ति से परे होगा। वसूली के कारण काश्तकार को अपने उत्पादन का कम मूल्य मिलेगा। पहले तो जब्त करने का अधिकार केवल न्यायालय को था परन्तु यह शक्ति अब जिला अधिकारों को दी जा रही है। सम्बिधान 31 के अनुसार मुआवजा देना चाहिये। यदि आपने मुआवजा नहीं दिया तो यह सम्बिधान की शक्ति से बाहर होगा।

मैं यह तो मानता हूँ कि मूल्य बढ़ने से सरकार चिन्तित है। परन्तु मूल्य बढ़े क्यों हैं? मेरे

विचार में तो सरकार ने स्वयं क्षेत्रीय निर्बन्धन लागू करके इन्हें बढ़ने दिया है। जब तक आप सारे देश में यह क्षेत्रीय निर्बन्धन समाप्त नहीं करेंगे। मूल्य कम नहीं होंगे। परन्तु क्या सरकार ऐसा करने को राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को राजी कर लेगी ?

जब तक काश्तकार अधिक अन्न उत्पन्न नहीं करेंगे, मूल्य कम नहीं होंगे। परन्तु प्रश्न यह है कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाये ? सरकार को चाहिये कि काश्तकारों को प्रोत्साहन देने वाले तथा लाभ प्रद मूल्य दें। परन्तु सरकार इस दिशा में निर्णय ही नहीं कर पाई। सस्ते मूल्य की दुकानों में तो आवश्यकता के अनुसार नहीं है। जब उन्हें वहां से आवश्यकता के अनुसार अन्न नहीं मिलता तो मूल्य तो बढ़ते ही हैं। महाराष्ट्र में जनवरी से जून तक लोगों को एक मास के लिये एक व्यक्ति को केवल एक किलो अन्न मिलता था। ऐसी स्थिति में आप कैसे आशा रख सकते हैं कि मूल्य कम हों।

यदि कोई काश्तकार 100, 150 अथवा 200 क्विन्टल अन्न उत्पादन करता हो तो उस पर यह विधेयक लागू हो सकता है परन्तु इसे 15 या 20 क्विंटल अन्न उत्पादन करने पर तो लागू न किया जाये। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस कष्ट को दूर करें।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Mr. Deputy-Speaker, this Bill is anti-farmers. This being so, it is anti-national too because 80 per cent of the population in this country lives in villages.

Mr. Deputy Speaker Sir, we will produce foodgrains and the Government servants will take it away from us. Have you heard that the motor cars and big factories of rich people ever being taken away. But because the farmers are poor, the Government is hitting them through it.

Secondly the price to be fixed for foodgrains will be the one which prevails till three months after the harvest. It has now been increased to four months. iA that time the price is very low.

The most troublesome aspect of the bill is that Government servants will forcibly confiscate the foodgrains. This power will be given to the District Collector and it will in effect be further delegated and we will find that constables will go to the residence of people and harass them.

It will decrease production. In order to increase production, the Government should give incentive to the farmers. In Delhi itself the Congress passed a resolution that peasants would be given an integrated price for their produce. But I do not know what happened to that.

So it will not be in the interest of farmers. It will retard the production of foodgrains.

Though I do not agree with most of what Shri Ranga has said but whatever he has said regarding the welfare of farmers is true and I agree with him. If this bill is passed in its present form, I am sure the Congress would not be able to return as many members as at present but this bill is detrimental to the interests of peasantry and when powers are given to the administration to collect the levy of foodgrains, it would result in untold harassment of poor farmers. Here we should adopt the method already in vogue in U. S. A. and France etc. This should be done through Farmers' Organisations at the District or Tehsil levels.

श्रीमलमन्दा रेड्डी (मारकापुर) : देश भर के लगभग सभी राज्यों में बढ़ते मूल्यों और

अन्न के अभाव के विरुद्ध जनता द्वारा 'बन्धों' का आयोजन किया गया। इससे सरकार की असफलता और जनता में फैले घोर असन्तोष का पता चलता है। सरकार को खाद्य समस्या हल करने के लिये एक राष्ट्रीय नीति अपनानी चाहिये। पहले तीसरी योजना के अन्त तक खाद्य में आत्म निर्भरता का लक्ष्य था जो पूरा नहीं हुआ, अब खाद्य मन्त्री चौथी योजना के अन्त में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की बात कहते हैं परन्तु यह बात भी पूरी होती दिखाई नहीं देती क्योंकि 48 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि में से केवल 33 करोड़ एकड़ भूमि में ही कृषि का कार्य हो रहा है। जहाँ अन्य देशों में, जैसे संयुक्त अरब गणराज्य, खाद्य उत्पादन 70 से 100 प्रतिशत तक बढ़ा है परन्तु हमारी सरकार ने इन छोटे छोटे देशों से भी कुछ नहीं सीखा, हमारे यहां प्रत्येक योजना के साथ केवल मूल्य ही बढ़े हैं और यह कहना कि मूल्य वृद्धि का कारण सूखा पड़ना है बिलकुल गलत है। क्योंकि 1964-65 में जबकि खाद्य उत्पादन सर्वाधिक था, मण्डियों में अन्न सबसे कम पहुँचा था। इसका कारण तो यह है कि जमाखोर और मुनाफाखोर खाद्यान्न की जमाखोरी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि संकट के समय उन्हें मनमाना लाभ होगा। और इस कार्य के लिये गैर-सरकारी बैंक उन्हें, जितना वे चाहें ऋण देते हैं। यद्यपि खाद्य मन्त्री ने कहा था कि 'बफर' भण्डार बनाने का काम खाद्य निगम करेगा परन्तु वास्तव में केवल 2 प्रतिशत काम ही इस निगम द्वारा हुआ है। अन्न वसूली का तरीका भी बहुत त्रुटिपूर्ण है क्योंकि जब सरकार वसूली करने के लिये जाती है उससे पहले ही छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसान अपनी उपज मिल मालिकों तथा बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ बेच देते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप सरकार को न्यूनतम भाव में वृद्धि करनी पड़ती है परन्तु फिर भी उन्हें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती।

इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को नये कानून बनाने के बजाय, विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत ही कोई रचनात्मक कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम तथा अन्य सम्बद्ध कानून पर्याप्त हैं यदि सरकार इन्हें कार्यान्वित करे तभी स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। स्वाधीनता के 19 वर्ष बाद भी हम श्रमिकों की न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी नहीं कर पाये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे समय पर वसूली करें और अन्न का वितरण इस प्रकार करें कि यह देश के कोने कोने में पहुँचे।

इस कानून का समर्थन करने के साथ साथ मेरा सरकार से निवेदन है कि वे सुनिश्चित करें कि गरीब किसान और व्यापारी तंग न किये जायें।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मेरे विचार में इस कानून द्वारा सरकार को किसानों की उपज जब्त करने का अधिकार मिल जायेगा और जहां सरकारी कर्मचारी इतने भ्रष्ट हों वहां जब्त की गई सारी चीजें कर्मचारी लोग आपस में बांट कर खा जायेंगे।

कुछ अच्छी सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य समितियां व्यापारियों की भांति ही हैं। यह कानून बना कर हम तीसरी योजना में दिये गये वचन से विमुख हो गये सिद्ध होंगे और कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा।

जितने भी विदेशी विशेषज्ञ भारत आये हैं उन्होंने खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये मूल्य बढ़ा कर प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया है परन्तु इस विधेयक से तो उल्टे उत्पादन घटेगा

ही। इसलिये यदि हम वृद्धि चाहते हैं तो हमें इसके लिये उचित वातावर्ण और शक्ति का संचार करना चाहिये, नियन्त्रण कम से कम अथवा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस बिल को वापिस ले लें और बाद में एक ऐसा विधेयक लाया जाये जिसके द्वारा नियन्त्रण केवल व्यापारियों और ज़माखोरों तक ही सीमित रखे जायें मैं तभी उसका समर्थन करूंगा।

Shri Sumat Prasad (**Muzaffarpur**) **:** The powers proposed to be obtained by Government through this legislation are likely to be abused by the staff responsible for its enforcement. It appears that Government after having failed to check rising prices of other commodities, are now trying to arrest the rise in foodgrain prices which would be hardly fair to the poor producer when prices of all other commodities are shooting up.

While the Government provided all the facilities to the industrialists re: raw material, power, machinery etc. and when there is no control on ditiribution of their products, they are putting restrictions on farmers. This is hardly fair.

Peity farmers and small land holders can hardly produce more than one third in excess of their own requirements and if the powers of levying are excercised, their conditions would become very pitiable. My suggestion is to exempt those farmers having less than 25 acres of land from levy and purchase some portion of the marketable surplus from those having more than 25 acres of cultivable land. No definition of the terms 'Hoarding' and 'Profiteering' have been given in the Bill. This might bring trouble to the cultivator.

The only way of increasing food production is to give maximum facilities to the farmers and to procure foodgrains at renumerative prices.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : सबसे पहली बात जो इस विधेयक के बारे में मुझे कहनी है, यह है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्यायें उत्पन्न होंगी और मूल्य वृद्धि की समस्या बनी रहेगी। इस विधेयक में छोटे उत्पादकों के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सरकार के पास यद्यपि इस कानून से पहले भी स्थिति से निबटने के लिये पर्याप्त अधिकार थे परन्तु इनका प्रयोग नहीं किया गया। सारा दोष सरकार का है अन्न की वसूली उन विचौलियों द्वारा की जाती है जो स्वयं बड़े बड़े व्यापारी हैं और अन्न की जमाखोरी करके काला बाजार करते हैं। क्योंकि वसूली की दर लागत से भी कम होती है इसलिये किसान अपना अनाज इन व्यापारियों के हाथ बेचते हैं जो उन्हें अच्छे पैसे देते हैं। मेरी मांग है कि बिचौलिया पद्धति समाप्त की जाये और अन्न का थोक व्यापार सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

यदि मूल्य वृद्धि को रोकना है तो उनका मूल्य नियन्त्रण उत्पादन केन्द्र पर ही करना होगा नहीं तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। गरीब खुदरा व्यापारियों को पकड़ने से कुछ न होगा।

बंगाल में 49 लाख टन धान में से 29 लाख टन धान बिना लाइसेन्स की मिलों में कूटा जाता है जो काले बाजार में चला जाता है। इस प्रकार सरकार की नीतियों के कारण ही पूरी अनाज मण्डी ही काला बाजार बन गई है।

श्री मलाइछामी (पेरियाकुलम) : मैं वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए, इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत को अन्न का आयात करना पड़ता था और इसे दूर करने के लिये सरकार ने कई उपाय किये और जहां खाद्य उत्पादन बढ़ा है वहां औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है

परन्तु फिर भी स्थिति पर पूरा नियन्त्रण नहीं हो पाया है इसीलिये यह विधेयक लाया गया है जिसमें वसूली, उचित मूल्य और समान वितरण के सिद्धान्तों के अनुसार उपबन्ध रखे गये हैं। परन्तु सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून बनाकर ही समाप्त नहीं हो जाती, इनकी उचित कार्यान्विति भी इसी में शामिल है। कई माननीय सदस्यों में इस विधेयक का इसलिए विरोध किया है कि प्रशासनीय स्तर पर उचित कार्यान्विति नहीं हो पाती। सरकार को जनता को अपने विश्वास में लेकर इसे कार्यान्वित करना चाहिये और यदि कोई कठिनाई हो तो सरकार को उसे दूर करना चाहिये।

Shri Bade (**Khargone**) : I oppose the Essential Commodities (Amendment) Bill. This Bill can be called a death-knell to the farmers. It appears that the Government does not want to repeal these provisions and wants to continue them adinfnitum. Today the collectors are mercilessly using these provisions and they do not pay any heed to the arguments advanced by the cultivators. We cannot move the High Court even, because under the emergency, our fundamental rights have been curtailed.The name of Congress is being defamed by these stern actions of the Collectors.

It is maintained by the Government that the main object of procurement is to hold the priceline. They want to procure foodgrains, edible oilseeds and edible oils at prices specially fixed for release at reasonable prices. I would like to submit that only the dishonest people are benefiting from this. They pray that the controls should not be removed so that they could indulge in blackmarketing and thus earn more profit.

I submit that the levy system should be abolished as the peasants are put to hardship by this system. They have been served with notices that action would be taken against them under Section 3 of Defence of India Act. They borrow from the moneylenders and only thus they are able to pay the levy. When we approached the Collector to impose control on groundnut oil, he expresses his inability to do so. On the other hand, grain is being smuggled outside the zone. I would like to submit that the zonal system should be abolished and if procurement is to be continued, it should be done at the houses of the farmers and they should not be asked to carry that foodgrains to far distancs for the purpose of procurement.

The Government has now made a provision regarding confiscation. This is very harsh. The Government would confiscate even the truck on which the foodgrains are found. Obviously, a truck worth Rs. 40,000 should not be confiscated for just some maunds of foodgrains found on it. Then it is said that an appeal to the State Government can be made against this confiscation. But what would be the outcome of it ? The State Government would listen to the plea of the lower authorities. This is what generally happens. Then there are the party interests also.

The Bastar accident took place only because of levy system. There was famine but the levy system was enforced vigorously. The tribal people are leaving their hearth and homes behind and running towards cities in search of bread. The purchasing power of the people have decreased. The Government is not taking any steps from this point of view. The foodgrains are available but the people have no money to purchase the same. The Government is enacting such legislation which is perpetrating grave injustice unto those people.

Procurement should be made from the traders. But the Government does not touch them as the traders pay contribution to it.

While paying the price of groundnut to the farmers, the Government should take notice of the market price and the cost incurred.

Finally, I would submit that the Act should not be enforced on the farmers. On the other hand the Government should remove the control.

श्रीमती बिमला देशमुख (अमरावती) : अत्यावश्यक वस्तुएं विधेयक 1955 में पास हुआ था और सरकार का यह उद्देश्य था कि इससे वस्तुएं निर्धारित मूल्यों पर बेची जायेंगी। वह शुद्ध होंगी और अच्छी किस्म की होंगी। परन्तु 11 वर्ष के उपरांत भी यह उद्देश्य पूरा न हो सका। सरकार मूल्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकी है। छोटे छोटे शहरों में रहने वाले लोगों की दशा दयनीय है।

आज बाज़ार में मिलावट वाली चीजें मिलती हैं। रंग, गोबर आदि भी खाने की वस्तुओं में मिलाये जाते हैं जिससे बीमारी फैलती है।

यदि कृषकों के हितों की रक्षा की जाये तो मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूँ। परन्तु यदि इस विधेयक को इसी रूप में पारित किया गया तो इससे उनको बहुत हानि होगी।

अनाज, खाद्य तेल तथा तिलहन ज़ब्त करने के लिये कलैक्टर को निर्बाध शक्ति नहीं दी जानी चाहिये। यह शक्तियां मुनाफाखोरों और जमाखोरों के विरुद्ध प्रयोग की जानी चाहिये।

आज देश में जो आर्थिक संकट आया है, उसका कारण यह है कि कृषि तथा औद्योगिक उपज कम हो गई है। हमें यह उपज बढ़ानी चाहिये। कृषि कार्य के लिये सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें दी जानी चाहिये।

अन्त में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान अपर वार्धा योजना को पूरा किया जाये। जहां तक जनता का सम्बन्ध हैं, उससे सरकार को पूरा उपयोग मिलेगा।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : I would like to draw the attention of the Hon. Minister to the fact that the provision incorporated in clause 6A etc. Would only be enforced on the farmers and not on the dealers. At the meeting of the Consultative Committee. the Hon. Minister observed that he was against any harassment being caused to big producers. I feel that the use of the word "big" and "small" producers would create misunderstanding. When the Government has enacted legislation regarding ceiling, the question of big producers does not arise. The Hon. Minister should not distinguish between big producers and the small producers.

Nothing has been said about the smugglers. Only the smuggled and stolen goods should be confiscated. The committee appointed to look into the question of Zones has not so far submitted its report. The Bill should not have been brought until the said Committee has submitted its report. In my opinion the root of all trouble is the Zonal System, so much so that it has now been introduced at district level in M. P. This situation is creating panic among the farmers. The Hon. Minister has been making contradictory statements and therefore we are at a loss to know as to what are the requirements. If we want to increase production, we would have restricted the applications of this Bill to smugglers etc. Otherwise the Production would dwindle into nought. This Bill might be withdrawn, as it is ill-timed because Zonal Commissions report has not yet come.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : यद्यपि इस विधेयक के उपबन्धों में निहित भावनायें अवमूल्यन के पश्चात् उठाये जाने वाले उपचारात्मक कदमों के अनुरूप हैं परन्तु किसी भी कानून

की आत्मा उसकी भाषा अथवा शब्दों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। पहले भी कई बार सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिये अधिकार मांगे हैं और संसद द्वारा वे अधिकार दे दिये जाने पर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है। पिछली बार जब इस अधिनियम का संशोधन किया गया था तब खाद्य मंत्री ने कहा था कि व्यापारी किसानों से अनाज खरीद कर अपने यहां रखने के बजाय किसानों के पास ही रखा रहने देते हैं जिससे उनसे छिपा अनाज वसूल करना कठिन हो जाता है।

[**श्री सोनावने पीठासीन हुये**
SHRI SONAWANE *in the chair*]

आशा है मंत्री महोदय उत्तर देते समय उस संशोधन द्वारा प्राप्त अधिकारों द्वारा मिली सफलता का भी उल्लेख करेंगे।

पंजाब के राज्यपाल, श्री धर्मवीर जी ने इस अधिनियम की आत्मा के अनुसार जमाखोरों और काला बाजार वालों के विरुद्ध कार्यवाही करके बहुत सा छिपा अनाज प्राप्त किया और जनता को काफी राहत मिली परन्तु लगता है कि कुछ अन्य राज्यों में भी जहां ऐसी कार्यवाही की जाने वाली थी, कुछ गुप्त हिदायतों के फलस्वरूप ये छापे नहीं मारे जा रहे। पता नहीं यह बात कहाँ तक सच है? 1964 में राजधानी में भी ये छापे मारे गये थे और काफी अनाज निकला था परन्तु बाद में गति धीमी पड़ गई और पता नहीं कि अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और कोई कार्यवाही की भी गई अथवा नहीं?

मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को यह शक्तियां दी जानी चाहिये परन्तु शर्त यह है उनका उचित तथा प्रभावी प्रयोग होना चाहिये।

देश भर में 'बन्द' हड़तालें घेरा डालों आदि कई प्रकार के आंदोलन चलते रहे हैं। जनता में व्यापक असंतोष फैला हुआ है। जनता भूखा रहना तो सहन कर सकती है यदि देश में अन्न न हो परन्तु वह यह कैसे सहन कर सकती हैं कि देश में जो अनाज है उसे दबा कर रखा जाये उसका काला बाजार किया जाये अथवा उसे नदी में बहा दिया जाये।

जहां तक देश की आर्थिक स्थिति का संबंध है, 1939 से अब तक सामान्य मूल्य सूचक अंक जहां अन्य देशों में 27.2 प्रतिशत बढ़ा है, वहां हमारे देश में 76.8 प्रतिशत बढ़ गया है और वित्त मंत्री जी के अनुसार, अवमूल्यन के पश्चात् यह अंक 80 प्रतिशत हो गया है। जनता में असंतोष का यही कारण है।

उन सरकारी कर्मचारियों को भी कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये जो सरकारी गोदामों से अनाज की चोरी के लिये जिम्मेदार हों। कृषि मूल्य आयोग की भांति एक स्थायी समिति बनायी जानी चाहिये जो प्रशुल्क आयोग की तरह हो। आशा है मंत्री महोदय इन सुझावों पर विचार करेंगे।

Shri Bagri (Hissar): We would have to go into the causes leading to the rise in prices of essential commodities. Take the cause of rice. We imported one lakh tons of rice from Burma at cost of Rs. 20 lakh. But actually we received only 90,000 tons rice. This rice was shipped to India through M/S. Amin Chand Pearey Lal who misappropriated 10,000 tons of rice out of the total lot of one lakh tons. That is why the consumer had to bear the proportionate increase in the complete Aprice of rice. enquiry should be conducted int othe whole affair.

I want to urge upon the Minister to make the position clear as far as the rice imported from Burma is concerned. I want to make it clear that it will not be possible to check the rise in prices by law. You will have to change your policies. It is also unfortunate that the uniform prices are not given to farmers for their produce. They are paid very low price while the price in the market is very high. There should be very little difference between the prices what the farmer gets and consumer pays. Some sort of level should also be maintained between the prices of industrial production and agricultural produce.

Same is the case of other essential commodities, their price level at all stages should also be co ordinated and the balance maintained. Then comes rules and laws that are made by you. I am of the opinion that you do enact laws but never implement them properly. The real culprits are left scot free. Poor people are caught and punished. People responsible for blackmarket, adulteration and other offences should be brought to book. The case of M/S Aminchand Pyarelal should also be considered.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यद्यपि मैं इस विधेयक के बारे में स्वयं नहीं हूँ, मुझे इसके सिद्धान्तों के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। पता नहीं जब प्रशासन को इतने व्यापक अधिकार दे दिये गये तो क्या होगा। यह भी मैं स्वीकार करता हूँ कि जो लोग कुछ भी पैदा नहीं करते उन्हें भी पेट भरने के लिये देना सरकार का कर्तव्य है। इसलिये इस खंड को आपत्ति जनक नहीं कहा जा सकता जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि माल उचित मूल्यों पर बाजार में न आये तो उसे जब्त कर लिया जाय। यह बात तो सर्वविदित है कि व्यापार वर्ग जमा खोरी और मुनाफा-खोरी कर रहा है।

यह ठीक है कि हम योजना के लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं कर पाये हैं। कीमतों के बढ़ जाने की ही बात नहीं। सबसे महत्व पूर्ण बात तो वितरण की है। यदि सभी विभिन्न वर्गों में ठीक ढङ्ग से वितरण हो पाता ता जितना असन्तोष आज दिखाई देता है वह न होता। अतः जब्त करने वाली बात तो ठीक है परन्तु यह बात भी बड़ी महत्व पूर्ण है कि इन उपबन्धों को कार्यान्वित कैसे किया जायेगा। जैसा प्रशासन का ढांचा हमारे सामने है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शक्तियों का अनुचित उपयोग हो सकता है। उन राज्यों में तो यह सम्भव है ही जहाँ प्रशासन का ढांचा कमजोर है। जाति पात का अन्त भी इस पर प्रभावी हो सकता है। अतः यह स्वीकार करना तनिक कठिन सा प्रतीत होता है जिलाधीशों को जब्त के सारे अधिकार दे दिये जांय। आखिर ऊपर कुछ ही कह लिया जाय यह कानून कार्यान्वित तो नीचे दर्जे पर ही होगा। और उस स्तर दलबदी, साम्प्रदायिक नया अन्य सभी प्रकार की बातों का प्रभाव रहेगा।

मेरा मत यह है कि यदि जिला मजिस्ट्रेटों को जब्त करने के सब अधिकार दे दिये गये और कृषकों पर हाथ डालने की शक्तियां भी उनके पास आ गई तो यह कानून काले कानून का रूप धारण कर लेगा। इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये कि जब्ती सम्बन्धी कानून काश्तकारों तथा उत्पादकों पर लागू नहीं होना चाहिए। यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि इसका प्रयोग केवल व्यापारियों, जमाखोरों, मुनाफाखोरों, तथा काला बाजार करने वालों पर ही लागू होना चाहिए।

मेरा यह भी निवेदन है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिये जाने चाहिये। और मूल्य ऐसे

हो कि किसान अपने उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहित हो सके और उन मूल्यों पर बेचने में कष्ट का अनुभव न करे। सरकार भी समय पर उनसे खरीद सके। मूल्य दो महीने फसल के बाद का नहीं, चार मास का होना चाहिये। अतः मेरा निवेदन यह है कि मैं विधेयक के सिद्धांतों, परन्तु जिलाधीशों को इतने व्यापक अधिकार देने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाना चाहिये छोटे किसानों पर नहीं। इसके अतिरिक्त मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री राजाराम (कृष्ण गिरि) : मेरे माननीय मित्र जो कि सत्तारूढ़ दल के हैं, ने विधेयक का विरोध किया, परन्तु यह स्पष्ट है कि सचेतक के कहने पर वह इसका समर्थन करेंगे। श्री आजाद ने ठीक कहा है कि यदि इसे इसी रूप में पारित कर दिया गया तो यह काला विधेयक होगा। अतः मैं अपने दल की तरफ से इस विधेयक का विरोध करता हूँ। कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि सरकार क्योंकि कीमतों को वृद्धि रोकना चाहती है, अतः उसके पास ये शक्तियां होनी चाहिये। 1955 में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया था, परन्तु 11 वर्षों में सरकार मूल्यों पर नियन्त्रण करने में असमर्थ रही है। स्थिति लगभग आज भी वैसा ही है जैसी कि 18 वर्ष पूर्व थी। विधेयक पर विधेयक और अध्यादेश आते रहे परन्तु इस दिशा में स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। राज बदल गया है, परन्तु लोगों के दुःखों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ।

इस विधेयक से पूर्व खाद्य निगम की स्थापना की गई थी और यह दावा किया गया था कि निगम देश भर के फालतू अनाज को वितरण करने का कार्य करेगा। परन्तु यह देख कर खेद होता है कि श्री टी० रा पाई जैसे अर्थशास्त्री भी सेवाओं के बावजूद हम इस दिशा में कुछ नहीं कर पाये। निगम पूरी तरह असफल रहा है। इसी तरह कुछ माननीय सदस्यों ने बन्द इत्यादि का उल्लेख किया है यह बन्द अन्य राज्यों में हुए हैं परन्तु मद्रास में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। परन्तु मद्रास में स्थिति बहुत सन्तोष जनक नहीं है श्री टी० ए० पाई ने एक वक्तव्य में कहा था कि किसी राज्य सरकार ने खाद्य निगम का समर्थन नहीं किया। उन्होंने इसी कारण से ही खाद्य निगम की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है।

अब सरकार इस विधेयक को ला रही है। इसका उद्देश्य गरीब काश्तकारों को तङ्ग करना है। बड़े बड़े जमीदार और उद्योग पति तो सरकार के साथ मिले हुए हैं। और इस बात का ही यह प्रमाण है कि सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि सुधार का कार्य नहीं हो सका। खेती की तो गत बहुत से वर्षों से उपेक्षा की जा रही है। जो विदेशी सहायता हमें मिल रही है, उसका प्रयोग भी हम ठीक ढङ्ग से कर पा रहे हैं। इस दिशा में जापान ताइवान इत्यादि देशों ने जो आशातीत प्रगति की है, उससे भी हमने कुछ लाभ नहीं उठाया। स्वतन्त्रता के 18 वर्ष व्यतीत हो जाने पर हमें कम से कम कृषकों के लिये सिंचाई की व्यवस्था तो करनी चाहिये। यह देश की वास्तविक स्थिति है। हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कुछ नहीं कर सके।

खाने तेल और तिलहन के बारे में भी स्थिति उत्साह जनक नहीं है। गुजरात राज्य ने उनका निर्यात दूसरे राज्यों को बन्द कर दिया है। इनके बारे में भी किसानों को कोई विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं हुआ। यदि ऐसा हो जाता और सरकार उचित प्रोत्साहन देती तो हम मूंगफली का निर्यात कर सकते थे। मद्रास इस मामले में काफी कठिनाइयों का सामना कर रहा

है। मूंगफली 12 करोड़ रुपये की बाहर जाती थी, परन्तु अब कुछ भी निर्यात नहीं हो रही। अब कोई मूंगफली की खेती ही लोग नहीं करते। सारा जोर गन्ने की खेती पर है। मेरा कहना है कि सरकार यदि इमानदारी से चाहे तो इस दिशा में कुछ स्थिति सुधर सकती है।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन यह है कि प्रत्येक विधान चार बातों पर आधारित होता है, न्याय व्यवस्था, तर्क और मानवता। वर्तमान विधान इस किसी भी उपरोक्त आधार पर पूरा नहीं उतरता अतः इसे कानून कहना भूल है। इसके खण्ड 4 के अन्तर्गत जो व्यवस्था उपबन्धित की गई है, वे कानून के सारे मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। मैं पूछता हूँ कि आज इस देश में ऐसा कोई देश है जहां के कृषक अब भी पुराने ढङ्ग के औजारों का प्रयोग कर रहे हों। इस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी कृषि के कार्यों में आधुनिक औजारों का प्रयोग करें। आज जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास इस देश में हुआ है, उसका कृषि कार्यों में प्रयोग किया जाना चाहिये।

इसके साथ ही हमें उत्पादन कला के बारे में भी लोगों को प्रशिक्षित करना होगा। हमें इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि वैज्ञानिक शिक्षा तथा एकरूप मूल्य देकर लोगों को प्रोत्साहन किया जाय। यह खेद की बात है कि 20 वर्ष के बाद भी स्थिति बदली नहीं है।

श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आखिरकार सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम केवल सीमा क्षेत्रों में ही लागू होगा। अब उसके स्थान पर यह विधेयक लाया जा रहा है। पता नहीं चलता कि इसमें नई बात क्या है। यह भी रोचक तथ्य है कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि राज्य ने मूल्यों की वृद्धि रोकने के लिये काफी कार्य किया हैं। परन्तु यह भी आश्चर्य की बात है कि इस दिशा में उस कार्य का कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता। मैं आर्थिक मामलों के विवाद में चर्चित विषयों का उल्लेख नहीं करना चाहता परन्तु यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिनियम के खण्ड का संशोधन किया जा रहा है ताकि इसके लिये भारत सुरक्षा नियम के साथ 125 (9) (ख) की शक्ति को प्रयोग में लाया जा सके। मेरा कहना है कि यह बातें कहने में तो ठीक लगती है परन्तु जब उन्हें कार्यान्वित करने का प्रश्न आता है तो स्थिति बिलकुल दूसरी हो जाती है। मेरा कहना यह है कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि गरीब किसानों को तंग न होना पड़े। खेती करने वालों के लिये तथा उन उपभोक्ताओं के लिये जो कृषि का सामान उत्पादन नहीं करते, उनके लिये हमें मूल्यों पर नियन्त्रण करना होगा। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि किसान को अपने उत्पादकों का अपेक्षित मूल्य न मिले। सारे मामले पर कृषि मूल्य आयोग को विचार करना चाहिये।

मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि अात्यावश्यक वस्तुयें विधेयक में तो संशोधन होना चाहिये परन्तु हमें इस बात को समझ लेना चाहिये कि यह मामला वसूली तथा समाहार का यह नहीं है। प्रश्न तो वितरण का है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि वितरण की दिशा में ठीक पग उठायें जा रहे हैं। परन्तु कथनी और करनी में काफी अन्तर दिखाई देता है। मेरा कहना है कि यदि कोई राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार का कहा नहीं मानती तो उस पर प्रभाव डाला जाना चाहिये। जब देश में अभाव की स्थिति हो तो सारे देश में खाद्य स्थिति एकरूप और एकरूप होनी चाहिये।

Shri Vishwanath Pandey (Salempur) : If the Bill ultimately eradicate the evil of black market and profiteering then the entire nation will welcome it. But there are some difficulties in the way. The solution which has been suggested within this Bill regarding distribution is no solution. It will not solve the problem. Some steps should be taken in this direction with courage and fortitude. The control and the Zonal System should go. The irrigation facilities should be given to the farmers so that they may produce more. This is the only way of solving the problem. I urge upon the Minister that control and Food Zones should go. The Minister should give very serious consideration to this effect.

I do not think that this Government are going on the path of socialism. This is Government of Controls. With present state the country will not be able to go ahead.

Sri K. N. Tiwary (Bagaha) : I thank the Hon. Minister for this amending Bill. I hope something will be done to improve the state of the poor farmers. Government are of the opinion that in order that the effects of devaluation may be done away with, there should be increase in production. Everywhere in agriiultural and industrial sectors there should be production. But let me tell you frankly that if really Goveruemcnt desire increase in production the encouragement will have to be given to the producers.

Nothing should be provided in the law which will discourage the farmer to produce more. This provision should be eliminated which will lead to the confiscation to be done by the District Magistrates. Such a provision will stand in way of production and create discontentment amongst the farmers. We should try to pay the farmer the reasonable price for their produce.

Shri D. S Patil (Yeotmal) : The Bill aims to arrange foodgrains for the consumers at a reasonable rates. But I want to say that there should be uniform food policy for the whole of the country. Today we find there is no uniformity regarding the policies of the Government in this direction. Neither distribution nor essential procurement is going on in India according to uniform policy.

We should try to give as much relief to the consumers as possible, but we should also see that the farmer gets a reasonable renumeration. I feel the provisions of the Bills are not according to the resolutions of the House previously. Bill should be brought up to that level.

We should see that the price of any industrial production is not fixed on an ad hoc basis. It should be fixed on the basis of cost of production—the same principle should apply in the agricultural sector. We should apoint a committee which should consider the matter and decide about the basis, on which the prices should be determined. The producers be given a reasonable price and the consumers the less price. The agricultural labour should get more. They should get wages.

श्री प्र० के० देव (कालाहोडी) : यह लोक सभा का प्रथम अवसर है जब कि किसी विधेयक का विरोध करने के लिए सभी एक मत है। फिर भी मंत्री महोदय इसके लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे।

अब तक भारत रक्षा अधिनियम लागू रहा है और उसके अन्तर्गत नियम भी लागू रहे हैं तब भी समूची वितरण प्रणाली त्रुटिपूर्ण रही है। अब भी यह तर्क दिया जा रहा है कि यदि उक्त अधिनियम की अवधि बढ़ा दी जाये और यदि संकटकालीन शक्तियां दे दी जाये तो वितरण व्यवस्था बिलकुल त्रुटिहीन बना दी जायेगी। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान वितरण प्रणाली के कारण उड़ीसा में पिछले अकाल के दौरान सैकड़ों लोग भूख से मरे थे। स्वतन्त्रता के बाद के 19 वर्षों में स्वतन्त्र भारत में इतनी हत्याओं के लिए सरकार जिम्मेवार है।

यदि वितरण के मार्ग में कोई रुकावट है तो वह दम घोटने वाली नियंत्रण तथा लाइसेंस व्यवस्था है, जब तक उन्हें दूर न किया जाये, स्थिति में सुधार नहीं हो सकता चाहे सरकार को कितनी भी शक्तियां क्यों न प्रदान की जायें।

दूसरा कारण अवमूल्यन का बताया गया है। अवमूल्यन हो अथवा नहीं, सरकार का यह सब से पहला कर्त्तव्य है कि वह मूल्यों में वृद्धि न होने दे। सरकार अधिक मूल्यों के लिए उत्तरदायी है। बिचौलियों अथवा व्यापारियों को जमाखोर कहकर दोषी ठहरने का कोई लाभ नहीं। वास्तव में सब से बड़ी जमाखोर तो सरकार स्वयं है। विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि कलक्टरों को अधिक शक्तियां दी जायें। परन्तु इस समय जो कलक्टर हैं, वे इस योग्य नहीं हैं कि उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान की जायें। शक्तियों का दुरुपयोग किये जाने की बहुत सम्भावाना है। उचित वितरण तभी सम्भव है जब क्षेत्रीय उपबन्ध समाप्त कर दिये जायें।

श्री खाडिलकर (खेड): मुख्य प्रश्न यह है कि कई वर्षों के प्रयास के पश्चात् हमने, विशेष रूप से वर्तमान खाद्य मंत्री ने एकीकृत खाद्य योजना निर्धारित की है। उन्हें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये और स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिये कि क्या ऐसी नीति निर्धारित करने के लिए विभाग में कोई गतिशीलता है। उन्होंने खाद्य निगम का विचार रखा है। परन्तु यह निगम राष्ट्र की मुख्य समस्या अर्थात खाद्य समस्या को हल नहीं कर पाया है। मुख्य समस्या तो खाद्य नीति निर्धारित करने की है। कुछ थोड़ी से और शक्तियां प्राप्त कर लेने से ही समस्या हल नहीं होगी।

खाने के तेलों के दाम बहुत बढ़ गये है। खाने वाला तेल एक आवश्यकता की वस्तु बन गया है। परन्तु सरकार तिलहन का निर्यात कर रही है और सोयाबीन तेल का अयात कर रही है। क्या यह नीति उचित है? मुझे यह समझ में नहीं आता।

आज विभिन्न राज्यों में मूल्यों में अन्तर है। इसलिए, यदि आप मूल्य में वृद्धि रोकना चाहते हैं तो आप को एक बात ध्यान में रखनी चाहिये। समाज में खाद्य एक मूल शक्ति है। यदि सरकार उसकी उपेक्षा करती है तो सम्भव है कि देश के कुछ भागों में विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाये। यह विधि और व्यवस्था की समस्या नहीं है अपितु नैतिक समस्या है।

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): Due price is not being paid to the agriculturists for their produce. Proper price ought to be paid to them. At the time of fixing the price of foodgrains, the agriculturists shold be consulted. Unfortunately enough attention is not being paid to the welfare of the agriculturists. Once they are paid the due price, they should not demand more prices. They should not follow the example of blackmarketeers and harass the poor people. A climate should be created in the country in which people should take a vow not to starve the poor people in order to extract more money from them through unfair means.

It is essential to check the hoarding of foodgrains in order to hold the price line. If we do not hold the price line, the economy of our country will collapse. Strong measure to check hoarding should be taken.

It has been objected that the collectors should not be given the power of procurement. I would urge that we should trust our officials. We will have to give powers to officials. Bad officials should, of course, be punished. Such provisions of the Bill, which are against the interests of the agriculturists should be modified.

Shri R. S. Tiwary (Khajuraho): I am not against the procurement of foodgrains, but sufficient foodgrains must be left with the agriculturists as they have to feed their family and they have also to keep it for sowing purposes. It is essential that there should be procurment and it is also necessary that people should get foodgrains, but I would say that the best way is to have uniform price throughout the country. Transport expenses may be borne by the Government. People charging high prices should be shot.

Zonal restrictions are creating scarcity conditions and they are responsible for uneven prices. There snould be free movement of foodgrains throughout the country.

The history of all the nations of the world tells us that those countries, whose agricultural production has increased, have progressed. We should give all facilities to the farmers so that our agricultural production is increased. The agriculturists should be provided with seeds.

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : श्रीमान् जी, सामाजिक परस्पर निर्भरता के वर्तमान युग में सामाजिक नियन्त्रण अत्यन्त अनिवार्य हो गया है। अन्यथा सामाजिक अराजकता हो जायेगी। इसलिये, आज के समाज में नियन्त्रण का विरोध करने वाले लोग समाज की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में अपने घोर अज्ञान का प्रदर्शन करते हैं।

यद्यपि सरकार को शक्तियां प्राप्त हैं तथापि उन शक्तियों का ठीक प्रकार से और प्रभावशाली ढङ्ग से प्रयोग नहीं किया गया है। सरकार जब कभी शक्तियां प्राप्त करती हैं तब उन शक्तियों का उपयोग सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावशाली ढङ्ग से किया जाना चाहिये।

कृषकों के हितों के प्रतिकूल विवेचन के उपबन्धों में परिवर्तन किया जाना चाहिये। हमें कृषकों के हितों की ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये।

बाजार मूल्य तथा कृषक को मिलने वाले मूल्य में बहुत अधिक अन्तर होता है। थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी वह राशि आपस में बांट लेते हैं। वे बहुत धन कमाते हैं यद्यपि परिश्रम, किसानों द्वारा किया जाता है। यह रोका जाना चाहिये। हमें कृषकों को दिये जाने वाले उचित और युक्तियुक्त मूल्य का हिसाब लगाना चाहिये। इसके पश्चात् हमें व्यापारियों के लिये लाभ की एक सीमा निश्चित् करनी चाहिये। उस मूल्य पर उच्चतम सीमा निश्च्ति की जानी चाहिये। वह वस्तुयें उपभोक्ताओं को उसी मूल्य पर बेची जानी चाहिये। किसी भी व्यापारी को उससे अधिक मूल्य लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

हमने कुछ हद तथा खाद्यान्न का राज्य व्यापार स्वीकार किया है परन्तु जब तक हम पर नीति पूर्णतया नहीं अपनायें तब तक कठिनाइयां कभी दूर नहीं हो सकतीं। जब हमने खाद्य व्यापार निगम बना दिया है तब खाद्यान्न का समूचा व्यापार सरकार को अपने हाथ ले लेना चाहिये और कृषकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के साथ न्याय करना चाहिये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: हमें एक बड़ी जटल समस्या का सामना और आगामी कुछ वर्षों में खाद्यान्न के सम्बन्ध में हमारी घाटे की अर्थ व्यवस्था रहेगी। इस सन्दर्भ में हमें उस बात पर विचार करना होगा कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था का प्रबन्ध किस प्रकार करें। उपबन्ध व्यापार के लिये पूरी छूट देकर तथा लोगों को, विशेषतया कम आय वाले लोगों को उनकी दया पर छोड़कर हम उसका प्रबन्ध नहीं कर सकते। प्रश्न केवल खाद्यान्न की उपलब्धि का नहीं बल्कि यह है कि जन साधारण भी उसे खरीद सकें, यही नहीं, सरकार को अपना काम करना होता है। यदि खाद्यान्न काफी

मात्रा में उपलब्ध भी हो तो भी मूल्य बहुत होने के कारण निर्धन लोग उन्हें खरीद नहीं सकेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दो समय पूरा खाना मिले। खाद्यान्न के मूल्य पर सर्व प्रथम नियन्त्रण किया जाना चाहिये क्यों उस पर दूसरी वस्तुओं का मूल्य निर्भर है।

यह बात ध्यान में रख कर आगामी चार पांच वर्षों के लिये नीति निश्चित करनी होगी। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वितरण होने से ही यह सुनिश्चत हो सकेगा और इसका प्रभाव बाजार पर भी पड़ेगा।

जब तक हम कम से कम एक तिहाई विक्रय योग्य फालतू अनाज प्राप्त नहीं कर लेते और उसे बड़े नगरों में तो कानूनी राशनिंग पद्धति द्वारा और कमी वाले क्षेत्रों में सस्ते खाद्यान्नों की दुकानों द्वारा वितरण नहीं करते, तब तक हम स्थिति पर काबू नहीं पा सकते। इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक वितरण अभिकरणों द्वारा एक करोड़ टन खाद्यान्न वितरण किया जाये। हमारी आयात की क्षमता पर नियन्त्रण किया जाना है। इसलिये 2 करोड़ टन के लगभग का अधिकांश तो अपने देश में ही कानून करना होगा। इसलिये, हमारे पास उनके लिये सारी शक्तियां होनी चाहिये। महत्वपूर्ण बात यह है कि जबकि हमारे पास कानूनी की पद्धति है तब जो भी काम हम करें, उससे उत्पादन में कमी नहीं होनी चाहिये।

जब तक कृषकों को लाभप्रद और उत्साहवर्धक मूल्य नहीं दिया जाता, तब तक हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। इसलिये, हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि वसूली और वितरण की व्यवस्था चाहे कुछ हो, वह स्तर घोषित करना होगा जिससे नीचे खाद्यान्न का मूल्य नहीं जाने दिया जायेगा। वह मूल्य पिछले वर्ष बना दिया गया था और आगामी चार पाँच वर्षों में वही न्यूनतम समर्थनकारी मूल्य होगा।

प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान स्थितियों के सम्बन्ध में हमने वसूली का मूल्य या सरकारी खरीद का मूल्य निश्चित किया है। वह समर्थनकारी मूल्य नहीं था बल्कि उससे कुछ अधिक था। उदाहरण के लिये, हमने पिछले वर्ष समर्थनकारी मूल्य से 6 से 7 रुपये अधिक मूल्य रखा। उसके अलावा, खुले बाजार का मूल्य घटता बढ़ता रहता था। मूल्य सम्बन्धी इन बातों पर विचार करना होगा।

आगामी फसल के लिये हमने कानूनी मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया है। हम उस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों तथा अन्य निगमों में वार्तालाप कर रहे हैं शीघ्र ही निर्णय करेंगे, वह मूल्य उत्पादकों के लिये लाभप्रद तथा आकर्षक होगा परन्तु हमें मूल्य निर्धारित करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि उपभोक्ता के लिये वह मूल्य उचित हो। अन्यथा खाद्यान्न के विक्रय पर हमें राजकीय सहायता देनी होगी।

मूल्य निर्धारित होने के पश्चात् हमारे लिये आयात को क्षमता पर ध्यान रखते हुए 80 लाख मीटरी टन से 1 करोड़ मीटरी टन तक की वसूली करना सम्भव होना चाहिये। उसके लिये हमें एक तरीका अपनाना होगा। उस प्रयोजन के लिये शक्ति अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन ली गई जिसमें उगाही और अधिग्रहण आदि की भी व्यवस्था है।

सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि छोटे उत्पादकों को फसल के तुरन्त पश्चात् भी लाभप्रद मूल्य मिले यद्यपि इस समय मूल्य कम होने की प्रकृति होती है। परन्तु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें जमा करने की क्षमता होती है। उन्हें केवल इसी कारण ही अनुचित लाभ नहीं होना चाहिये। इसलिये, मूल्य निश्चित करने से पहले सरकार को फसल काटने के तीन चार मास बाद के मूल्यों को भी ध्यान में रखना होगा।

खण्ड 2 मुख्य रूप से केवल थोक व्यापारियों और उन व्यापारियों पर लागू होगा जो अनाज खरीद कर उसे जमा करते हैं ताकि अभाव के समय वे इसका व्यापार कर सकें।

कुछ लोगों में अनाज जमा करने की क्षमता होती है प्रश्न यह है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये क्या मूल्य निर्धारित किया जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

केवल इस कारण कि एक व्यक्ति में अनाज जमा करने की क्षमता है उसे छोटे उत्पादकों की तुलना में अनुचित लाभ नहीं मिलना चाहिये। इसलिये सरकार को मूल्य निर्धारित करने से पूर्व फसल काटने के तीन चार महीने पश्चात् के मूल्यों पर भी ध्यान रखना होगा। इसलिये सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना है कि सबको उचित मूल्य मिले।

श्री त्यागी (देहरादून) : क्या सरकार थोक व्यापारियों से भी अनाज की वसूली कर सकेगी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खण्ड 2 मुख्यतः केवल थोक व्यापारियों और उन व्यापारियों पर लागू होगा जो अनाज जमा कर लेते हैं ताकि कमी के समय में भी व्यापार कर सकें।

कानून के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध खण्ड 3 के अन्तर्गत दांडिक कार्यवाही की जा सकेगी। परन्तु जब वास्तव में कानून का उल्लंघन हो जायेगा तो धारा 6 ए लागू होगी। कानून का उल्लंघन होने पर नियन्त्रक द्वारा अनाज, खाने के तेल अथवा तेल बीज कब्जे में लिये जा सकके हैं। इस बारे में हमें एक ओर तो उत्पादक तथा दूसरी ओर व्यापारियों, जमाखोरों अथवा तस्कर व्यापार करने वालों के बीच भेदभाव करना होगा। इसलिये एक सरकारी संशोधन द्वारा यह खण्ड उत्पादकों तथा उनके अनाज के बारे में लागू नहीं होगा। हमें समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध सख्ती करना होगा।

मुझे प्रसन्नता है कि किसी ने पंजाब से की जानेवाली कार्यवाही का उल्लेख किया है जिसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

उत्पादकों को छोड़कर मुनाफाखोरों, जमाखोरों के विरुद्ध जब हम कार्यवाही करते हैं तो उन्हें न्यायालयों में जाने तथा मामलों को लटकाये रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिये वर्तमान मामले में हमने कुछ सख्ती की है।

खण्ड 4 के अधीन न केवल अनाज और अन्य खाये जाने वाली चीजों को, जो कि पहले से ही वहां मौजूद हों, जब्त करने का अधिकार दिया जा रहा है बल्कि इन वस्तुओं को ले जाने वाली गाड़ियों को जब्त करने का अधिकार दिया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जुर्माना देना किसी भी व्यक्ति के लिये सुगम होगा जो इस व्यापार से रुपया कमा रहा होगा

परन्तु इस अधिकार से उसको यह भी डर होगा कि अब उसकी गाड़ी भी जब्त की जासकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री विश्वनाथ पाण्डेय विधेयक को परिचालित करने के बारे में अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले सकते हैं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The Amendment was by leave withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अत्यावश्यक वस्तुयें अधिनियम, 1455 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion Was Adopted

खण्ड 2

श्री राने (बुलडाना) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : मैं संसोधन संख्या 9,10,11,12 और 29 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्तुत करता हूँ कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 15 और 16 में "Three Months" ["तीन महीने"] के स्थान पर "Four Months" ["चार महीने"] शब्द रखें जायें। (25)

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : मैं संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री विभूति मिश्र : मैं संशोधन संख्या 49 और 50 प्रस्तुत करता हूँ :

Shri Sinhasan Singh : We are neither giving exemption to big nor to small prodcing so far as procurement is concerned. In this amendment we are giving exemption only for five quintals. As a result thereof Tehsildars and other Block Development officers will harass these poor persons who will have to pay something to the officials to save their skin. There should be some such amendment to the effect that no procurement is made from the farmer.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम मूल्य सम्बन्धी खण्ड 2 पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री सिंहासन सिंह : खण्ड 2 में बताया गया है कि किसान को दिया जाने वाला मूल्य निर्धारित करते समय निर्यान्त्रित मूल्य तथा फसल के बाद से मूल्य पर भी विचार किया जायेगा। यदि नियन्त्रित मूल्य तथा फसल के बाद के मूल्य में अन्तर हो, तो किसान को कौन सा मूल्य दिया जायेगा। यही कारण है कि मैंने संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत किया है जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि इन दोनों मूल्यों में अन्तर हो तो किसानों को फसल के बाद का मूल्य दिया जायेगा। मन्त्री महोदय को ऐसा संशोधन भी प्रस्तुत करना चाहिये जिससे 25 अथवा 30 एकड़ भूमि रखने वाले किसानों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े।

Shri Bibhuti Mishra : Clause 2 should be amended in such a way so as the farmers could get integrated price. The clause should also provide for the payment of price based on the average of at least six months.

A second proviso should be added to the proposed Section 6 B so that only a gazetted officer may be allowed to enter the house or a godown of a person to seize foodgrains etc.

श्री राने : खण्ड 2 में यह कहा गया है कि जिन किसानों का अनाज जब्त किया जाता है उनको फसल के बाद का मूल्य दिया जायेगा ।

प्रस्तुत किये गये मेरे संशोधन में यह व्यवस्था है कि फसल के बाद के शब्दों को हटा दिया जाये और कि किसानों को एकसा तथा उचित मूल्य दिया जायें । दूसरे उचित मूल्य नियन्त्रित मूल्य से कम नहीं होना चाहिये और वह मुल्य बाजार मूल्य से अधिक होना चाहिये ।

श्री हिम्मत सिंह का (गोडा) : मैं एक बात की ओर मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि क्या खण्ड 2 के, जैसा कि यह है, सम्विधान के अनुच्छेद 13 और 14 का उल्लंघन नहीं होगा । इस खण्ड के अधीन आदेश बनाये जाने के लिये कोई उचित आधार नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि उन सब व्यक्तियों पर जो खण्ड 2 के अधीन आते हैं इस आदेश को लागू करने के लिये एक समुचित आधार होना चाहिये ।

श्री शिवाजी राव० शं० देशमुख (परभणी) : इस संशोधिन विधेयक से किसानों के हितों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और इससे उपभोक्ताओं को भी किसी प्रकार लाभ नहीं होगा ।

यह आशा थी कि सरकार किसान को लाभप्रद मूल्य देने का प्रयास करेगी परन्तु इस बारे विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है । सरकार को खण्ड 2 के बारे में श्री विभूति मिश्र का संशोधन कर लेना चाहिये जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि इसमें "एकीकृत अथवा कम से कम लाभ प्रद" शब्द जोड़ दिये जाने चाहिये ।

बाजार भावों को बोवाई के समय बाजार मूल्य पर निर्धारित किया जाना चाहिये मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले को देखेंगे और कृषकों के हितों को संरक्षण के लिये उचित संशोधन दें ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आज प्रातः चर्चा में मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा था कि फसल के बाद के मूल्य से उनका अर्थ किसानों को दिये जाने वाले लाभप्रद मूल्य से है । यदि किसान को लाभ प्रद मूल्य देना है तो मूल्य निर्धारित करते समय न केवल फसल के तुरन्त बाद का मूल्य बल्कि उन मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये जो फसल के बाद के एक पखवाड़े से आरम्भ होकर चार महीने तक रहते हैं ।

मन्त्री महोदय इस बात के लिये मान गये थे कि यर खण्ड उत्पादकों पर लागू नहीं होगा बल्कि मुनाफाखोरो तथा समाज-विरोधी तत्वों पर लागू होगा । परन्तु आदेश में किसी प्रकार के अनाज की बिक्री के बारे में उल्लेख किया गया है । क्या इसका यह अर्थ है कि उत्पादकों का माल जब्त नहीं किया जायेगा फिर भी सरकार द्वारा ऐसा आदेश पास किया जायेगा जिसके अन्तर्गत किसानों को अनाज की एक निश्चित मात्रा अपने पास रखकर शेष सरकार को बेचना होगा । इसके लिये कोई उचित आधार नियत किया जाना चाना चाहिये ।

श्री सोनावने (पेन्ढरपुर) : खण्ड 2 बिलकुल स्पष्ट है और इसके साथ जो व्याख्या दी गई है वह भी बिलकुल स्पष्ट है ।

मूल्य निर्धारित करते समय फसल के बाद की अवधि नहीं बल्कि फसल से पहले की अवधि ध्यान में रखी जानी चाहिये। फसल से पहले की अवधि ही उचित अवधि है। यदि फसल के बाद की अवधि को ध्यान में रखा जायेगा तो व्यापारी मूल्य घटा देंगे और इससे किसानों को हानि होगी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह एक संशोधनीय विधेयक है जिसका उद्देश्य मूल अधिनियम में संशोधन करना है। इसलिये इस प्रकार के संशोधनार्थ विधेयक में मूल अधिनियम के खण्डों को तब तक संशोधित नहीं किया जा सकता जब तक उनको विधेयक से न लिया जाये।

श्री भागवत झा आजाद ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह मूल अधिनियम की धारा 3 (2) (एफ) को देखेंगे। यदि माननीय सदस्य इस धारा में ही संशोधन करना चाहते हैं तो यह एक अलग बात है इस पर विचार किया जा सकता है।

उगाही अथवा वसूली का प्रश्न राज्यों में अलग-अलग है। कुछ राज्यों में 5 एकड़ न्यूनतम सीमा है और इससे कम भूमि पर उगाही नहीं लगाई जाती। आन्ध्र प्रदेश में केवल एक एकड़ सिंचित भूमि निर्धारित की गई है क्योंकि वहां एक एकड़ भूमि में इतनी पैदावार होती है जितनी बिहार में तीन एकड़ भूमि से पैदावार होती है। इसलिये भूमि की उर्बरता तथा उत्पादकता आदि के आधार पर न्यूनतम जोत की सीमा राज्यों और प्रदेशों में अलग-अलग रखी गई है।

अब हमारे सामने यह प्रश्न है कि काश्तकार को अनाज का कितना मूल्य दिया जाये। इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया है कि 'एकीकृत मूल्य' अथवा 'उचित मूल्य' ये शब्द रखे जायें। परन्तु इन शब्दों से तो कोई तात्पर्य नहीं निकलता। उनका कुछ तो अर्थ होना ही चाहिए। प्रस्तुत संशोधन विधेयक से पहले हम इस उद्देश्य के लिए भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग कर रहे थे। इन नियमों में मूल्यों के विषय में केवल 'फसल के पश्चात् का समय' ये शब्द आये हैं। अब हमने इन शब्दों की परिभाषा दे दी है। वास्तव में 'फसल के पश्चात्' का प्रयोग होता था और फसल के पश्चात की अवधि में सब से कम अंक लिये गये और उसके आधार पर मूल्य नियत कर दिये गये। हमने अब औसत मूल्य लेकर इसे कुछ अधिक युक्तियुक्त बना दिया है। मैं यह नहीं कहता कि इस का और सुधार नहीं हो सकता परन्तु मौजूदा परिस्थितियों में इससे अधिक अच्छा उपबन्ध हमें दिखाई नहीं दिया। यदि 'फसल से पूर्व' को लिया जाये तो यह सब से ऊंचा मूल्य होगा। और फसल के मौसम में हमें अधिक मूल्य देना पड़ेगा और इस प्रकार मूल्य निरन्तर चढ़ते जायेंगे जिनका कोई अन्त नहीं होगा। इसलिए जो व्यवस्था हमने की है वह उचित है। इसलिए मैं किसी अन्य संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाए।

श्री राने (बुलडाना) मैं अपना संशोधन संख्या 2 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूँ।

संशोधन संख्या 2 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment No. 2 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9, 10, 11, 12, 29, 49 **और** 50 **मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकार हुए**

Amendment Nos. 9, 10, 11, 12, 29, 49 and 50 were put and negatived.

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : मेरे संशोधन को रखने की आवश्यकता नहीं है। औसत मूल्य में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। मूल्य नियत करने के दो ढंग है जिनमें से एक फसल के पश्चात मूल्य है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इससे उत्पादक को कोई लाभ नहीं होगा। फसल के पश्चात का मूल्य कम होने की सम्भावना है। इसलिए इससे उत्पादक को हानि ही होगी। यदि नियन्त्रण मूल्य ऊंचे हुए तो उत्पादक को भी वही मूल्य दिया जायेगा।

श्री सिंहासन सिंह : मैं संशोधन को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति करता हूँ।

संशोधन संख्या 33 की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment Nos. 33 by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ट 2, पंक्तियां 15 और 16 "three months." ["तीन महीने"] के स्थान पर "four months" ["चार महीने"] शब्द रखे जायें। (25)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion Was Adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंश बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion Was Adopted

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

खण्ड ३

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं अपना संशोधन रखना चाहता हूँ जिसमें कुछ शुद्धियां करके अभी परिचालित किया गया है।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 2—

पंक्ति 28 के पश्चात ये शब्द रखे जायें—

> " Provided that, without prejudice to any action which may be taken under any other provisions of this Act, no foodgains or oilseeds seized in pursuance of an order made under section 3 in relation thereto from a person engaged in the production of such foodgrains or oilseeds shall be confiscated under this section."

["परन्तु, इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन की गई किसी कार्यवाई से पक्षपात रहित, धारा 3 के अन्तर्गत उस सम्बन्ध के बनाये गये किसी आदेश के अनुसरण में, किसी ऐसे व्यक्ति से जो खाद्यान्न अथवा तिलहन के उत्पादन में लगा हो, इस धारा के अन्तर्गत उस व्यक्ति से पकड़े गये खाद्यान्न अथवा तिलहन को जब्त नहीं किया जायेगा।"] (48)

संख्या 16, 18 तथा 43 को किया गया।

श्री नारायण दास (दरभंगा) : मैं संख्या 16 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

(1) पृष्ठ 2 में

पंक्तियां 39 से 41 निकाल दी जायें (18)

(2) पृष्ठ, पंक्ति 16—

"Government". ["सरकार"] के पश्चात, 'with reasonable interest calculated from the day of the seizures of articles" [वस्तुओं के तिथि से गणना करके उचित ब्याज सहित"] शब्द जोड़ दिये जायें (23)

(3) पृष्ठ 3, पंक्ति 3 और 4—

"appeal to the state Government concerned and the State Government may" ["सम्बन्धित राज्य सरकार को अपील तथा यदि राज्य सरकार चाहें तो"] के स्थान पर "appeal to any judicial authority appointed by the State Government concerned and the judicial authority shall" ["सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी न्यायिक प्राधिकार को अपील तथा न्यायिक प्राधिकार ऐसा करेगा"] शब्द रखे जायें (43)

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : मैं संशोधन संख्या 24 और 51 को प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए इसका यह नियम है।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं संशोधन संख्या 36 और 37 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : संशोधन क्या है।

श्री यलमंदा रेड्डी (मारकापुर) : मैं संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करता हूँ। आप अपने संशोधन में 'उत्पादन में लगा व्यक्ति' के स्थान पर 'उत्पादक' शब्द रखें और 'खाद्यान्न' के पश्चात 'उत्पादन में लगें शब्द हटा दिये जायें।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संशोधनों की सूची संख्या 11 में दिये गये श्री चि० सुब्रह्मण्यम् के संशोधन संख्या 48 में

(एक) "A person engaged in production" [उत्पादन में लगे एक व्यक्ति"] शब्दों को हटा दिया जाए और "a producer" ["किसी उत्पादक"] शब्द रखे जायें: और

(दो) "Foodgrains or oilseeds" ['खाद्यान्न अथवा तिलहन"] तथा "shall" [होगा] शब्दों के बीच "Produced by him" ["उसके द्वारा उत्पादित"] शब्द रखे जायें। (52)

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन और खन्ड सभा में चर्चा के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं।

श्री श्रीनारायण दास : यह अधिनियम देश में पाये जाने वाले हालातों की दृष्टि से आवश्यक है क्योंकि कुछ वस्तुओं की कमी है। यह पूरा संकट अधिनियम के प्रशासन के कारण पैदा हुआ है। इस अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इस अधिनियम की प्रशासन की शक्तियां नीचे के स्तरों को सौंपी जाती हैं। इसलिये प्रस्तावित धारा 6 क में एक यह परन्तु क जोड़ा जाना चाहिये कि जो अधिकारी वस्तुओं को पकड़े, वह आदेश की एक कापी उस व्यक्ति को दे जिससे वह वस्तुयें पकड़ी जाती हैं। कुछ वस्तुयें निषिध कर दी जाती हैं; पुलिस उन वस्तुओं को पकड़ती हैं और कुछ समय पश्चात इसे कम मात्रा में बताया जाता है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये तथा इस अधिनियम के समुचित प्रवर्तन के लिए ऐसा उपबन्ध आवश्यक है। पकड़ी गई वस्तुओं को जब्त करने से पहले उस व्यक्ति को इस मामले की सफाई के लिये पूरा मौका दिया जाए जिससे वह वस्तु पकड़ी गई है। जिस व्यक्ति का माल जब्त किया जाना हो उसे पुलिस अधिकारी द्वारा मौखिक सूचना दिये जाने की बजाय लिखित सूचना दी जानी चाहिए। अन्यथा जब मामले न्यायालय में जायेंगे तो मौखिक सूचना से कोई लाभ नहीं होगा कलक्टर को सदैव लिखित रूप में प्रतिवेदन भेजा जाये।

यदि जब्ती उचित कारणों से नहीं की जाती तो वे वस्तुयें सम्बन्धित व्यक्तियों को लौटा दी जाती हैं। ऐसी अवस्था में उस अवधि के लिए वस्तुओं के व्यापारी अथवा उत्पादक को उचित ब्याज दिया जाना चाहिये। पकड़ी गई वस्तुओं के लिये भी वस्तुओं का मूल्य दिया जाये, जब कि वह वस्तुएँ किसानों को वापिस नहीं की जातीं।

जब्ती के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार से की जानी है। कई लोगों से खाद्यान्न पकड़े जाएंगे और इसके लिए उन्हें हर बार राज्य की राजधानी में जाना पड़ेगा,। यह अनावश्यक है और कठोर भी है। अतः इस अपील को जिलास्तर पर ही निपटाना जाना चाहिए। जिला-स्तर के किसी न्यायिक प्राधिकारी को इस मामले को निपटाने का अधिकार दे दिया जाये। अन्यथा जनसाधारण के लिये अत्यन्त कठिनाई होगी कि वे हर समय राज्य की राजधानी में जायें।

श्री विभूति मिश्र : विधेयक में यह व्यवस्था की जाये कि केवल राजपत्रित अधिकारी ही अनाज आदि के अभिग्रहण के लिये किसी व्यक्ति के घर अथवा गोदाम में प्रवेश करने का अधिकारी होगा। मैंने देखा है कि छोटे छोटे अधिकारी घरों में जाते हैं और घर के सदस्यों को तंग करते हैं यह उचित नहीं है। इसलिए एक उत्पादक के घर में जाने के लिये एक राजपत्रित अधिकारी को जाने की अनुमति दी जाये।

श्री रंगा (चित्तूर) : किसानों के बारे में तो तथाकथित कार्यवाही उचित है। किन्तु सिर पर बोझ ढोने वाले लोगों के लिये वह कार्यवाही उचित नहीं है। वे लोग पुलिस से इतने भयभीत होते हैं कि उसे देखते ही वे अपनी बोरियां छोड़ कर भाग लेते हैं विशेष तौर पर जब वे अकेले होते हें। पुलिस उनको रसीद तक नहीं देती। इस प्रकार छोड़े गए खाद्यान्न आदि पर पुलिस अपना कब्जा जमा लेती है। जब ऐसी बात कलक्टर की सूचना में लाई गई तो इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। इन लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बहुत से किसानों को अपना अनाज एक ताल्लुके से दूसरे में ले जाना पड़ता है। उनको भी अनाज ले जाने से रोका जाता है। पुलिस उनका अनाज, बैलगाड़ियां और बैल भी छीन लेती है। बहुत परेशानी के पश्चात बैलगाड़ियाँ और बैल वापिस किये जाते हैं। खाद्यान्न थानों में रखे जाते हैं और कई बार रसीद नहीं दी जाती और हिसाब भी नहीं रखा जाता। कई बार यह अनाज सिपाहियों की निजी सम्पत्ति बन जाती है और किसानों को बिलकुल राहत नहीं दी जाती। यह भी एक कारण है जिससे कि हम नहीं चाहते कि जब्त करने का अधिकार कानून में रखा जाये।

यदि ऐसा उपबन्ध रखा ही जाना है तो इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि एक बार में आठवें हिस्से से अधिक की जब्ती न हो। जिनके पास 20 एकड़ से कम भूमि है जिस पर वे अनाज या खाद्य तिलहन उगाते हैं उनपर इस उपबन्ध और इस अधिनियम की कलुषता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कार्यवाही की जाये वह लिखित रूप से की जाये अन्यथा गड़बड़ी उत्पन्न होने की गुन्जाइश है। जहां तक अपील का सम्बन्ध है, वह सरकार को न की जाये क्योंकि इससे राजनैतिक प्रभाव आ जायेगा और इसका गलत प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए यह उचित है कि अपील न्यायालय को भेजी जाये।

कई बार अधिकारी अनाज पर कब्जा तो कर लेते हैं परन्तु वे उसको समुचित रूप से भण्डार में नहीं रखते जिसका यह परिणाम होता है कि अनाज खराब हो जाता है। जब उसे किसान को लौटाया जाता है तो वह उसके कुछ काम नहीं आता। अनाज की समुचित देख भाल के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए अथवा उसे किसान के पास उसके अपने गोदाम में लगाकर रख दिया जाये ताकि किसान का उत्तरदायित्व वह होने पर उसकी निगरानी कर सके। जब मामले का फैसला हो जाये तो हकदार दल को वह अनाज दे दिया जाये।

जो कीमत दी जाती है वह बाजार भाव पर ही दी जानी चाहिए अन्यथा कृषक को हानि होगी। खाद्यान्न के मूल्य ऐसे हों जो हमारे देश में आम जनता के सामर्थ्य में हों किन्तु निर्धन जनता के नाम पर किसानों का शोषण न किया जाए। अब तक किसानों का शोषण किया गया है।

यह सरकार का कर्तव्य है कि वह निर्धन लोगों को भोजन के लिए राज्य सहायता दे। सरकार ने उचित मूल्य की अथवा सस्ती खाद्यान्न की दुकानें खोल कर यह सिद्धान्त मान लिया है। भविष्य में भी उसी नीति का पालन किया जाना चाहिये। इसके साथ ही सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि कृषकों को भी लाभ प्रद मूल्य मिलें।

श्री यलमन्दा रेड्डी (मारकापुर) : मेरा संशोधन बहुत मामूली है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय के संशोधन में "उत्पादन में लगे हुये व्यक्ति" ("aperson engaged in the production") के स्थान पर उत्पादक ("aproducer") शब्द रखा जाये। उस समय रखी गई भाषा के अनुसार यह परन्तुक अस्पष्ट है। मैं यह भी चाहता हूं कि "ऐसे खाद्यान्न अथवा तिलहन ("of such foodgrains or oilseeds") के बाद "उस द्वारा उत्पादित" ("produced by him") शब्द जोड़े जायें।

श्री बड़े (खारगोन) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने श्री बड़े का संशोधन स्वीकार कर लिया है। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि न्यायिक प्राधिकारी को अपील जाने के सुझाव का संशोधन मान लिया जाना चाहिये।

श्री सोनावने (पंढ़रपुर) : श्री श्रीनारायण दास ने ब्याज की दर के बारे में सुझाव दिया है। यह सुझाव बहुत अच्छा है क्योंकि यदि सरकार को मालूम हो कि उसे ब्याज देना होगा तो विलम्ब नहीं होगा और विलम्ब के अन्य परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे। न्यायिक प्राधिकारी को अपील रखने के सुझाव से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभनी) : मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन्हें केवल यह उपबन्ध अधिनियमित रखने से ही संतोष नहीं हो जाना चाहिये बल्कि उन्हें यह भी देखना चाहिये कि इसका उचित रूप से प्रयोग किया जाये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं श्री मलमंदा रेड्डी का संशोधन संख्या 52 स्वीकार करता हूँ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : कलेक्टर को खाद्यान्न आदि देखने और जब्त करने का अधिकार है। माननीय मंत्री ने अब यह परन्तुक रखा है कि उत्पादक से देखा गया खाद्यान्न तथा तिलहन आदि जब्त नहीं किया जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि देखना भी बन्द कर दिया जाना चाहिये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मौखिक सूचना के बारे में संशोधन संख्या 18 हमें स्वीकार है। माल की जब्ती की तिथि से उचित ब्याज लगाने सम्बन्धी संशोधन संख्या 23 भी हमें स्वीकार है। मैं संशोधन संख्या 43 भी स्वीकार करता हूँ जिसमें राज्य सरकार के स्थान पर न्यायिक प्राधिकारी की व्यवस्था की गई है। जहां तक जब्ती का प्रश्न है, हम संशोधन विधेयक में इसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इसकी व्यवस्था तो मूल अधिनियम के खण्ड 3 (2) (जे) में विद्यमान है। इसलिए यदि हमें इस बारे में कोई संशोधन करना है, तो ऐसा पृथक विधेयक द्वारा ही किया जा सकता है।

आशा है कि सदन सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 2, में 18 पंक्तियां 39 से 41 निकाल दी जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 3, पंक्ति 16, (Government) [सरकार] के पश्चात "with reasonable interest calculated from the day of the seizures of articles" "[वस्तुओं के पकड़े जाने की तिथि से गणना करके उचित ब्याज सहित]" शब्द जोड़ दिये जायें। (23)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 3, पंक्ति 3 और 4,

("appeal to the State Government concerned and the State Government may) "[सम्बन्धित राज्य सरकार को अपील तथा यदि राज्य सरकार चाहे तो]" के स्थान पर ("appeal to any judicial authority appointed by the State Government concerned and the judicial authority shall") "[सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी न्यायिक प्राधिकार को अपील तथा न्यायिक प्राधिकार ऐसा करेगा]" शब्द रखे जायें। (43)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संशोधकों की सूची संख्या 22 में दिये गये श्री चि० सुब्रह्मण्यम के संशोधक संख्या 48 में, —

("a person engeged in the production") "[उत्पादन में लगे किसी व्यक्ति]" शब्दों को हटा दिया जाये और ("a producer)" [''किसी उत्पादक"]शब्द रखे जायें; और

(दो) "Food grains or oilseeds" "[खाद्यान्न अथवा तिलहन]" तथा shall "(होगा)" शब्दों के बीच ("produced by him") "[उस द्वारा उत्पादित]" शब्द रखे जायें। (52)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संशोधन संख्या 48, संशोधन संख्या 52 द्वारा संशोधित रूप में, स्वीकृत की जाये।" (48)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 16 सभा में मतदान के लिये रखता हूं

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment 16 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य संशोधनों पर आग्रह नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सभा उन्हें वापिस लेने की अनुमति देती है।

संशोधन संख्या 24, 51, 36, 37, और 53 **सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।**

Amendmente Nos, 24, 51, 36, 37, and 53 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

खण्ड 3, **संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

Clauses 3, as amended, was added to Bill.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clasuse 4 was added to the Bill

खण्ड 5

संशोधन किया गया :

Amendment mede :

पृष्ठ 3

पंक्ति 39 के बाद जोड़िये--

"Provided that nothing contained in this sub-section shall affect the validity of anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said ordinance before the date of passing of this Act."

"[परन्तु इस उप-खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्द से इस अधिनियम के पारित किये जाने के पहले उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित रूप में मूल अधिनियम के अन्तर्गत किये गये किसी भी कार्य अथवा कार्यवाही की मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा] ।"
(42)

श्री चि० सुब्रह्मण्यम

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

The Motion Was Adopted.

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion Was Adopted.

खण्ड, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the enacting formulate and the title were added to the Bill

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री रंगा : मैं इसका विरोध करता हूँ ।

श्री बड़े : यह विधेयक देश में सबसे अधिक खतरनाक विधेयक होगा । सभी कृषक इसके विरुद्ध हैं । कृषक वसूली शुल्क से बहुत घृणा करते हैं इसलिये, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ ।

श्री सिंहासन सिंह : देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है, केवल सरकार द्वारा उचित वितरण लागू रखने के लिये बुद्धि की कमी है । उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के थोक व्यापार के लिये कानून बनाया गया था परन्तु तब के खाद्य मन्त्री ने ऐसा करने से इनकार कर दिया । भुवनेश्वर में कांग्रेस ने सभी चावल मिलों के राष्ट्रीकरण के लिये संकल्प पारित किया परन्तु अभी तक एक भी खाद्य मिल का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया ।

Shri Bibhuti Mishra : I thank the Hon. Minister for the amendments made in this Bill is not as much in the interest of the agriculturists as it should be I request the Hon. Minister to introdnce a bill with favourable provisions for the agriculturists.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्यों का विधेयक में संशोधक प्रस्तुत करके त्रुटियां दूर कराने के लिये आभारी हूं । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम इस विधेयक का प्रयोग समाज के हित में करने का प्रयत्न करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री ज्वा प्र० ज्योतिषी : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पारित करने के प्रस्ताव पर मतविभाजन परसों होगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 31 अगस्त, 1966 / 9 भाद्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on wednesday, 31st August, 1966/Bhadra 9, 1888 (Saka).

Tirthraj Press, Allahabad.